खण्ड-344, अंक-6
शुक्रवार, 20 आषाढ़, शक संवत् 1902
(11 जुलाई, 1980 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 344 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1981

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	.401–405
प्रश्नोत्तर	.405–414
मुमुआ और कर्मनाशा स्टेशनों के बीच सियालदाह एक्सप्रेस ट्रेन के टू टायर बोगी में डकैती की घटना के सम्बंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	414
लखीमपुर खीरी के ग्राम तुलसिलगंज निवासी श्री शिवदयाल हरिजन को गोला भूमि विकास बैंक के कर्मचारियों द्वारा पिटाई से मृत्यु के सम्बंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.414–415
बस्ती जनपद के कतिपय विकास खण्डों में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बनी सड़कों में मजदूरों की मजदूरी न दिये जाने के सम्बंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	415
मऊनाथ भंजन के हैन्डलूम व पावर लूम उद्योग में लगे मजदूरों की विषम परिस्थिति के सम्बंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.415–416
जिला मुजफ्फरनगर में गुरुद्वारा पंचदराह को शरारती तत्वों द्वारा जलाकर नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	416
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	416–417
बागपत, जिला मेरठ में पुलिस द्वारा तीन व्यक्तियों की कथित हत्या एवं सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज के सम्बंध में वक्तव्य ..	.417–423
सदन के आज के कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना ..	..423–424
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	..424–425
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (स्वीकृत)	..426–468
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	468
अल्मोड़ा जिले के कफल्टा गांव में हरिजनों की हत्या किये जाने के सम्बंध में वक्तव्य	.. 469–473
बागपत जिला मेरठ में तीन व्यक्तियों की हत्या के सम्बंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा	.473–481

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 11 जुलाई, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 38–9

अकबर हुसैन, श्री .. मुरादाबाद
अकबाल हुसैन, श्री .. गोण्डा
अजहर ईमाम, श्री .. मिर्जापुर
अजीजुर्रहमान, श्री .. बिजनौर
अजीत कुमार सिंह, श्री .. कानपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री मेरठ
अनवार खाँ, श्री अलीगढ़
अनवार मुहम्मद खां, श्री .. फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री .. आजमगढ़
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री कानपुर
अमर सिंह, श्री .. सहारनपुर
अमीरुद्दीन, श्री .. बिजनौर
अम्बा प्रसाद, श्री .. बरेली
अम्बिका सिंह, श्री .. बस्ती
अम्मार रिजवी, श्री .. सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी .. बस्ती
अशफाक अहमद, श्री .. बरेली
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
आजाद कुमार कर्दम, श्री .. आगरा
इन्द्रजीत, श्री .. फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (ल्लू) .. बहराइच
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री .. गाजियाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री .. शाहजहाँपुर
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुत्तन भैय्या) .. खीरी
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री .. गोण्डा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी एटा
ऊदल, श्री .. वाराणसी
निर्देशित आंग्ल भारतीय
ए0 सी0 ग्राइस, श्री .. कानपुर
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री आगरा
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री ललितपुर
कन्हैया लाल, श्री .. मथुरा
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री .. लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती कानपुर
कमला देवी, श्रीमती .. हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री .. जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती .. बस्ती
कल्यान सिंह, श्री .. बरेली
कल्लू राम, श्री .. मिर्जापुर
काशीनाथ मिश्र, श्री .. बलिया
किरनपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
किशोरी शुक्ला, श्रीमती गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री .. हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री .. चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती .. हरदोई
कुबेर, श्री .. देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री .. रायबरेली
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज) फतेहपुर
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री .. इलाहाबाद
कृष्ण मगन सिंह, श्री .. बाराबंकी
कृष्णवीर सिंह कौशल, डा0 आगरा
केदार नाथ सिंह, श्री .. गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री .. जौनपुर
केशोराम, श्री .. बदायूं
कैलाश चन्द्र, श्री .. एटा
कैलाश टण्डन, श्री .. वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री .. गोरखपुर
खरपत, श्री .. वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री फतेहपुर
खुदादीन अन्सारी, श्री .. देवरिया
खुर्शीद अहमद, श्री .. मुरादाबाद
खुर्शेद अहमद, श्री .. बहराइच
खुशहाल सिंह रागड़, श्री .. टिहरी गढ़वाल
खैरुल बशर, श्री .. आजमगढ़
ख्वाजा हलीम, श्री .. अलीगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री .. इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री .. बाराबंकी
गया सिंह, श्री .. उन्नाव
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री .. नैनीताल

गुलाब सिंह, श्री .. देहरादून
गुलाम नबी, श्री .. आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती .. बस्ती
गोपाल राम दास, श्री अल्मोड़ा
गोपी नाथ दीक्षित, श्री .. उन्नाव
गोरे लाल शाक्य, श्री .. इटावा
गोवरधन, श्री .. अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती .. गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री .. इटावा
गौरी शंकर भैया, श्री .. बलिया
चंचल सिंह, श्री .. रामपुर
चन्दन सिंह, श्री .. मथुरा
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री .. बाँदा
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री .. लखनऊ
चरनजीत सिंह श्री .. पीलीभीत
चारु चन्द्र ओझा, श्री .. पिथौरागढ़
चेतराम गंगवार, श्री .. बरेली
छत्तर सिंह, श्री .. बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री .. खीरी
छेदी लाल, श्री .. गोंडा
जंग बहादुर, श्री .. जौनपुर
जगदीश प्रसाद, श्री .. इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री .. शाहजहाँपुर
जटा शंकर सिंह, श्री .. बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री .. गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री .. खीरी
जमुना प्रसाद, श्री .. बाराबंकी
जयदीप सिंह श्री .. बरेली
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री .. अल्मोड़ा
जावेद अली, श्री .. मथुरा
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री .. मुरादाबाद
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री फैजाबाद
जीरज सिंह मौर्य, श्री .. मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री .. सुलतानपुर
झगड़ सिंह, श्री .. मेरठ
झिनकिट राम, श्री .. गाजीपुर
तारेश्वर, श्री आजमगढ़
तेजनारायन त्रिवेदी, श्री .. खीरी
तेज बहादुर, श्री .. जौनपुर
तेज बहादुर गंगवार, श्री .. पीलीभीत
त्रिवेनी, श्री .. आजमगढ़
थम्मन सिंह, श्री .. बिजनौर
दयाल कृष्ण, श्री .. मथुरा
दलगंजन सिंह, श्री .. जालौन
दल [illegible], श्री .. आजमगढ़

दामोदर शर्मा, श्री .. मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री .. बस्ती
दीना नाथ, श्री .. बस्ती
दीपक, श्री .. मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री गोण्डा
दीपू, श्री .. आजमगढ़
दूबनाथ, श्री .. आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री .. बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री .. सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री .. कानपुर
द्वारिका नाथ बजन, श्री .. देहरादून
धनी राम वर्मा, श्री .. इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती .. वाराणसी
धरमपाल, श्री .. बहराइच
धर्मपाल, डाक्टर .. अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री .. मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री .. बुलन्दशहर
ध्रुप राम, श्री .. देवरिया
नकली सिंह, श्री .. मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री .. हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री .. देवरिया
नन्द राम, श्री .. बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री .. मेरठ
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री .. पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री .. पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र, श्री .. हरदोई
नाजिर अली, श्री .. शाहजहाँपुर
नियाज हसन खां, श्री .. प्रतापगढ़
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) .. बलिया
निर्मल कुमार, श्री .. फैजाबाद
नेत्र पाल सिंह, श्री .. एटा
नौनिहाल सिंह, चौधरी .. इलाहाबाद
पंचानन, श्री .. आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री .. गोरखपुर
परमाई लाल, श्री .. हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री .. बस्ती
परवीन कुमार, श्री .. बुलन्दशहर
परागी लाल चौधरी, श्री सीतापुर
पहलवान, श्री .. जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती .. बाराबंकी
पुरुषोत्तम, श्री .. मिर्जापुर
पूरन चन्द्र, श्री .. अलीगढ़
प्रताप नारायण त्रिवेदी, श्री हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री .. बाराबंकी

प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री .. प्रतापगढ़
प्रभु नारायण सिंह, श्री .. जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री .. प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेटली, श्री .. फैजाबाद
प्रेमदती, श्री .ती .. बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती .. लखनऊ
फखरे आलम, श्री .. बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री .. गोरखपुर
बंशीधर राज, श्री .. खीरी
बदन सिंह, श्री .. आगरा
बनवारी रास, श्री .. वाराणसी
बलराम सिंह यादव, श्री .. इटावा
बलवीर सिंह, श्री .. फर्रूखाबाद
बल्देव सिंह आर्य, श्री .. उत्तरकाशी
बाबू राम, श्री .. पीलीभीत
बाबू लाल, श्री .. गोंडा
बाबू लाल, श्री .. हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री .. अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री .. नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री .. फर्रुखाबाद
बुद्ध पाल सिंह, श्री .. बुलन्दशहर
बृज किशोर, श्री .. देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती .. झांसी
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री इलाहाबाद
बृज बल्लभ बाबू, श्री .. बदायूं
ब्रह्म दत्त, श्री .. देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री उन्नाव
भगवा दीन कुशवाहा, श्री .. कानपुर
भागीरथ, श्री .. झांसी
भानु प्रताप सिंह, श्री .. बरेली
भास्कर पाण्डेय, श्री .. देवरिया
भीखा लाल, श्री .. उन्नाव
भी सिंह, श्री .. मेरठ
भूधर नारायण मिश्रा, श्री कानपुर
भूपसिंह, श्री .. गाजियाबाद
भृगुनाथ, श्री .. गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री .. बलिया
मण्डलेश्वर सिंह, श्री .. आगरा
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री .. बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री .. मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री बस्ती
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ साबरोज) गोंडा
महाबीर सिंह, श्री .. सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री .. आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती .. इटावा

महेश उपाध्याय, श्री .. आगरा
महेशचन्द्र, श्री .. मेरठ
महेश प्रसाद, श्री .. देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री .. वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री .. बस्ती
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री एटा
मान बहादुर, श्री .. गोंडा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री .. गोरखपुर
मिनसेन, श्री .. फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री .. बदायूं
मुईद अहमद, श्री .. सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री .. सीतापुर
मुन्शी लाल, श्री .. मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री .. गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री .. रामपुर
मेंहदी अस्गर, श्री .. मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री .. कानपुर
मोहन लाल, श्री .. हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री .. देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री बदायूं
मोहम्मद अमीन, श्री .. इलाहाबाद
मोहम्मद उमर, डाक्टर .. गोंडा
मोह मद नबी, श्री .. बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री .. लखनऊ
मोहम्मद वसीम, हाजी .. रायबरेली
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री .. वाराणसी
यदुनाथ, श्री .. जौनपुर
यशपाल सिंह, श्री .. बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री .. सहारनपुर
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी) .. गोरखपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर .. फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री .. वाराणसी
रईसउद्दीन वारसी, श्री .. मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री गोंडा
रघुवीर सिंह यादव, श्री .. मैनपुरी
रणी राम, श्री .. बिजनौर
रमा कान्त मिश्रा, श्री .. इलाहाबाद
रमेश चन्द्र, श्री .. रायबरेली
राज किशोर राव, श्री .. बहराइच
राज कुमार राय, श्री .. आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती .. सुल्तानपुर
राजपाल सिंह, श्री .. मुरादाबाद
राजमंगल पाण्डेय, श्री .. देवरिया

Archive Hall

राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री . . झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री . . सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री . . इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री . . अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री . . फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री . . इलाहाबाद
राधे श्याम वर्मा, श्री . . फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री . . बस्ती
राम आपरे पासवान, श्री . . बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री . . हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री . . हरदोई
राम करन, श्री . . वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री . . आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री . . सीतापुर
राम कृष्ण, श्री . . जौनपुर
राम कृष्ण, श्री . . मुरादाबाद
राम गोविन्द, श्री . . बलिया
राम चन्द्र, श्री . . वाराणसी
राम चरण, श्री . . मिर्जापुर
राम जनम, श्री . . वाराणसी
रामजी राम, श्री . . फैजाबाद
राम धनी, श्री . . गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री . . प्रतापगढ़
रामनरायण पाठक श्री . . कानपुर
राम प्यारे पाण्डेय, श्री . . फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री . . जालौन
राम प्रसाद, श्री . . मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री . . खीरी
राम यश सिंह, श्री . . सहारनपुर
राम रतन सिंह, श्री . . सीतापुर
राम लाल, श्री . . सीतापुर
राम शरोमणि, श्री . . जौनपुर
राम सपझावन, श्री . . जौनपुर
राम सागर, श्री . . बाराबंकी
राम सिंह रावत, श्री . . एटा
राम सिंह, श्री . . सहारनपुर
राम सिंह, श्री . . सुल्तानपुर
राम सिंह खन्ना, श्री . . बरेली
राम सेवक, श्री . . सुल्तानपुर
राम स्वरूप, श्री . . सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री . . कानपुर
राय हर्ष, श्री . . गाजीपुर
राय हर्ष मिश्र, श्री . . बहराइच
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री . . बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री . . बाँदा
रिजवानुर्रहमान, श्री . . बाराबंकी
रियासत हुसैन, श्री . . मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री . . देवरिया
रूप राम, श्री . . शाहजहाँपुर
रूल्हा सिंह, श्री . . सहारनपुर
लटूरी सिंह, श्री . . एटा
ललई सिंह चौहान, श्री . . मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री . . प्रतापगढ़
लालता, श्री . . आजमगढ़
लोकपति, श्री . . मिर्जापुर
लोकपति, श्री . . मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री . . प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री . . लखनऊ
विजय पाल, श्री . . गाजियाबाद
विजय प्रकाश, श्री . . इलाहाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री . . गाजीपुर
विजय सिंह राना, श्री . . आगरा
विद्या भूषण, श्री . . मुजफ्फरनगर
विद्या सागर नौटियाल, श्री . . टिहरी गढ़वाल
विनोद कुमार, श्री . . पीलीभीत
विमला राकेश, श्रीमती . . सहारनपुर
विलायती राम कत्याल, श्री . . कानपुर
विशन लाल, श्री . . बिजनौर
विश्राम दास, श्री . . इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री . . मैनपुरी
वीर बहादुर सिंह, श्री . . गोरखपुर
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री . . सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री . . मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर . . गाजियाबाद
वृद्धि नरायन, श्री . . वाराणसी
शंकर सिंह, श्री . . जालौन
शम्भू नाथ, श्री . . आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री . . मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री . . बाँदा
शिव दर्शन, श्री . . रायबरेली
शिव नरेश, श्री . . बाँदा
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर . . कानपुर
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री . . नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री . . उन्नाव
शिव प्रताप सिंह, श्री . . बाँदा
शिव बालक, श्री . . रायबरेली
शिवराज सिंह श्री . . अलीगढ़
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर . . पौड़ी गढ़वाल
शौनाथ सिंह, श्री . . बिजनौर
श्याम लाल बाजपेयी, श्री . . बाराबंकी

श्याम सिंह, श्री . . बिजनौर
श्याम सूरन उपाध्याय, श्री इलाहाबाद
श्रीकृष्ण गोयल, श्री . . बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री . . वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री श्री . . वाराणसी
संजय सिंह, राजकुमार, . . सुल्तानपुर
सईदुल हसन, श्री . . बुलन्दशहर
सच्चिदानन्द, श्री . . उन्नाव
सतीश अजमानी, श्री . . खीरी
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री इलाहाबाद
सत्यपाल सिंह, श्री . . शाहजहाँपुर
सन्त बख्श रावत, श्री . . लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती . . बदायूं
सरज प्रसाद 'सरोज', श्री . . प्रतापगढ़
सरदार सिंह, श्री . . मथुरा
साहब सिंह, श्री . . गाजीपुर
सीताराम निषाद, श्री . . फैजाबाद
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री . . गाजियाबाद
सुग्रीव सिंह, श्री . . देवरिया
सुजान सिंह बुन्देला, श्री . . ललितपुर
सुनीता चौहान, श्रीमती रायबरेली
सुनील शास्त्री, श्री . . गोरखपुर
सुन्दर सिंह, श्री . . बहराइच
सुमन लता दीक्षित, कुमारी, कानपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री . . सहारनपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री . . बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री . . गाजीपुर
सुरेश दत पालीवाल, श्री . . जालौन
सुल्तान सिंह, श्री . . मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री . . मैनपुरी
सूरजभान, पंडित . . अलीगढ़
सूर्यनाथ, श्री जौनपुर
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री . . मेरठ
सोमाँश प्रकाश, श्री . . मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती लखनऊ
स्वामी नेमपाल, श्री . . बुलन्दशहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री . . हमीरपुर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री . . एटा
हर गोविन्द वर्मा, श्री . . सीतापुर
हरदेव, श्री . . बलिया
हर नरायन सिंह, श्री . . रायबरेली
हरवंश प्रसाद पांडेय, श्री . . बाँदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री . . गोरखपुर
हरि प्रसाद, श्री . . उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री . . देवरिया
हरि सिंह, श्री . . बुलन्दशहर
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री कानपुर
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री मुरादाबाद
हुकम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
हेमचन्द निमेष, श्री . . मेरठ

नोट—मुख्य मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 11 जुलाई, 1980

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सूखा का प्रकोप एवं भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण की वसूली

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सूखे से हुई किसानों की बरबादी को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास बैंक द्वारा किसानों से कर्जे की वसूली करने में किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती न की जाय, के विषय पर अब तक सरकार द्वारा कोई व्यवस्था की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

जी हाँ। गत वर्ष प्रदेश में सूखे के प्रकोप से हुई हानि को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिये हैं कि किसी प्रकार के सहकारी ऋणों को वसूल करने हेतु कोई उत्पीडक कार्यवाही न की जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आदेश कब जारी किये गये ? एक, और दूसर यह जानना चाहता हू कि राज्य सरकार ने यह निर्देश इसलिए जारी किये कि सूखे के कारण काश्तकार परेशान था, देय क्षमता समाप्त हो गयी थी, इसलिए जो एक वर्ष का ब्याज पड़ने वाला है, क्या उससे भी मुक्ति देने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

आदेश दिनाँक 28-6-80 को जारी किये गये कि किसानों को यथा सम्भव राहत देने की चिन्ता सरकार को है और वह विचार कर रही है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आदेश 28 जून को निर्गत किये गये जबकि 30 जून तक वसूली का काम होना था। इसलिए इससे कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि उत्पीड़क कार्यवाही के अन्तर्गत काश्तकार जेलों में है, कुर्की के आदेश हो गये ह, तो क्या इस समय जो कुर्की के आदेश जारी किये गये है या जो जेल में हैं, उनको छोड़ दिया जायेगा और कुर्की की कार्यवाही निरस्त हो जायेगी ? क्यों 30 जून तक ये आदेश पहुंच नहीं पाये थे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

इन आदेशों से किसी आदमी की भूमि नहीं जायेगी, जेल नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान पिछली सरकार के कोआपरेटिव मंत्री श्री मुलायम सिंह जी के उस निर्णय की तरफ गया था कि सूखे के कारण जो कोआपरेटिव संस्थाओं का ब्याज किसानों पर पड़ेगा, उसको सरकार खुद सहन करेगी ? यदि हाँ, तो मय ब्याज जो वसूली हुई है, उसका क्या कारण है ?

श्री ब्रह्मदत्त--

माननीय सदस्य ने जो सन्दर्भ दिया है उसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री हर गोविन्द वर्मा--

एक तो जो आदेश किया है उसमें उत्पीड़न शब्द इस्तेमाल किया गया है। उसमें अधिकारी अपने मन से काम करते है। उत्पीड़न के साथ में जिसकी रिकवरी नहीं होती है, उस पर पेनाल्टी लगती है। वह बहुत ज्यादा होती है 12 प्रतिशत, 14 प्रतिशत, जो किसानों के लिए देय नहीं ह। यहाँ तक कि जमीन बिकती है, तो क्या माननीय मंत्री जी उत्पीड़न की परिभाषा करके भेज देंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

सरकार ने जो आदेश दिये हैं, उसमें उत्पीड़न की कार्यवाही की परिभाषा कर दी गयी है और मैं यह सूचना देना चाहता हूं "Neither auction will be made nor auction notices under Rule 29 will be published in the News paper for recovery of LDB Dues of your branch."

(व्यवधान)

एक सदस्य--

मान्यवर, ये अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं।

श्री ऊदल---

यह इनका हिन्दी प्रेम है ।

श्री मोती लाल देहलवी---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

मान्यवर, राज्य सरकार के तमाम काम हिन्दी में होने के आदेश हैं और मान्यवर, आपके आसन से भी यह व्यवस्था दी जा चुकी है । एक बार नहीं कई बार यह व्यवस्था दी जा चुकी है । मंत्री जी जो पढ़ रहे है, उससे लगता है कि मंत्री जी का आदेश अंग्रेजी में गया है । मान्यवर, मैं यह व्यवस्था चाहूंगा कि मंत्री जी ने अंग्रेजी में आदेश भेज कर क्या राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना नहीं की है ?

श्री ब्रह्मदत्त---

मान्यवर, आदेश तो मेरा नहीं है लेकिन भविष्य में अधिकारियों से यह कह दिया जायेगा कि वे हिन्दी में भेजें ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, हमारे जिले से कि गाँवों में ऋण वसूली के लिए भैंसा भी, बैल भी लेकर बन्द कर दिया, रुपया भी ले गये । क्या आप इसकी जाँच कराकर दोषी आदमियों को दण्डित करेंगे । आदमियों को झुका कर उनके पीठ पर 20-20 ईंटें रखी गयीं । मेरे यहाँ से दो ब्लाकों से यह सूचना प्राप्त हुई है । क्या आप उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त---

श्रीमन्, इस तरह से कोई सूचना सरकार के पास नहीं है । जो सूचना प्राप्त होगी । उसमें नियमानुसार कार्यवाही अवश्य की जायेगी ।

श्री भीखालाल---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सूखे का प्रभाव प्रदेश में एक वर्ष से है । यह आदेश 28 जून को गया है । एक वर्ष के दौरान कोआपरेटिव के कर्ज की बिना पर कुछ काश्तकारों की जमीनें नीलाम हुई है । जिन काश्तकारों की जमीनें नीलाम की गयी हैं उनको रद्द किया जायेगा ?

श्री ब्रह्म दत्त---

मान्यवर, आदेश में कहा गया था कि जो जमीनें नीलाम की गयी है, उनकी बिक्री न हो । नीलाम और बिक्री में अन्तर है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि समय समाप्त होने के दो दिन पूर्व, 30 जून को वसूली की आखिरी तारीख थी, 28 को वायरलेस भेजा, सभी जगह पहुंचा भी नहीं होगा, यह सभी ऋणों पर लागू होगा या केवल सहकारी ऋणों में ही लागू होगा ?

श्री ब्रह्मदत्त---

मैं केवल सहकारी ऋणों के सम्बन्ध में कह रहा हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा---

क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि आदेश भेजे जाने के बाद किन्हीं अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न की कार्यवाही की गयी और इसकी शिकायत शासन को मिली है । उन अधिकारियों के विरुद्ध शासन द्वारा तत्काल कोई कार्यवाही की जायेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त---

जरूर की जायेगी ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या माननीय मत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि 28 जून के पूर्व कितने विधायकों ने यह वसूली स्थगित करने के लिए माननीय मंत्री जी को लिखा था और उन विधायकों के क्या-क्या नाम हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त—

यह सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री मित्रसेन—

माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह सहकारी ऋण की वसूली के सम्बन्ध में जो माननीय मंत्री जी ने आदेश दिया है, वह पूरे प्रदेश के लिए दिया है या प्रदेश के किन्ही जिलों के लिए दिया है। दूसरी चीज यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश के जिन जनपदों में 50 प्रतिशत से ज्यादा क्षति हुई है, उनमें सहकारी बैंक से कौन कौन से राहत देने के कार्य कराये जायेंगे और उनकी ऋण माफी कर देंगे ? किस रूप में राहत देंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त—

28 जून का आदेश सारे प्रदेश में है। फिलहाल इतने ही आदेश दिए गये हैं।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सूखा ग्रस्त इलाके के लिए सरकार ने जो सुविधायें देने की बात की थी पर्वतीय जिलों में क्या सुविधा दी गयी। पर्वतीय जिलों में भयंकर वर्षा होती है, भू-स्खलन भी होता है, सूखे के कारण भी दोहरी मार पड़ती है, तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन इलाकों के लिए कोई विशेष व्यवस्था करने के आदेश दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

यह प्रश्न तो केवल सहकारी ऋणों से संबंधित था लेकिन माननीय सदस्य का प्रश्न दूसरा है ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

सूखा ग्रस्त किसानों का जहाँ तक प्रश्न है वह केवल मात्र अभाव ग्रस्त होने तक ही नहीं है। यह तो जो भी इससे प्रभावित होने वाले है, उसमें आ जाते हैं, तो क्या सरकार की यह नीति नहीं है कि उनको भी सहायता दी जाय ?

श्री ब्रह्मदत्त—

सरकार की नीति हर परेशान व्यक्ति को राहत देने की है ।

श्री ऊदल—

क्या सरकार इस बात की जाँच करेगी कि पूरे प्रदेश में जनवरी से लेकर अब तक भूमि विकास बैंक द्वारा जो कार्रवाई की गयी है, उसमें कितने लोगों की जमीनों को नीलाम किया गया है ? क्या सरकार उस पर विचार करके तुरन्त निर्णय करेगी कि उनकी जमीन को वापस करा दिया जाय ?

श्री ब्रह्मदत्त—

यह सूचना प्राप्त की जायेगी और आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

श्री सत्यपाल सिंह—

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कोई भी उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की जायेगी, 28 तारीख से आदेश कर दिये गये हैं। इन कर्जों में बहुत से फर्जी कर्जे वाले हैं, तो जब तक जोर जबरदस्ती वाली कार्यवाही नहीं होती है तब तक इन फर्जी कर्जों को सुनिश्चित कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बहमदत्त—

यदि माननीय सदस्य किसी फर्जी कर्जे की सूचना देंगे, तो उसकी जाँच करा ली जायेगी।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, सूखा ग्रस्त किसानों से तो जबरदस्ती वसूलयाबी हो रही है, लेकिन जो बड़े बड़े जमींदार हैं, फ्यूडल लैंडलार्ड्स हैं, हमारे ही जनपद में 4—4लाख रुपया सहकारी ऋण का 20 वर्ष से बकाया रह रहा है और जनता पार्टी की सरकार के जमाने में उन्हें और छूट दे दी गयी थी, तो क्या ऐसी बकाया धनराशि वसूल कराया जायेगा और जितनी सहकारी समितियाँ डिफेक्ट हो गयी हैं, उनको. . . .

श्री अध्यक्ष—

यह एक प्रश्न अलग से हो सकता है। आप प्रश्न पूछ कर यह सूचना माँग लें। अब मैं दूसरा प्रश्न लेता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

वसूली तो आप बन्द करा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष —

माननीय काशीनाथ जी अब आप बैठें मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

नागरिकों के निधन पर राजकीय शोक मनाये जाने का निर्णय

**2—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश व देश के किस प्रकार के नागरिक के निधन पर किस प्रकार और कब तक शोक मनाया जाय इसके बारे में राज्य सरकार केन्द्र की किसी परम्परा का अनुसरण करती है अथवा केन्द्र के तत्सम्बन्धी आदेश के अनुसार काम करती है? क्या इस सम्बन्ध में कोई नियम बनाने पर विचार कर रही है?

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के राज्यपाल एवं मुख्य मंत्री के निधन पर 7 दिन का राजकीय शोक मनाये जाने का नियम है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के राजनैतिक, सामाजिक एवं साहित्यिक क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त गणमान्य व्यक्तियों के निधन पर भी राजकीय शोक मनाये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया जाता है। जहाँ तक राज्य के बाहर के गणमान्य व्यक्तियों के निधन पर शोक मनाये जाने का सम्बन्ध है, इनमें भारत सरकार के आदेशानुसार कार्यवाही की जाती है।

जी हाँ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री के दामाद, वर्तमान प्रधान मंत्री के पति, भूतपूर्व संसद सदस्य, श्री फिरोज गाँधी, जो इसी प्रदेश से चुने गये थे, जब उनकी मृत्यु हुई थी, उस समय जिस प्रकार से जितना शोक मनाया गया था उसके अधिक और हटकर श्री संजय गाँधी के निधन पर शोक मनाने के क्या कारण हैं?

श्री अम्मार रिजवी—

जहाँ तक स्वर्गीय श्री संजय जी का सम्बन्ध है, उनके प्रति जो यहाँ पर शोक मनाया गया है, वह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी बहुत से ऐसे व्यक्ति, जो किसी ओहदे पर आसीन नहीं थे, उनके बारे में भी शोक मनाया जा चुका है। भारत सरकार ने और प्रदेशीय सरकार ने भी उन लोगों के बारे में जो यहाँ से सम्बन्धित नहीं थे, बल्कि बाहर के रहने वाले लोग जैसे कर्नल नासिर और मार्शल टीटो और एक पूरी लम्बी लिस्ट है, जितने भी लोग हैं, उनके बारे में शोक मनाया गया है। यहीं नहीं श्रीमन्, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वायरलेस की तरह से एक एक्जीक्यूटिव आर्डर यहाँ से इशू हुआ था। मैं उसको पढ़ता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, यह श्री राम स्वरुप वर्मा का कहना बिल्कुल अनियमित है। किसी व्यक्ति के बारे में जो यहाँ नहीं है, बिल्कुल अनियमित है, उस पर आक्षेप है। श्री रामस्वरूप वर्मा का यह कहना बिल्कुल विपरीत है, नियमों के। आपने इसकी इजाजत कैसे दे दी ? मान्यवर ?

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि....

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप लोग स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

बड़ा अहम प्रश्न है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे थे। उनका उत्तर समाप्त नहीं हुआ और आप लोग खड़े हो गये।

(व्यवधान)

मैंने सभी को बिठा दिया है, आप भी कृपया बैठ जायं।

एक सदस्य—

मान्यवर, यह प्रश्न अस्वीकार किया जाय।

(व्यवधान)

श्री राम स्वरूप वर्मा—

बड़ा गम्भीर प्रश्न है। सुन लें।

एक सदस्य—

मान्यवर, इस तरह के प्रश्न पर सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिये।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, आप जब खड़े हो जाते हैं, तो हम लोग बात नहीं कर पायेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा—

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज ही नहीं, रोज एक बात सुनने को मिलती है—चाहे प्रश्नों का संबंध हो, चाहे संकल्प हो, जिसके बारे में आपका निर्णय हो जाता है, इसी सदन में माननीय काशी नाथ मिश्र कहते हुये सुने जाते हैं कि "आपने इसकी इजाजत कैसे दी"

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस—

इन्होंने कैसे आपको इस तरह से कह दिया ?

श्री राम आसरे वर्मा—

वह इनके लिये ही नहीं, बल्कि सभी के लिये है।

एक सदस्य--

माननीय, इस प्रश्न के स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय, जब आप खड़े हो जाते हैं तो विरोधी पक्ष के सदस्यों की ओर इंगित करके यह कहते हैं कि 'बैठ जाइये' दुख, माननीय, इस बात का है कि जब आप खड़े हो जाते हैं, विरोध पक्ष के लोग बैठ जाते है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग जब खड़े हो जाते हैं, तो आप बैठ जाते हैं।

(व्यवधान)

प्रश्न बैठ जाने और खड़े हो जाने की बात का नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप लोग बैठ जावें। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री राम आसरे वर्मा--

हम आपसे अपेक्षा करते है समान और निष्पक्ष व्यवहार की।

श्री अध्यक्ष--

आप भाषण न दें, प्रश्न उठायें।

श्री राम आसरे वर्मा--

जब माननीय मंत्री जी बोल रहे थे, तो काशीनाथ मिश्र जी खड़े हुये और आपके निर्णय को चुनौती देते हुये कहा था कि आपने इस प्रश्न की इजाजत कैसे दे दी। मैं इसी प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय, नियम 314 को देखने की कृपा करें।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैंने कतई आपके निर्णय को चुनौती नहीं दिया है। रामस्वरूप वर्मा जी ने कैसे अनुपूरक प्रश्न किया, आपकी व्यवस्था को मैंने चुनौती नहीं दिया।

श्री मुख्तार अनीस--

अध्यक्ष महोदय, यह अपने शब्द वापस लें।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय राम आसरे वर्मा जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया। इस व्यवस्था के प्रश्न में उन्होंने जो कहा अगर उससे भिन्न कोई बात कोई माननीय सदस्य कहना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं उनको इजाजत दूंगा। अगर उसी बात को दोहराना है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस सदन के समय का दुरुपयोग न करें। काशीनाथ जी आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री काशीनाथ मिश्र--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो अनुपूरक प्रश्न वर्मा जी ने किया है यह प्रश्न किस तरह से होगा? हमारी नियमावली के अनुसार नहीं होगा? श्रीमन्, नियम 26 में दिया गया है कि प्रश्न प्रशासन के ऐसे विषय से सम्बद्ध होना चाहिये जिसके लिये शासन उत्तरदायी है। उसका प्रयोजन लोक महत्व के विषय में सूचना प्राप्त करना अथवा कार्यवाही का सुझाव देना होगा। जो सवाल माननीय वर्मा जी ने किया है, उसका शासन से सीधा संबंध कतई नहीं है।

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मुझे सुन लीजिये ।

श्री काशी नाथ मिश्र—

हमारी पूरी बात आप लोग सुनें । मैं अध्यक्ष महोदय की इजाजत से बोल रहा हूं । हमारी बात माननीय सदस्य आपके जरिये सुन लें फिर उनको अधिकार है, जवाब देने का । मैं वर्मा जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार किस हद तक उत्तरदायी हो सकती है कि स्वर्गीय फिरोज गाँधी के मरने के वक्त शोक क्यों नहीं मनाया गया ? उत्तर प्रदेश सरकार इसकी जिम्मेदार नहीं है । आपने संजय गाँधी के बारे में प्रश्न किया कि शोक क्यों मनाया गया । यह आक्षेप है । यह स्वर्गीय आत्मा के बारे में आक्षेप है । इस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं एक वैधानिक आपत्ति उठाना चाहता हूं । आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बहुत संक्षेप में कहें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

एक भी इर्रेलेवेन्ट, अप्रासांगिक शब्द आयेगा और आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा । मैं दो बातों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । पहला यह है कि सामान्यत: प्रश्न प्रहर में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता है । यह परम्परा का उल्लंघन हो रहा है । दूसरी चीज मैं नियम 314 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इस सदन का काम भारतीय संविधान और उसके तहत बनायी गयी नियमावली से भिन्न नहीं होना चाहिये । 314 में साफ कहा गया है कि अध्यक्ष के विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जायेगी ।

किसी संकल्प या प्रश्न की अनुज्ञा के बारे में या अन्य विषय के बारे में अध्यक्ष का जो विनिश्चय हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं की जायेगी । मान्यवर, आपने अपने कक्ष में श्री रामस्वरूप वर्मा के प्रश्न को स्वीकार कर लिया । अर्थात् प्रश्न को नियमानुकूल घोषित किया । उसके बाद आज यहाँ श्री वर्मा ने अनुपूरक प्रश्न किया । उसके ऊपर आपने मंत्री जी को बुला लिया उत्तर देने के लिये, तो इससे विनिश्चय हो गया कि आपने प्रश्न को न्याय-संगत घोषित कर दिया । इसलिये मैं इस पर आपकी व्यवस्था जानना चाहता हूं कि प्रश्न को आप द्वारा स्वीकार कर लेने के बाद भी किसी माननीय सदस्य को क्या यह हक प्राप्त है कि वह आपके निश्चय के खिलाफ आपत्ति करे ?

मान्यवर, दूसरी बात इसके पहले भी मैंने नियम 286 कोट किया था और आज फिर मैं नियम 286 कोट कर रहा हूं कि इस सदन के कुछ माननीय सदस्य ऐसे हैं, जो नियमों का पालन नहीं करते हैं । इसलिये नियमों का यदि आप कठोरता से पालन नहीं करायेंगे तो आप समझ लें कि प्रतिपक्ष के अधिकारों का हनन हो जायेगा । सत्तापक्ष हमारी बातों को रौंद देंगे । इसलिये हम जनता की बात को यहाँ रख सकें इसमें आपका मान्यवर, दायित्व है कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें यदि सरकारी पक्ष के लोग नियमों के विरुद्ध कोई आचरण करते हैं, तो उनको आप रोकें क्योंकि आप मान्यवर, हमारे संरक्षक हैं । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि चुनाव के बाद जब आपने इस पद को ग्रहण किया, तो उस समय नियम 313 और 314 को मैंने रेफर किया था और वही प्रश्न आज सामने आ गया है कि जब कोई भी सवाल फाइनली एजेन्डे में आ जाता है, तो उस पर आपकी स्वीकृति मानी जाती है । मान्यवर, कई दिनों से लगातार हम देख रहे

कि श्री काशीनाथ मिश्र बराबर खड़े होकर कहते हैं कि आपने इस काम को कैसे कर दिया। यह आपके अधिकारों का मान्यवर, हनन है। आप सदन के और विरोध पक्ष के संरक्षक हैं इसलिये यह आपके अधिकारों पर कुठाराघात है। इसलिये निवेदन है कि नियम 314 और 313 में जो शक्तियाँ आपको दी गयी हैं, उनका सख्ती के साथ आप पालन करें वरना ऐसे प्रश्न रोज खड़े होंगे क्योंकि जब श्री रामस्वरूप वर्मा का प्रश्न एजेन्डे में आ गया है, तो यह ऐसा क्यों कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य इस सदन के पुराने सदस्य हैं और यह भली भांति जानते हैं कि प्रश्नोत्तर काल के बाद ही व्यवस्था के प्रश्न उठाये जाते हैं। मगर अभी श्री काशीनाथ मिश्र ने उस समय प्रश्न उठाया जब स्वतः श्री रामस्वरूप वर्मा ने प्रश्न किया था और मंत्री जी उसका उत्तर दे रहे थे। उत्तर के बीच में उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, वो व्यवस्था का प्रश्न ऐसे समय नहीं उठाया जा सकता है।

(मेजों की थपथपाहट)

मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा और श्री राम स्वरूप वर्मा जी से जिनका यह प्रश्न है कि इन्होंने व्यक्ति विशेष के विषय में नहीं बल्कि सामान्य प्रक्रिया को वह जानना चाहते हैं कि सामान्य प्रक्रिया में क्या होता है। किन्तु यह भी सत्य है कि जिस विशिष्ट व्यक्ति के बारे में अभी आप श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके हैं, तो उसमें तरह-तरह के प्रश्न करके आप अपनी ऐसी भावना को व्यक्त करना चाहते हैं जो कि उचित नहीं है। इसलिये इसमें कोई ऐसी बात पैदा न करें ताकि जो आपकी ही भावना के प्रतिकूल प्रतीत हो और सदन की भावना के प्रतिकूल हो।

श्री अम्मार रिजवी—

मैं निवेदन कर रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से सक्षम है कि वह तय करे कि किस का शोक मनाना है और किस का नहीं मनाना है। समय-समय पर जब भी किसी व्यक्ति का निधन हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार ने महसूस किया है कि अगर उनके मरने से पूरे देश को या उत्तर प्रदेश को नुकसान पहुंचा है, तो शोक मनाया गया है। केवल एक ही मामले में यह पहली बार नहीं हुआ है। मैं आपको याद दिलाऊं कि सन् 1962 में जब हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपति डा0 राजेन्द्र प्रसाद जी की धर्म पत्नी का स्वर्गवास हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आर्डर सारे प्रदेश में भेजा था कि सारे झंडे हाफ मास्ट पर रहें, उनको नीचे कर दिया जाय क्योंकि हम लोग, उत्तर प्रदेश की सरकार, उनकी दिवंगत आत्मा की शांति चाहते थे हालांकि जो हमारी प्रक्रिया है या जो केन्द्र सरकार की प्रक्रिया है उसमें कहीं पर ऐसा नहीं दिया गया है कि राष्ट्रपति भूतपूर्व राष्ट्रपति की धर्म पत्नी के स्वर्गवास पर शोक मनाया जाय। मेरे पास पूरे नियम मौजूद हैं। उसमें कुछ कैटेगरीज हैं, उनके अलावा कहीं पर और किसी का जिक्र नहीं है। लेकिन सरकार पूर्णरूप से सक्षम थी और उसको मनाया गया। इसी तरह से मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं अक्टूबर में जब इस देश को एक बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा और लोक नायक स्वर्गीय जय प्रकाश नारायण जी का स्वर्गवास हुआ, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्जीक्यूटिव आर्डर से मुख्य मंत्री जी ने इस शोक को मनाने का आदेश दिया था। श्रीमन्, अगर आप कहें, तो मैं वह आर्डर पढ़ सकता हूं, मेरे पास जिसके जरिये से उनका शोक यहाँ पर मनाया गया। वह किसी ओहदे पर नहीं थे। ओहदे पर होना कोई खास बात नहीं रखता। महात्मा गाँधी किसी ओहदे पर नहीं थे। यही नहीं उन लोगों का भी शोक मनाया गया है, जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं थे, जिन्होंने साहित्य की सेवा की थी, कला की सेवा की थी उनका भी शोक मनाया गया, जो बाहर के लोग थे, हमारे देश से संबंधित नहीं थे, उनका भी शोक मनाया गया है। मान्यवर, यह हमारे देश की, हमारी परम्परा है कि

जब किसी व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाता है और उसकी लाश सामने से जा रही हो तो पुलिस का अधिकारी हो या फौज का अधिकारी हो, चाहे कितनी ही ऊंचा क्यों न हो उसे सैलूट करता है। यह भी भारत की परम्परा रही है।

मेरा ख्याल है कि इस तरह का प्रश्न उठाना उचित नहीं है। वैसे जानकारी सब मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दी है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

झुमुआ और कर्मनाशा स्टेशनों के बीच सियालदह एक्सप्रेस ट्रेन के टू-टायर बोगी में डकैती की घटना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[समय 11 बजकर 32 मिनट]

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 में आज 20 सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिनमें से 5 स्वीकृत हुई ह।

*श्री प्रदीप कुमार यादव—

अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से सरकार का ध्यान एक लोक महत्व के प्रश्न पर आकर्षित करते हुए सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि दिनांक 8/9 की दरमियानी रात को झुमुआ और कर्मनाशा स्टेशनों के बीच सियालदह एक्सप्रेस ट्रेन की टू-टायर की बोगी में सफर कर रहे लगभग 100 यात्रियों से करीब एक लाख रुपये मूल्य की सम्पत्ति डकैतों द्वारा लूट ली गयी। जिसमें यात्रियों की घड़ी, अंगूठी तथा नगदी के साथ-साथ जूते, चप्पल, छाते आदि तक को नहीं छोड़ा। एक महिला के लगभग 15 हजार रुपए की कीमत के आभूषण तथा एक सरदार जी का कृपाण छीन ले गये और बताया जाता है कि उक्त डकैत झुमुआ स्टेशन पर सवार हुए। जो 20–25 वर्ष की उम्र के नौजवान लड़के थे और पैन्ट, बुसर्ट पहने हुए थे। डकैतों ने ड्यूटी पर तैनात टी0 टी0 को भी पीटा। उपरोक्त घटना से जनमानस तथा ट्रेन में सफर करने वालों के मन में भय और असुरक्षा का वातावरण व्याप्त हो गया है और प्रशासन इस प्रकार की आये दिन होने वाली घटनाओं को रोकने में पूर्णतया असमर्थ साबित हो रहा है।

अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि सरकार इस संबंध में वक्तव्य दे और दोषी लोगों के विरुद्ध तत्काल आवश्यक कार्यवाही करे ताकि यात्री सफर में सुख की सांस ले सके।

लखीमपुर खीरी के ग्राम तुलसिलगंज निवासी श्री शिव दयाल हरिजन की गोला भूमि विकास बैंक के कर्मचारियों द्वारा पिटाई से मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री थम्मन सिंह—

मान्यवर, लखीमपुर खीरी के ग्राम तुलसिलगंज निवासी अनुसूचित वर्ग के श्री शिव दयाल की गोला भूमि विकास बैंक के कर्मचारियों द्वारा निर्मम पिटाई के कारण दर्दनाक मृत्यु हो गई।

22 वर्षीय युवक शिव दयाल को कर्मचारियों ने इसलिये पकड़ा था कि उस पर उनके अनुसार बैंक का बकाया था। शिव दयाल ने बताया कि कर्जा मेरे पिता ने लिया था अभी जमीन उन्हीं के नाम है। आप कुर्की कर लें। इतना सुनते ही कर्मचारियों ने पिटाई प्रारम्भ कर दी। 2 दिन अपने पास रख कर बराबर पीटते रहे कि 30 जून को उसके प्राण पखेरू उड़ गये।

मान्यवर, तब तक घर वाले भी पहुंच चुके थे। बैंक वालों ने लाश जलाने के लिये चिता लगा ली। किसी प्रकार एस0 डी0 एम0 तथा पुलिस जनों ने पहुंच कर लाश कब्जे में की तथा घर वालों को दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लखीमपुर खीरी के ग्राम तुलसिलगंज निवासी श्री शिव दयाल हरिजन की गोला भूमि विकास बैंक के कर्मचारियों द्वारा पिटाई से मृत्यु के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना।

घटना से क्षेत्र में भीषण उत्तेजना है। सहकारी विभाग के देयों की सूखा पीड़ित किसानों से वसूली के लिये प्रताड़ना की यह करुण कहानी, सरकार के उस खोखले निर्देश का पर्दाफाश करती है, जिसमें यह कहा गया है कि वसूली में प्रताड़ना की कार्यवाही नहीं की जायेगी।

मैं यह तथ्य आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में लाकर दो माँगें करता हूं। पहली यह कि दोषी कर्मचारियों को कठोर दंड तथा नवयुवक हरिजन के आश्रितों को आर्थिक सहायता दी जाय।

बस्ती जनपद के कतिपय विकास खण्डों में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बनी सड़कों में मजदूरों को मजदूरी दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सचना

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं:—

बस्ती जनपद के विकास खण्ड इटवा, खुनियाँव, भनवापुर के अधिकतर गाँवों में पिछली 4 फसलें बाढ़, ओलें, सूखे तथा नमी के अभाव में बुवाई न होने के कारण बर्बाद हो गयीं जिसके फलस्वरूप किसानों तथा मजदूरों के घरों में खाने को अन्न नहीं है। मजदूरों से खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत ओनरा-रतनपुर मार्ग, कोढडोरा-तिलोकपुर मार्ग तथा विभिन्न अन्य कार्यों पर कार्य कराया गया परन्तु उन्हें आज तक कोई मजदूरी नहीं मिल पायी। केवल रतनपुर-कोनरा मार्ग पर लगभग 45,000 रु0 का मस्टर रोल बायब बताया गया है जबकि जिला परिषद् से भुगतान ले लिया गया है और मजदूरों को नहीं दिया गया है। खुनियाँव विकास खण्ड के गौड़डीह, धनगढ़वा, गौरा तथा इटवा विकास खण्ड के भुड़िलावक्तसा कठेला सरकी, जिगिना माफी न्याय पंचायतों में इस समय लोगों के घरों में दो-दो तीन-तीन समय उपवास हो रहा है तथा गौरडीह में यातायात का अभाव होने के नाते 3.50 पैसे में चावल उपलब्ध नहीं है। सरकारी गल्ले की दुकानों पर गल्ला नहीं भेजा जा रहा है। इसलिये वहाँ के हजारों मजदूरों के मजदूरी बकाये के फल-स्वरूप तथा कोई रोजी की व्यवस्था न होने के कारण किसानों में और उनमें विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गयी है। यह नहीं कहा जा सकता कि कब भूख से मौत हो जाये।

अतएव आपके माध्यम से माँग करता हूं कि शासन मजदूरों की मजदूरी अविलम्ब दिलाने तथा वहाँ के भूखे लोगों में अन्न की व्यवस्था कराने की तत्काल व्यवस्था करे।

मऊनाथ भंजन के हैन्डलूम व पावर लूम उद्योग में लगे मजदूरों की विषम परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री खैरुल बशर—

मान्यवर, आजमगढ़ जिले के मऊनाथ भंजन के हैन्डलूम एवं पावर लूम उद्योग की स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है। उस पर निर्भर करने वाले लगभग 1 लाख लोग तबाही की अंतिम कगार पर हैं। सरकारी सहायता से वहाँ के बुनकर वंचित रह जाते हैं। अथक परिश्रम के बाद भी भरपेट रोटी नहीं जुटा पाते। अधिकांश बुनकर टी0 बी0 जैसी घातक बीमारी के शिकार हो चुके हैं। मिल-मालिकों और महाजनों की लूट से त्रस्त बुनकर बैंक के कर्ज की मुसीबत से भी मुक्त नहीं हैं। जोर जबरदस्ती कर्जे की वसूली की जा रही है। हैण्डलूम कारपोरेशन बुनकरों के हितों को सिद्ध न करके महाजनों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खैरुल बशर]

के चंगुल में जा फंसा है। बुनकरों को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार कर उनकी संकट की घड़ी में और ज्यादा बदहाल बनाया जा रहा है।

उक्त अहम् मसले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए शासन से मांग करता हूं कि बुनकरों को कर्जों से मुक्त किया जाय और उनके खिलाफ उत्पीड़क कार्यवाहियां बंद की जायें

जिला मुजफ्फरनगर में गुरुद्वारा पंचदराह को शरारती तत्वों द्वारा जला कर नष्ट किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजीत सिंह सेठी—

अध्यक्ष जी, प्रदेश तथा देश के सिक्ख समुदाय तथा गुरुनानक नाम लेवा व्यक्ति उत्पीड़ित हैं, इस खबर से कि मुजफ्फरनगर में गुरुद्वारा पंचदराह, जिला मुजफ्फरनगर को शरारती तथा स्वार्थी तत्वों ने आग लगाकर राख ही नहीं कर दिया बल्कि 6 गुरुग्रंथ साहब की पवित्र बीडों को विध्वंस कर दिया।

सन् 1947 में भारत के विभाजन के बाद मुजफ्फरनगर में कस्टोडियन की किरायेदारी में गुरुद्वारा पंचदराह स्थापित हुआ था। कस्टोडियन द्वारा जायदाद के बेंच देने के बाद मालिकान जायदाद गुरुद्वारा को यहाँ हटाने की नाकाम कोशिश करते रहे हैं। परन्तु गुरुद्वारा उस स्थान से न हट सका।

अब 9 मई, 1980 की रात्रि को पापी व्यक्तियों द्वारा गुरुद्वारा को आग लगा दी गई। इस तरह गुरुद्वारा का स्थान ही नष्ट नहीं किया अपितु समुदाय के हृदय सम्राट गुरु ग्रन्थ साहब की पावन वीणों को अथवा अन्य कीमती सामान को जलाकर राख कर दिया।

थाना कोतवाली मुजफ्फरनगर में रिपोर्ट लिखवाई गयी। परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्षेत्र की सिक्ख संगत इस कहर से व्याकुल है और न्याय चाहती है।

आप द्वारा प्रदेश के शासन विशेष कर मुख्य मंत्री का ध्यान इस उपरोक्त घृणित कांड की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और माँग करता हूं कि दोषियों को बुरन्त पकड़ कर उचित दन्ड दिलाया जावे। साथ ही गुरुद्वारा को पुनः स्थापित किया जावे।

कार्य-मन्त्रण समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनाँक 11 जुलाई, 1980 की बैठक में सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित संस्तुतियाँ की हैं:—

1—16 जुलाई, 1980 को अपराह्न 4 बजे तक—उत्तर प्रदेश अनन्तिम कर संग्रहण विधेयक, 1980 पर विचार एवं उसका पारण होगा।

2—उक्त दिनाँक को अपराह्न 4 बजे—वित्तीय वर्ष 1980–81 के आय-व्ययक के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त उक्त वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया जायेगा और तत्पश्चात् लेखानुदान के प्रस्ताव पर विचार, माँगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग बिधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

3—16 जुलाई के उपरान्त सदन 4 अगस्त, 1980 को बैठेगा और उस समय वित्तीय वर्ष 1980–81 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा प्रारम्भ होगी।

(संसदीय कार्य मन्त्री को पुकारे जाने पर)

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप नियम 226 को देख लें.....

श्री अध्यक्ष—

संसदीय कार्य मन्त्री, जो सूचना मैंने दी है, उसके सम्बन्ध में आप प्रस्ताव करें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों, जिन की सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गई है, से सहमत है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

श्रीमन्, मैं नियम 187 का हवाला देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया शान्ति रखें। यह कार्यक्रम कार्य-मन्त्रणा समिति से आप सब के द्वारा स्वीकार किया गया है और उसकी सूचना मैंने दी और संसदीय कार्य मन्त्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस आदरणीय सदन का जो अन्तिम कार्य प्रस्तुत हुआ है उसमें आय-व्ययक पर साधारण विवाद के लिए 4 दिन दिए गये हैं। इस सम्बन्ध में आप कृपया नियम 187 देखने का कष्ट करें। इसमें साफ दिया हुआ है कि आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा सामान्यतया 5 दिन होगी। तो जब नियम कहता है कि 5 दिन साधारण चर्चा होगी तो फिर कौन सी असामान्य परिस्थिति पैदा हो गयी है कि 4 दिन के समय पर कार्य-मन्त्रणा समिति में विचार हुआ? तो इस पर पुनर्विचार होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य 4 तारीख को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। यह तो अंतिम रूप से आपके सामने प्रस्तुत है। जब 4 अगस्त की बैठक होगी उसमें अंतिम रूप से स्वीकार होगा, उस समय जैसी स्थिति होगी उसी तरह विचार होगा उस वक्त आप फिर अपना विचार प्रस्तुत करेंगे।

तो प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों, जिन की सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गई है, से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

बागपत, जिला मेरठ में पुलिस द्वारा तीनों व्यक्तियों की कथित हत्या एवं सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में वक्तव्य

[समय 11.46 पूर्वाह्न से]

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

मान्यवर, मैंने एक नियम 51 के अन्तर्गत सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष—

यह आखिर में आयेगा जब नियम 51 की सूचना आयेगी।

श्री परमाई लाल—

मैंने एक विशेषाधिकार की सूचना दी थी उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 का अब समय समाप्त हो चुका है। जब विशेषाधिकार की सूचनाओं का समय आयेगा तब इसे देखेंगे।

अब मैं मद संख्या 6 पर आता हूं क्योंकि मद 5 और 10 एक ही विषय से संबंधित हैं। इसलिए उस समय इस पर भी वक्त मिलेगा जब मद संख्या 10 आयेगी।

श्री मोहन सिंह—

आपने जब मद 5 और 10 दोनों को जोड़ दिया है तो हम मद 5 पर प्राथमिकता देते हैं। इसलिए इसको पहले ले लें आइटम 10 को भी इसके साथ जोड़ दें तो कोई आपत्ति नहीं।

श्री मुख्तार अनीस—

5 पर आपने 10 को जोड़ दिया है हम 5 पर प्रेस करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

उस समय भी उत्तर प्रत्युत्तर हो जायेंगे।

श्री मोहन सिंह—

दोनों को जोड़ दिया है तो हम 5 पर ही जोर देते हैं।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है मद 5 लेते हैं।

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ द्वारा शासन को यह सूचना दी गई कि 18-6-80 को थाना बागपत में लगभग 12.30 बजे दिन के यह इत्तला प्राप्त हुई कि कुछ अपर घी चौराहे के पास हैं और वारदात करने का इरादा रखते हैं। इस इत्तला पर लगभग 12.50 बजे उप निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह अन्य पुलिस जनों के साथ मौके पर गये जहां उन्होंने एक औरत और दो आदमियों को एक गाड़ी में बैठे पाया, तीन आदमी कार के बाहर खड़े थे और एक आदमी पास की दुकान पर था। बताया जाता है कि उप निरीक्षक नरेन्द्र सिंह द्वारा पूछताछ करने पर पुलिस व इन व्यक्तियों के बीच हाथापाई हुई जिस पर इन व्यक्तियों ने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने भी आत्म सुरक्षा में गोली चलाई। गोलियों के इस आदान-प्रदान में तीन व्यक्ति मौके पर मारे गये, जिनके नाम बाद में ईश्वर त्यागी, राजेन्द्र शर्मा और सुरेन्द्र पता चले। इनके दो साथी मौके से भाग निकले और पुलिस द्वारा पीछा करने पर भी पकड़े नहीं जा सके। पुलिस दल ने लौटने पर जनता द्वारा गाड़ी के ड्राइवर व महिला को मारने व महिला के साथ अभद्र व्यवहार करते पाया इस पर पुलिस ने हस्तक्षेप कर ड्राइवर और महिला को गिरफ्तार किया और थाने ले गई। महिला के गुप्तांगों से खून बह रहा था, अतः उसका प्राथमिक उपचार करवा कर उसे मेरठ डफरिन अस्पताल भेजा गया।

2—इस घटना के सम्बन्ध में शासन को कुछ शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं, जिनके अनुसार पुलिस द्वारा बताया गया घटनाक्रम सही नहीं है और यह आरोप लगाया गया कि पुलिस ने इस महिला के साथ जा रहे साथियों में से तीन को मार डाला और महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया। इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुये शासन ने इस मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को 23-6-80 को सौंपी।

3—उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना बागपत पर अपराध संख्या 168 से 172 पंजीकृत किये गये। उक्त महिला का डाक्टरी परीक्षण उसी दिन लगभग 7.15 बजे सायं किया गया। डाक्टरी आख्या में महिला का नाम श्रीमती सुदेश पत्नी राजेश निवासी फरीदाबाद अंकित है और इस रिपोर्ट के अनुसार महिला के गुप्तांग से खून बह रहा था और इस रिपोर्ट में यह सम्भावना व्यक्त की गई है कि महिला के गुप्तांग में आई चोटें बलात्कार के परिणाम स्वरूप हो सकती हैं। परन्तु डाक्टरी परीक्षण के दौरान लिये गये 'स्मियर' के परीक्षण पर इसमें कोई जीवित अथवा मृत शुक्राणु नहीं पाये गये।

4—इस घटना के सम्बन्ध में लगाये जा रहे आरोपों की गम्भीरता और मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुये 3-7-80 को शासन ने महिला के साथ कथित

अभद्र व्यवहार की जांच हेतु जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत एक आयोग गठित किया। इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों द्वारा जांच में हस्तक्षेप व बाधा उत्पन्न करने की सम्भावना के सम्बन्ध में कोई आशंका उत्पन्न हो सकती है, शासन ने घटना से सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों के स्थानान्तरण के आदेश भी दे दिये। जांच आयोग की जांच के आधार पर अन्य जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी, की जावेगी।

5--इस घटना के परिपेक्ष्य में एक राजनीतिक दल ने अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार गिरफ्तारियां देने का कार्यक्रम शुरू किया जिसके अन्तर्गत 7-7-80 को 313 कार्यकर्त्ताओं ने गिरफ्तारी दी। पुलिस द्वारा कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया और न ही किसी गिरफ्तार व्यक्ति के कोई चोट आई। इस आशय की कोई शिकायत जिला मजिस्ट्रेट ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महा निरीक्षक या रिमान्ड के समय मजिस्ट्रेट से नहीं की गयी।

6--इस सदन के माध्यम से मैं सभी संस्थों व राजनैतिक दलों के कार्यकर्त्ताओं व समाज सेवियों से पुनः यह अपील करूंगा कि इस घटना को केवल राजनैतिक रूप देने की चेष्टा न करें और घटना की गम्भीरता व इसके मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुये जांच आयोग के कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें।

श्री धनी राम वर्मा--

यह सब झूठ है।

(व्यवधान)

(कई सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष--

आप पहले मेरी बात भी तो सुन लें। मद संख्या 5 पर जो वक्तव्य आया है, यह नियम 56 में कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में मेरे पास आया था, जो अस्वीकार हुआ था, किन्तु इस पर एक निर्देश हुआ था कि मुख्य मंत्री जी इस पर एक वक्तव्य दे दें। मद संख्या 10 पर जो वक्तव्य है, वह नियम 51 में जो वक्तव्य स्वीकार हुआ था, वह है। इसे पढ़ने से ऐसा लगता है कि मद संख्या 5 व 10 दोनों को एक में जोड़ दिया गया है। इसलिए अब दोनों को शामिल करके आप लोग स्पष्टीकरण मांगें। अब इसके अलग से आने का प्रश्न नहीं है। श्री जनार्दन प्रसाद ओझा.....

श्री मोहन सिंह--

इसमें केवल स्पष्टीकरण से काम चलने वाला नहीं है। इसमें तो पूरे सदन को गुमराह करने की पूरी तरह से चेष्टा की गई है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय ओझा जी को बुलाया है, आप कृपया बैठिये।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह सूचना जो अभी यहां दी गयी है ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या यह सरकार पुलिस की सूचना को सही मानेगी या जिलाधीश की सूचना को सही मानेगी? इस पर मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप शासन से सूचना चाहते हैं शासन आपको सूचना देता है। अब वह किस मे सूचना प्राप्त करता है इससे हमें मतलब नहीं है।

(व्यवधान)

श्री पंचानन---

मैंने भी एक नियम 51 का नोटिस दिया था, मेरे नोटिस के बारे में वक्तव्य में कुछ नहीं कहा गया है। मैंने कहा था कि चौधरी चरण सिंह और उनका दल पूरे प्रदेश में अराजकता पैदा करना चाहता है और उस पर तुला हुआ है।

(व्यवधान)

उसके बारे में इसमें कोई चर्चा नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठें, अगर नहीं है तो आप प्रश्न पूछकर स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान) माननीय पंचानन जी ने एक सूचना दी और उसके बारे में एक शब्द भी इसमें नहीं कहा गया है. . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

उसके लिये वे स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र---

सूचना अधूरी है, आप इसे दूसरे दिन के लिये स्थगित कर दें। जब पूरा वक्तव्य आ जाये तब इसे लें।

श्री अध्यक्ष---

आपका सुझाव मैंने सुन लिया, आप कृपया बैठें।

श्री काशीनाथ मिश्र---

यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आरोप दोनों तरफ के हैं, इस सत्ता पक्ष का जो आरोप है उसका भी जवाब आना चाहिये।

(व्यवधान)

(शोर)

(व्यवधान)

(अनेक सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य बैठ जायें।

(व्यवधान)

कृपया आप लोग बैठ जायं। मैं अत्यन्त विनम्रता से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पंचानन राय जी की जो सूचना थी और जो इधर के माननीय सदस्य की सूचना थी, दोनों स्वीकार हुई थीं। दोनों पर शासन को वक्तव्य देने के लिए निर्देश हुए थे। शासन की तरफ से वक्तव्य आया है। अब आपके समक्ष जो वक्तव्य है, उस वक्तव्य को देखते हुए जो स्पष्टीकरण चाहते हों, चाहे इधर के माननीय सदस्य प्रश्न करें, चाहे माननीय पंचानन राय जी प्रश्न करें। जो खामियां हों, उसको स्पष्टीकरण मांग करके पूरा करें। अब इसमें कौन सी बात आ गयी जो माननीय काशीनाथ जी खड़े हो गये।

(व्यवधान)

एक सदस्य---

मान्यवर, इनकी आदत है।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, जिस दिन आपका निर्वाचन हुआ, उसी दिन यह प्रश्न माननीय सदन के समक्ष आया।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह परिपाटी भी रही है कि जब महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा हो, तो कार्य-स्थगन का प्रश्न आता नहीं है।

(व्यवधान)

लेकिन चूंकि यह राज्य का विषय हो गया है, इसलिए आपने यह व्यवस्था दी थी कि "मैं माननीय नेता सदन को निर्देशित करता हूं कि वह इस पर वक्तव्य दे दें।" मान्यवर, जिस तरह का वक्तव्य माननीय नेता सदन ने सदन के सामने रखा है, स्पष्टीकरण के लिए तो कुछ बचता ही नहीं है, सारी गुत्थियां इसमें उलझा दी गयी हैं। मान्यवर, पूरे सदन को गुमराह करने के लिए यह वक्तव्य तैयार किया गया है।

(व्यवधान)

श्री राम औतार दीक्षित—

मान्यवर, अभी आपने अपनी व्यवस्था दी कि वक्तव्य पर केवल स्पष्टीकरण की अनुमति है। लेकिन जो इतनी लम्बी चर्चा माननीय मोहन सिंह कर रहे हैं, इस पर आप क्या व्यवस्था दे रहे हैं ?

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, उसी दिन आपकी पीठ से आश्वासन हुआ था कि आवश्यकता पड़ने पर स्पष्टीकरण दिलायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

यदि इस वक्तव्य में ऐसी कोई बात अस्पष्ट लगती हो, तो उसका स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं।

श्री मोहन सिंह—

इसमें सारी बातें, मान्यवर, अस्पष्ट हैं। मान्यवर, आप हम लोगों के हितों की हिफाजत करें। ये लोग संख्या सुर से हम लोगों को दबाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

झूठे तथ्य हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में रखे गये। इन्हीं की पार्टी की नेता श्रीमती मोहसिना किदवई ने कहा है कि जिस तरह की घटना हुई है, उससे हिन्दुस्तान को शर्म से झुक जाना चाहिए और उसके बावजूद भी इस सदन को गुमराह करने के लिए, इस सदन में इस तरह का वक्तव्य लाया गया है।

(व्यवधान)

आप कहते हैं कि दो व्यक्ति भागे, पकड़े नहीं गये, भाग गये।

श्री अध्यक्ष—

आप इनसे सूचना चाहते हैं कि स्वतः सूचना देंगे।

श्री मोहन सिंह—

इसमें मान्यवर, यह चाहता हूं कि आप इस पर चर्चा का कुछ समय निर्धारित कर दें, तो हम लोगों को पूरा पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। मान्यवर, एक विशेषाधिकार का सवाल मैंने दिया था। वह विशेषाधिकार का सवाल यह था कि जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस घटना के संबंध में जुडीशियल कमीशन नियुक्त करने की घोषणा की थी, उस जुडिशियल इन्क्वायरी . . . .

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

मोहन सिंह जी आपने वक्तव्य पर इतने विचार रखे और यदि इस पर अपना स्पष्टीकरण नहीं चाहते और यदि आपका कहना है कि सारा का सारा वक्तव्य अस्पष्ट है तो ऐसी स्थिति में आप नियम 52 में सूचना दें तो मैं चर्चा कराने की अनुमति दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश जिंदल--

मान्यवर, इस पर जब जुडिशियल इन्क्वायरी करा दी गयी है तो इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए।

एक सदस्य--

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि क्या उन्हें जानकारी है कि बागपत में जो लोग मारे गये हैं, उन पर 3--3 और 4--4 कत्ल के मुकदमें हैं और वे हिस्ट्रीशीटर लोग रहे हैं?

श्री अध्यक्ष--

कृपया सभी माननीय सदस्य बैठ जायें, व्यवधान उत्पन्न न करें। यदि आप लोग स्पष्टीकरण चाहते हैं तो इस पर विचार किया जा सकता है।

(व्यवधान)

माननीय नेता विरोधी दल, आप कृपया अपने सदस्यों को शांत करें।

एक सदस्य--

मान्यवर, नोटिस इनका भी स्वीकार हुआ है और हमारा भी स्वीकार हुआ है। जब इन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है तो हमको भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप सभी एक साथ न बोलें और अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने एक व्यवस्था दी कि स्पष्टीकरण किया जाय इसके पश्चात् माननीय पंचानन राय ने स्पष्टीकरण माँगा, मैंने उनको अवसर दिया।

एक सदस्य--

पंचानन राय ने जो स्पष्टीकरण पूछा है उसका जवाब नहीं आया। इसको पहले नेता विरोधी दल खड़े हो गये।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप सब बैठ जायं। माननीय पंचानन राय और इधर से मोहन सिंह का प्रश्न था उसी के ऊपर वक्तव्य आया है, मोहन सिंह ने स्पष्ट कहा कि इस पर सारा का सारा वक्तव्य अस्पष्ट है। स्पष्टीकरण से कोई बात नहीं पैदा हो सकती है। तथ्य पूरे हैं या नहीं इससे मेरा मतलब नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया वह आपके समक्ष है। कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया शान्त हो कर सुनें। दूसरे सदस्य माननीय पंचानन राय थे उनको भी उतना ही अधिकार है, स्पष्टीकरण पूछने का।

श्री मोहन सिंह—
उनकी बात भी नहीं आयी ।
(श्री ऊदल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—
प्रत्येक सदस्य का अधिकार उतना ही सुरक्षित है जितना ऊदल जी आपका है ।

श्री मोहन सिंह—
माननीय पंचानन राय का भी तथ्य नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष—
मोहन सिंह, जी यह आपकी तरफ से नहीं आयेगा ।
(शोर)
कृपया शाँति पूर्ण ढंग से सुनें उसके बाद आगे. . . .

श्री मोती लाल देहलवी—
आपने नेता विरोधी दल को बुलाया था ।

श्री अध्यक्ष—
नेता विरोधी दल को इसीलिये बुलाया था कि वह अपने सदस्यों को शान्त रहने का अनुरोध करें। लेकिन अब ये शान्त हो गये हैं ।
(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—
कृपया सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलनें दें . . . .

एक सदस्य—
हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है ।
(लोक दल के कई सदस्यों ने मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की प्रति को सदन में फाड़ कर फेंका तथा लोक दल के सदस्य खड़े हो गये । बाद में वे डायस के सामने खाली स्थान पर आकर बैठ गये और वे "इंकलाब जिन्दाबाद" तथा "गुण्डागर्दी नहीं चलेगी" के नारे लगाने लगे)
(लोक दल के सदस्यों ने, जो डायस के सामने खाली स्थान पर बैठे हुए थे, "चौधरी चरण सिंह जिन्दाबाद" का भी नारा लगाया ।)

श्री अध्यक्ष—
ऐसी स्थिति में मैं सदन आधे घंटे के लिए स्थगित करता हूं ।
(इस समय 12 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घन्टे के लिए स्थगित हुई। 12 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही 10 मिनट और स्थगित रहने की सूचना मार्शल द्वारा दी गई है ।
तदुपरान्त 12 बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

सदन के आज के कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—
मद संख्या 5 और 10 पर वक्तव्य हुआ था और उसके पश्चात् स्पष्टीकरण की प्रक्रिया चल रही थी कि तभी यह सदन स्थगित करना पड़ा । इसके पश्चात् माननीय नेतागण, नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य सभी नेतागणों के समक्ष जो आपस में विचार विमर्श हुआ उसमें जो निर्णय हुआ वह सदन को बता देना चाहता हूं । मद 5 और 10 होनों ही बागपत से सम्बन्धित हैं इनके बारे में आज साढ़े पाँच बजे से 7 बजे तक चर्चा होगी । मद 6 पर 5 बजे से साढ़े पाँच बजे तक वक्तव्य और उस पर

[श्री अध्यक्ष]

स्पष्टीकरण होगा। मद संख्या 11 जो बाढ़ के सम्बन्ध में है, स्थगित किया जाता है। प्रदेश में बाढ़ की कई अन्य सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इसलिये पूरे से सम्बन्धित एक वक्तव्य प्रदेश में बाढ़ के संबंध में मुख्य मंत्री जी देंगे। प्रदेश की स्थिति को देखते हुए पूरा वक्तव्य होगा जो पूरे प्रदेश से सम्बन्धित होगा।

कई सदस्य—

कब आयेगा ?

श्री अध्यक्ष—

16 को आयेगा।

एक सदस्य—

एक मैंने भी दिया था।

श्री अध्यक्ष—

पूरे प्रदेश के संबंध में होगा। जहाँ का आपने दिया है, सभी आ जायेगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नि.म 56 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन की 7 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं।

श्री मोती लाल देहलवी, श्री मुख्तार अनीस, श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ और श्री माता प्रसाद ने.....

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, इतना पहले सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

यह मद ले लिया है। मैंने देख लिया है, निर्णय हो गया है उसको आपके सामने रख दिया है।

इन लोगों ने बलात्कारी थानेदारों से उन्नाव निवासी शान्ति देवी व उनके परिवार वालों को खतरा के सम्बन्ध में दिया है। श्री हुकम सिंह जी ने भी इसी से सम्बन्धित दिया था, श्री ऊदल ने 8 जुलाई, 1980 की रात को वाराणसी जिले के मुगलसराय स्टेशन के पास ट्रेन को लूटने के सम्बन्ध में, श्री मोहन सिंह जी ने लखनऊ नगर में कानून व्यवस्था की गिरती हालत के सम्बन्ध में, श्री राम सागर, सत्यपाल सिंह ने गोंडा जनपद में एक महिला के साथ बलात्कार के सम्बन्ध में, श्री विद्यासागर नौटियाल ने टेहरी जिले के अन्तर्गत हिंडोलाखाल में मोटर मार्ग के ध्वस्त हो जाने के सम्बन्ध में और श्री हरिकिशन श्रीवास्तव ने दिनांक 10-7-80 को श्री राजेश पायलेट, संसद सदस्य एवं चन्द्रसेन सिंह, विधायक द्वारा प्रधान मंत्री कोष से धन देने के वायदे के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिये हैं। जितने प्रस्ताव कार्य-स्थगन के आये थे यह सभी अस्वीकृत हुये।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, लखनऊ में जो कानून व्यवस्था की हालत है, वह बहुत ही खराब है। जी0 पी0 ओ0 से पार्सल करते हुए बैंक कर्मचारी से सरे आम विदेशी मुद्रा चोरी कर ली गयी। एक पुलिस अफसर की कार चुरा ली गयी। जितनी बुरी दशा प्रदेश की राजधानी में कानून और व्यवस्था की है, उतनी आज तक कभी देखने को नहीं मिली है। मेरी आप से प्रार्थना है कि आप निर्देश देकर माननीय मुख्य मंत्री जी से एक वक्तव्य दिला दें।

श्री अध्यक्ष—

इस समय सदन में माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में चर्चा चल रही है है। अतः जो आप कहना चाहें, उसमें कह सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, नियम 56 में ही मैंने उन्नाव जिले के नवलगंज गाँव में बलात्कार के सम्बन्ध में एक सूचना दी थी जिसमें कहा था कि जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है वह गैर शादी शुदा है और नाबालिग है।

श्री अध्यक्ष—

आपकी यह सूचना अस्वीकृत हो चुकी है।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, कल वह लड़की यहाँ पर सचिवालय में आयी थी। इस समय उसकी जान खतरे में है, वह संरक्षण पाने के लिए यहाँ पर आयी थी। उसने प्रेस के लोगों के सामने अपना बयान दिया है। सारी चीज साफ हो चुकी है। लड़की के साथ दो थानेदारों ने बलात्कार किया है। वहाँ के एस0 डी0 एम0 उसके मकान पर गये। लड़की के पिता और छोटी बहिन की जान खतरे में है।

श्री अध्यक्ष—

इस बारे में आपने कल सदन में सूचना दे दी थी।

(व्यवधान)

कल सदन में जब आपने सूचना दी थी कि वह लड़की यहाँ पर आयी हुयी है तो उस समय सदन में मंत्री जी उपस्थित थे और उनको निर्दिष्ट कर दिया गया था कि वे उसकी सुरक्षा को देखें और तुरन्त ही उन्होंने आपके समक्ष बताया था कि उन्होंने होम सेक्रेटरी को आदेश दे दिया है। और उस लड़की की सुरक्षा के संबंध में सदन को अवगत करा दिया था। इसके बावजूद भी अगर उसकी जान को खतरा है तो मैं पुनः शासन को निर्देश दे दूंगा।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, यह "स्वतंत्र भारत" अखबार है। इसमें छपा है कि "उन्नाव के पुलिस अधीक्षक श्री ललित मोहन सिंह ने 2 पुलिसजनों द्वारा नवाबगंज में एक हरिजन महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप का खंडन किया है"।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, नियम 56 की सूचना है। वह लड़की बयान दे चुकी है, प्रेस वालों के सामने। बड़ी ही गम्भीर घटना है। पुलिस वाले उस लड़की को ले जाना चाहते हैं। एस0 डी0 एम0 ने जबरदस्ती उस लड़की का एक सादे कागज पर अंगूठा लगवा लिया है।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सम्मानित सदस्य बहुत पुराने और अनुभवी हैं। जब आपका निर्णय एक बार पर हो गया तो क्या वे पुनः उसी बात पर बोलने की चेष्टा करें यह उचित है।

श्री अध्यक्ष—

आपकी सूचनायें आयी हैं। यह मैंने स्वयं भी कहा। अब कैसे कार्यवाही चले अबमें सहयोग की तरफ भी ध्यान रखें। तो उसको मैंने पढ़ा। जिस विषय पर था, उसको पढ़ा था। जिसके नाभ से था, उसको पढ़ा और इसके बाद भी समय लेकर उस विषय पर जितना कहना चाहते थे, आप लोगों ने कह डाला। अब इसके बाद कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें।

[समय 1·10 अपराह्न]

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

अब मैं श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू करना चाहता हूं।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मेरा निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप कृपया बैठ जायें। मैंने 8 वां आइटम ले लिया है।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

मान्यवर, मंत्री जी चर्चा पर 7-00 बजे जवाब देंगे । आप केवल मेरा पत्र उनको दे दें ताकि उसका उत्तर वह दे दें।

श्री ऊदल—

मान्यवर, आपने कहा कि बैठ जाओ तो मैं बैठ गया। मैंने एक प्रस्ताव किया था। आपने आदेश दे दिया। उसमें मैं केवल 2 मिनट निवेदन करना चाहता था। आपने कहा—बैठ जाओ, तो मैं बैठ गया। मैं बोल नहीं पाया। मुझे, मान्यवर, कुछ ऐसा महसूस होने लगा है कि "अधिक सियाइहु ते बड़ दोषू।"

श्री अध्यक्ष—

अब आप कृपया बैठें। और लोग भी खड़े हो रहे हैं। नियमों का पालन नहीं हो रहा। मैं पहले कहना चाहता हूं कि आज श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर सभी माननीय सदस्य, जिसमें नये आने वाले सदस्य भी हैं और पुराने भी हैं, बोलना चाहते हैं। सदन का काफी समय अन्य कार्यों में लग गया। थोड़े समय के लिये स्थगित भी हुआ। बहुत से लोग बोलना भी चाहते हैं। ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि सदन की अनुमति हो तो जो 10 मिनट का समय दिया है प्रत्येक माननीय सदस्य को, वह समय कुछ कम कर दिया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

7 मिनट कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, 7 मिनट के लिये कर रहे हैं। कृपया प्रत्येक सदस्य अब 7 मिनट से ज्यादा न बोलिये।

श्री विजय सिंह राना—

नये लोगों को चांस नहीं मिला। उनको ज्यादा मौका दिया जाय।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

परम श्रद्धेय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपके प्रति धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं श्री संजय सिंह जी के महामहिम राज्यपाल को धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन इसलिये भी करना चाहता हूं क्योंकि वह पिछले अभिभाषणों से कुछ भिन्न सा है। इसमें प्रदेश की महान जनता के प्रति जिन्होंने इस सत्यनिष्ठ सरकार के पक्ष में मतदान किया है, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। मैं इसलिये भी समर्थन करना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में इसके दूसरे पैराग्राफ में उन लोगों के प्रति भी कृतज्ञता और आभार प्रदर्शित किया गया है,—निष्पक्ष मतदान दिलाने में बहुत प्रयास किया है—चाहे पश्चिम के जिले हों, चाहे मेरठ हो, चाहे बुलन्दशहर हो, वह इलाका चाहे छपरौली का हो या बागपत का हो वहां के तमाम लोगों को मत दिलाने में राजकीय लोगों का सहयोग मिला है इसलिये मैं इस

---

†दिनांक 9 जुलाई, 1980 की कार्यवाही से।

अभिभाषण का स्वागत करता हूं। मैं इसलिये भी स्वागत करना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में सामान्य जन जीवन को अस्त-व्यस्त करने वाले असामाजिक तत्वों को दंडित करने का संकल्प दोहराया गया है।

एक चीज के बारे में मैं और निवेदन करना चाहता हूं। माननीय नेता विरोधी दल जिस वक्त वह बोल रहे थे तो एक ही चर्चा थी। आज पता चला है कि उस चर्चा के लिये अलग से समय निर्धारित हुआ है। वह है बागपत के बारे में। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान तीन साल पहले के एक काँड के बारे में दिलाना चाहता हूं। जब डाकू सन्दर सिंह मारा गया था तो इनके राज्य में उस संबंध म एक आयोग बठा। डाकू सुन्दर सिंह के मारे जाने पर आयोग बैठाना तमाम उन अपराधों के लिए एक उत्साह था, एक प्रेरणा थी कि तुम अपराध करते जाओ तुमको बचाया जायगा। उन दिनों यहाँ पर और केन्द्र में आपका शासन था और आपके शासन में जिस वक्त सन्दर काँड पर आयोग बैठाया गया और अधिकारियों को दंडित किया गया तो तमाम पुलिस अधिकारियों का मनोबल गिरा। मैं पुलिस अधिकारियों की वकालत नहीं करना चाहता हूं लेकिन यह कहना चाहता हूं कि जो अपराधों को करते हैं, डाका, चोरी करते हैं अगर चोरों को पकड़ा जाय, डकैतों को पकड़ा जाय तो नेताओं की अपराधियों को बचाने की कार्यवाही नहीं हो। नेताओं की कार्यवाही उन तमाम लोगों के लिए हो जिनकी सुरक्षा पुलिस ताकत सें नहीं हो पाती। इसी तरह से बागपत काँड हुआ उसमें तीन खूंखार अपराधी मारे गए। वक्तव्य सामने आया, अपराधियों को मारे जाने पर एक महिला की चर्चा आयी है। उस महिला के बारे में पता चला है कि शादी होने के पहले से श्रीमती सुदेश जिनका नाम लिया गया है, उनका इन लोगों से ताल्लुक था। शादी उसके बाद हुयी। इससे प्रवृत्ति मालूम पड़ती है कि वह किस प्रवृत्ति की महिला थीं जिनके साथ उनकी सोहबत थी, उनके संबंध में आप अपने ध्यान में सोचें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उन अपराधों की तरफ जो 3 साल में जनता पार्टी और लोकदल की सरकार ने किया। उस संबंध में एक भी आयोग बनाने की उनका भंडा फोड़ करने की, कोई बात नहीं की गयी। मैं प्रयास करके आपको लाइब्रेरी से, आपके नेताओं के संबंध में कुछ कटिंग्स निकाले हैं। वैद्य लिंगम रिपोर्ट है, काँति देसाई के साथ-साथ श्रीमती गायत्री देवी और पदमा देसाई का नाम उसमें लिखा गया है। वह दोषी हैं, सबसे बड़े नेता लोकदल के चौधरीचरण सिंह की वह धर्म पत्नी हैं।

(माननीय सदस्य ने एक अखबार की कटिंग सदन में दिखाई।)

उनकी धर्म पत्नी पर आरोप है कि वह हुक्म देती थी लोगों को कि वह जाकर काम करें। माननीय नेता विरोधी दल के प्रति मुझे आदर है, यह बचारे मुख्य मंत्री होते होते बचे क्योंकि दिल्ली से हुक्म आया और राम नरेश जी मुख्य मंत्री बन गये। मान्यवर, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि श्री काँति देसाई हस्तक्षेप के दोषी हैं, श्रीमती गायत्री देवी दोषी हैं जो कि 'ट्रिब्यून' अखबार में छपा है। इन खबरों के साथ-साथ मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस कहानी पर ध्यान दें। मान्यवर, चौधरी चरण सिंह के रिश्तेदार ने एक जमीन का सौदा किया जिसको भूतपूर्व सहकारिता मंत्री, श्री मुलायम सिंह यादव ने कहा कि जो जमीन बेचने का सौदा हुआ है उसको रद्द कर दिया जायेगा। लेकिन मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि वह आज तक सौदा रद्द नहीं हुआ है। इसलिये मुख्य मंत्री जी न्याय के पक्ष में उस सौदे को जल्द से जल्द रद्द करायें।

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि लोकदल के शासनकाल में एक हिन्दी संस्थान है जिसमें लाखों रुपये की धनराशि की अनियमितता की गई है हिन्दी के नाम पर। इसलिये मुख्य मंत्री जी इसकी जाँच करें।

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी]

मान्यवर एक भूतपूर्व विद्युत मंत्री से नेता विरोधी दल नाराज रहते थे लेकिन उस समय कुछ नहीं बोले और जब आज वह पार्टी से निकाल गये हैं तो नेता विरोधी दल को मालूम हुआ कि बिजली विभाग में बहुत गड़बड़ी और लाखों रुपये का घोटाला किया गया है। टेण्डर के मामले भू0 पू0 मुख्य मंत्री के आदेशों का पालन नहीं हुआ जिससे विद्युत विभाग में लाखों रुपये की अनियमितता हुई ह। इसलिये मान्यवर, इस पर भी जाँच करायी जाय।

मान्यवर, इनके ही शासनकाल में चुंगी नाकों पर अवैध वसूली हुई है जिसको लोकदल, जनता पार्टी और आर0 एस0 एस0 के लोग मिलकर बाँटते थे। तो मेरा कहना है कि इससे तो पुरानी कहावत चरितार्थ होती है कि—"सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें बहत्तर छेद।" इसी के साथ साथ मान्यवर, विद्युत विभाग की एक और कहानी है जो कि अखबार में निकली है "कि विद्युत परिषद् को लाखों रुपये का चूना।" तो इसको भी देखा जाय।

मान्यवर, अब मैं अपराधों के संबंध में कहना चाहता हूं जिसके संबंध में इन्होंने कहा है। सबसे पहले मैं अपराधों के आँकड़े पेश करना चाहता हूं। मान्यवर, 1–1–77 से 31–2–77 तक 2,22,400 अपराध हुए, 1–1–78 से 31–12–78 तक 2,13,417 अपराध हुये और 1–1–79 से 31–12–79 तक 2,05,644 अपराध हुये। इस प्रकार अपराधों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। लेकिन 1977 के पहले 1976 में 2,00,167 अपराध हुये थे।

मान्यवर, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल बहुत ही समझदार हमारे नेता हैं। लेकिन एक बात नहीं समझ में आयी कि यह महिला-महिला बहुत चिल्लाते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह इससे बहुत नाराज होंगे क्योंकि महिलाओं के बारे में अखबारों में उनका रुख स्पष्ट है। इसलिये कहीं ऐसे आदेश न हो जायं कि आपको इधर से उधर कुर्सियों को बदलना पड़ जाय।

मान्यवर, मेन स्ट्रीम अखबार में आरक्षण के संबंध में छपा है। पिछड़े वर्ग का आरक्षण अलग दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे किसी की सरकार रही हो, लेकिन इससे इस प्रदेश के लोगों की कुशलता में एक प्रकार से बड़ा अवरोध हुआ है। इसलिये इसमें अनुरोध है कि इसमें इस पर चर्चा होनी चाहिये थी। यहां पर इन सब बातों के साथ साथ मैं एक चीज और कहूंगा। आप की पार्टी जनसंघ, आर0 एस0 एस0 का एक अखबार निकलता है 'तरुण भारत'। उसके एक पत्रकार हैं जिनको निकाला जा रहा है और उसके संबंध में.....

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया.....

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

एक मिनट में खत्म कर दूंगा.....(व्यवधान) एक बात और कहना चाहता हूं माननीय नेता सदन, माननीय मुख्य मंत्री जी से वह यह कि जनता पार्टी और लोक दल के शासन में उन तमाम योजनाओं को बंद कर दिया गया जो पहले थीं जैसे इलाहाबाद में ही डियाके गोडरी बांध व रेगुलेटर कार्य तथा..... (व्यवधान) हंडिया में आयुर्वेदिक अस्पताल को मान्यता आदि को चलाने का निर्णय करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आप ही अधिक समय ले लेंगे.....

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, पिछले शासन के अपराधियों के खिलाफ कोई कमीशन बैठायें। इस तरह की मेरी प्रार्थना है और इसी के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर,.....

एक सदस्य—

कई दिनों से समय मांग रहा हूं.....

श्री अध्यक्ष—

मैंने उनको बुला लिया है आप कृपया बैठें।

*श्री मन्जूर अहमद—

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो धन्यवाद का प्रस्ताव माननीय संजय सिंह जी ने पेश किया है उसके समर्थन में कई दिनों से चर्चा प्रदेश और देश की सदन में चल रही है उसके संबंध में मेरा भी मन चाहा कि मैं कुछ कहूं। मैं मेरठ का ही रहने वाला हूं और उस क्षेत्र में गया भी था। सबसे पहले तो मैं अपने माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा कि सत्य से परे जाने से आने वाली नस्लों को नुकसान पहुंचेगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अभी कुछ दिनों पहले जो देश में जनता पार्टी का शासन था और भारत के प्रधान मंत्री बदकिस्मती से इस मुल्क के सबसे बड़े रूढ़िवादी, प्रजातंत्र के शत्रु और दल बदलुओं के उस्ताद माननीय चौधरी चरणसिंह जी बने थे उस समय उन्हीं के क्षेत्र में, ज्यादा दिनों की बात नहीं है, क्या हुआ। मैं मौजूदा हुकूमत और मुख्य मंत्री, न्याय मंत्री और सारे मंत्रियों से दरख्वास्त करूंगा कि वास्तविकता अगर है, कोई शासन है, तो समस्त लोक सभा क्षेत्रों में जितने इनकाउन्टर बलात्कार हुये, हैं उसे, पहले को छोड़ दें, उन सब के लिए एक आयोग गठित कर दें। मेरा अपना ख्याल है कि माननीय चौधरी चरण सिंह जी स्वयं जेल से बाहर नहीं रह पायेंगे और उनके संबंधी भूतपूर्व आई० जी० लाल सिंह जी और उनके दीगर संबंधी लोक दल या जनता पार्टी में अब जो लोग हैं वे सारे करीब-करीब जेल से बाहर नहीं रह पायेंगे। ठीक है, मैं इस बात को नहीं कहना चाहता कि एक घटना है। तीन आदमी मारे गये, एक बहन के साथ दुर्व्यवहार हुआ। कोई भी सरकार मेरे अपने ख्याल से इससे ज्यादा क्या करती? तुरन्त सी० आई० डी० जांच, दूसरे दिन डी० आई० जी० मौके पर पहुंच गये। माननीय चौधरी चरण सिंह और उनके साथियों को आदत है आयोग गठन की कातिलों के बारे में जनकल्याण की बातों के लिये उन्होंने कभी आन्दोलन नहीं किया जनता के हितों तथा किसानों के हितों के लिये चौधरी साहब ने आन्दोलन नहीं किया। 77 में लोक सभा का चुनाव हुआ तो उसी रात कांग्रेस के एजेन्ट रमेशचन्द्र शर्मा को उनके साथियों ने जान से मरवा दिया। उनके पूरे घर को लूट लिया। बच्चों को अपंग कर दिया और महिलाओं के साथ व्यभिचार किया। जब गिरफ्तारी का समय आया तो टी० एन० मिश्र, एस० एस० पी० तथा एस० ओ० हरपाल सिंह को छपरौली से दो महीने के अन्दर ट्रांसफर कर दिया और आज तक कोई भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका।

चौधरी साहब के क्षेत्र में एक दुगाना गांव है। वहां एक सेवा राम मास्टर हैं। उन्होंने कांग्रेस का झंडा कैसे लगाया, इस अपराध में उनकी 11 साल की भतीजी के साथ दिनदहाड़े बलात्कार किया गया। इसी तरह थाना बड़ौत में निरीतपुर गांव में एक नाई की लड़की प्रेमवती के साथ बलात्कार दिन दहाड़े किया गया क्योंकि उसने कांग्रेस का झंडा लगाया था। हालत यह थी कि वहां 24 में से 21 थानों में चौधरी साहब ने अपने रिश्तेदारों को नियुक्त कर दिया था। स्वरूपपुर थाने की एक हरिजन लड़की के साथ भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मंजूर अहमद]

बलात्कार किया गया। इसी तरह बनागांव में एक हरिजन लड़की रोटी लेकर जा रही थी। वह 14 वर्ष की थी। उसके साथ भी बलात्कार किया गया और फिर उसे जान से मार दिया। तमाम समाचार पत्रों में वह बात छपी। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई आन्दोलन करता। 20 लड़कियां कम से कम गिना सकता हूं जिन के साथ चौधरी साहब के सम्बन्धियों तथा उनकी बिरादरी के लोगों ने दिन दहाड़े बलात्कार किया, कत्ल किया। उनकी पत्नी के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। उनके दामाद के बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता। चौधरी साहब के गोल के अन्दर जो दीगर मंत्री थे उन्होंने क्या नहीं किया। बांकायदा सवाल उठाये गये। राजेन्द्र सिंह पर कत्ल का मुकदमा चल रहा था जिसे वापस ले लिया गया चौधरी साहब की वजह से। महंगाई बढ़ रही है, पानी किसान को नहीं मिल रहा है, सिंचाई नहीं हो पाती है। इन सब बातों के लिये आन्दोलन कभी नहीं करेंगे। चूंकि बागपत में पहली बार मतदाताओं ने मतपत्र की शक्ल देखी इसलिये चौधरी साहब को और कोई फिक्र नहीं है उनको सिर्फ फिक्र इस बात की है कि उस इलाके के मतदाताओं ने कैसे हिम्मत की उनके खिलाफ वोट देने की? उनको कैसे हरा दिया? सिर्फ यही फिक्र उनको है। मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि चौधरी साहब के लोक सभा और छपरौली क्षेत्रों में जहां उनके जमाने में कत्ल हुए हैं, बलात्कार की रिपोर्ट हुई है, मजदूरों के घरों में आग लगाने की रिपोर्ट हुई है, वहां पर जांच होनी चाहिए। मुझे मालूम हुआ है कि वहां पर फर्जी नाम से 35 परमिट दिये गये हैं। मान्यवर, आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि चौधरी साहब का सपना था कि इस प्रदेश को अराजकता की ओर ले जायेंगे और इस प्रदेश में अपने दल के किसी आदमी को या खुद चीफ मिनिस्टर बनेंगे।

मान्यवर, आज दलबदलुओं ने जम्हूरियत की हत्या कर दी। यह सबसे बड़ी बात है। मैं प्रदेश की जनता से आपके माध्यम से दरख्वास्त करूंगा कि जो आज प्रदेश की स्थिति बिगड़ती चली जा रही थी.....(व्यवधान) है मान्यवर, मैं 27 तारीख को बागपत गया था। वहां पर जो कान्ड हुआ उसके फलस्वरूप जो तीन लोग मरे हैं वे चौधरी साहब के गिरोह के लोग हैं। प्यारेलाल जी, भूतपूर्व एम0एल0 ए0 का कत्ल हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं शासन से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे जालिम और दुश्मनों के खिलाफ जांच आयोग का गठन होना चाहिए और सख्ती से कार्यवाही होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री धनीराम वर्मा---

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत संशोधन के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़कर मुझे अत्यन्त निराशा हुई। मैंने उसमें देखा कि हमारे इटावा जनपद के विकास के सम्बन्ध में कुछ भी उसमें उल्लेख नहीं किया गया है। मान्यवर, मैं इटावा जनपद के विकास के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सर्व प्रथम मैं चाहूंगा कि इटावा जनपद में कई वर्षों से बल्कि

(इस समय 1 बजकर 34 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए)

कई दशाब्दियों से डाकू लोग रहते चले आ रहे हैं और इस जनपद के विकास न होने का एक मात्र कारण केवल यही रहा है कि वहां पर चम्बल और यमुना के खोरों में डाकू पलते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इटावा की उस भूमि को समतल किया जाय और वहां के लिये योजना बनाई जाय। वहां की भूमि बहुत उपजाऊ भूमि है साथ ही उस भूमि को सिंचाई के साधनों से भरपूर किया जाय। उससे एक तो वहां पर अन्न होगा दूसरे इटावा जनपद जो शताब्दियों से पिछड़ा हुआ इलाका रहा है वहां की समस्याएं रही हैं उनका समाधान होगा।

दूसरी बात मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इटावा जनपद में दो ऐसी तहसीलें हैं–भर्थना और विधूना, जहां की भूमि बहुत ऊसर है। उसको खेती के योग्य बनाया जाय। इससे लाखों टन चावल और गेहूं पैदा किया जा सकता है जो देश की प्रगति में सहायक हो सकता है। तीसरी बात औरैया और फफूंद कस्बों में जनरेटर की कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली न होने से वहां पर पानी की समस्या पैदा हो जाती है। यह कस्बे ऐसे हैं जहां पर पानी गहराई पर है इसलिए इस साल लोगों को पीने के पानी की बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी है। वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए जेनरेटर दिया जाय ताकि पीने के पानी की समस्या सुलझ जाय।

चौथी बात मैं कहना चाहता हूं कि औरैया कस्बे में जो अस्पताल है उसकी हालत बहुत खराब है वहां पर एक ही डाक्टर है अतः डाक्टरों की संख्या बढ़ाई जाय और बेड्स की संख्या भी बढ़ाई जाय।

इटावा में विधूना और औरैया में आने जाने के साधनों का अत्यन्त अभाव है। इन दोनों तहसीलों में सड़कें बनाई जायं। एक सड़क जो दिबियापुर से विधूना जाती है वह अधूरी पड़ी है उसे पूरा किया जाय। इसी प्रकार दिबियापुर लहरापुर के बीच में जो अरिन्द नदी पड़ती है उस पर पुल बनाया जाय। अगर फफूंद और विधूना को रोड से जोड़ दिया जाय तो दोनों तहसीलों में आने जाने की बहुत बड़ी समस्या हल हो जायेगी।

एक बात और कहना चाहता हूं कि फफूंद और औरैया रोड डामर हो चुकी है केवल एक पुल सैंगुर नदी पर बनना है अगर पढ़ीन घाट पर पुल बन जाय तो समस्या हल हो जायेगी। एक पुल यदि औरैया के पास यमुना नदी पर शेरगढ़ पर बनाया जाय तो जो जालौन से काल्पी होकर औरैया आना पड़ता है उससे बचत हो जायेगी और उत्पादकों को जो माल भेजने में पैसा अधिक खर्च करना पड़ता है उसकी बचत हो जायेगी और औरैया मंडी में माल आसानी से पहुंच जायेगा और समय पर पहुंच जावेगा।

इटावा जनपद में दो साल से बाढ़ आ रही है जिससे 50 परसेंट से अधिक का नुकसान फसलों का हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान औरैया और विधूना तहसीलों में हुआ तथा भर्थना के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हुआ। पिछले वर्ष विधूना में बहुत ज्यादा ओलावृष्टि हुई और फिर सूखा पड़ गया। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि जो सहकारी और अन्य ऋण हैं चाहे वह स्टेट बैंक के हों या सहकारी बैंकों के उनकी वसूली स्थगित कर दी जाय। साथ ही साथ कोआपरटिव बैंक के ऋणों का ब्याज माफ कर दिया जाय। माननीय ब्रह्मदत्त जी जब मैं कांग्रेस में था वहाँ आये थे उन्होंने एक प्रस्ताव किया था सहकारी ऋणों पर ब्याज माफ किया जाय, विधूना तहसील के बारे में उन्होंने प्रस्ताव दिया था जो डी० एम० के पास रखा हुआ है। माननीय ब्रह्मदत्त जी अब मंत्री बन गये हैं उन्हें चाहिये कि विधूना तहसील के सहकारी ऋण जिसके लिए उन्होंने प्रस्ताव किया था कि माफ कर दिये जायं उनके लिए प्रयास करें और अन्य ऋणों के ब्याज को भी माफ कराने का प्रयास करें।

इसके अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था भी औरैया और विधूना तहसील में नगण्य है। मेरा अनुरोध है मुख्य मंत्री जी और सरकार में बिजली से संबंधित मंत्री महोदय से कि इस पर ध्यान दें दिबियापुर और बेला तक बिजली की लाइन खिंची हुई है जो सहार से बेला तक अधूरी पड़ी है, उसे पूरा किया जाय। साथ ही एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि इटावा जनपद में प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल बहुत कम हैं, अतः इन विद्यालयों का वहाँ और प्रसार किया जाना चाहिए। साथ ही जूनियर हाई स्कल तक की शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था की जाए। ऊसराहार थाने में, जिसके

[श्री धनी राम वर्मा]

बारे में मैंने नियम 51 के अन्तर्गत श्रीमन्, आपको नोटिस दिया है, एक ट्रक मालिक की नृशंस हत्या कर दी गई ह। ऊसराहार थाने में जिस ट्रक वाले की जो हत्या की गई है, उसे एक सिपाही ने अपनी सरकारी बन्दूक से मार दिया है। इसी तरह से भरथना में एक चाय वाले को वहाँ के एस0 आई0 ने मारा और मारते-मारते उसकी टाँग तोड़ दी गई है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह सरकार जो कानून व्यवस्था की बड़ी बात करती है, वह कानून और व्यवस्था कायम करने का पूरा प्रयास करे। मैं समझता हूं कि प्रदेश में इस वक्त कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है ही नहीं। सब तरफ अराजकता और अव्यवस्था फैली हुई है। मैं पुनः आपको धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं और जो आपने समय दिया है, उसके लिए म आपका बहुत आभारी हूं।

श्री शिवराज सिंह—

श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर हमारे दल की ओर से जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करता हं। विशेष रूप से मैं इसलिए समर्थन करता हूं कि अबकी बार प्रथम बार, उत्तर प्रदेश के उन मतदाताओं को, जो सर्वहारा वर्ग के हैं, पिछड़े और गरीब हैं, स्वेच्छा स मतपत्र देखने का और अपने मताधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जो अब तक उन्हें कतई किसी चुनाव में नहीं प्राप्त होता था। उनको इस बार मत पेटिकाओं में अपनी स्वेच्छा से मत डालने का अधिकार मिला है। उसी का यह नतीजा है कि आज यह परिणाम हमारी विधान सभा के सामने आया है। मुझे पूरी तरह से अनुभव है कि मेरे जनपद और अ... सभी पश्चिमी जिलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं था, उनसे बलपूर्वक अपने पक्ष में आप लोग वोट डलवा दिया करते थे। हमार खैर क्षेत्र में 27 स्थानों पर यह हुआ कि पोलिंग बूथों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया। केवल दो चार आदमियों को ही वोट डालने दिया गया। सभी एक ही दल के वोट आए थे, गलती से ही किसी दूसर दल के किसी आदमी को एक दो मत मिल गये। इस बार चूंकि चुनाव निष्पक्ष हुए और उन्होंने स्वतंत्रतापूर्वक वोट डाले। मैं नेता विरोधी दल, श्री राजेन्द्र सिंह के बारे में कहना चाहता हूं, वह इस बार किसी तरह से केवल 14 सौ मतों से ही जीतकर आ सके ह। मैं इसे सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य, वह पहले एगलास से 19,400 वोटों स जीतकर आए थे और यहाँ मंत्री बने थे। मैं इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रदेश की उन्नति के लिए इसमें चारों तरफ से कार्य किये गये हैं—यातायात और उद्योग सभी के विकास के उसमें प्रयास किये गये हैं। इसी से हमारे प्रदेश का उत्थान हो सकता है।

मैं अपने जनपद के बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं, अलीगढ़ एक ऐसी जगह है। यहाँ पर हमारी जनता पार्टी के नेता गुप्त जी ने कहा था कि जनता पार्टी के राज्य में बड़ी शान्ति और व्यवस्था रही, वह बड़ा अच्छा रहा और लोग स्वतंत्रतापूर्वक रहे। लेकिन हमारा अलीगढ़ शहर एक साल तक आपके कारण जलता रहा क्योंकि वहाँ पर दंगे हुए। दुकानों और बाजारों में ताले बन्द रहे, कोई काम हो नहीं पाया। व्यापार बन्द रहे और कोई काम नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ कर्फ्यू लगा रहा। कोई भी शहर हिन्दुस्तान में ऐसा नहीं होगा जहाँ साल भर तक कर्फ्यू लगा रहा हो। इन विपक्ष वाले लोगों ने वहाँ दंगा कराया, नवजवानों को यह लोग भड़काते थे और दंगा कराते थे। दंगे के कारण करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। अलीगढ़ की बनी हुई चीजें तो सारे विश्व में जाती हैं और इस कारण अगर कोई बात भी अलीगढ़ में होती ह तो वह सारे विश्व में तेजी से फैल जाती है। इन लोगों ने वहाँ पर दूकानों को फुंकवाया, आग लगवायी और उनको लूटा गया।

(व्यवधान)

अलीगढ़ जनपद में टप्पल ब्लाक ऐसा ब्लाक है जो गेहूं के उत्पादन में भारत में सर्व प्रथम आया है, पर वहाँ तक जाने के साधन नहा हैं, काई सड़क नहीं है। मेरा निवेदन है कि किसानों के लिये, जो 3 हजार से 5 हजार की आबादी वाले गाँव हैं उनको सड़कों से जोड़ा जाय। वहाँ सड़को की बहुत कमी है।

हमारे जिलें में कोई उद्योग नहीं है। हमारा जिला विश्व में एक विख्यात जिला है। जो नवयुवक वहाँ से अध्ययन करके निकलते हैं वे बेकार रहने के कारण लूटमार आदि करते हैं। अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली आदि में आज जो लूटमार हो रही है उनमें यह बेकार नवजवान होते ह। यही लोग दंगा भी कराते हैं। इसलिये वहाँ पर एक भारी फैक्टरी लगना बहुत आवश्यक है। वहाँ पर 400 करोड़ की खाद की फैक्टरी लगे और जो जमीन वहाँ पर बन्जर पड़ी हुई है उस जगह उसको लगाया जा सकता है, हमारे यहाँ के किसानों के लिये जो होना चाहियेथा वह अब तक नहीं हुआ है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उनके लिये काफी कुछ करने का जिक्र है, यह खुशी की बात है एवं मुझे आशा है कि बेरोजगारी की समस्या भी शीघ्र हल करने में सरकार प्रयास करेग. जिसका जिक्र इस अभिभाषण में है। मेरी एक माँग यह भी है कि अलीगढ़ में एक प्रशिक्षण केन्द्र भी खोला जाय ताकि बेकारी की समस्या कुछ हल हो। जय हिन्द।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मैं लगातार 3 दिन से बोलने के लिये आतुर हू पर मुझे समय नहीं मिला, इस व्यवस्था के विरोध में मैं सदन त्याग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य सदन त्याग न करें, बोलना चाहें तो बोलें।

(श्री प्रदीप कुमार यादव सदन त्याग कर चले गये)

***श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—**

मान्यवर, यह महामान्य राज्यपाल का जो अभिभाषण है वह दिशाहीन है। भ्रमित करने वाला है, इसलिये किस चीज की आलोचना की जाय। बड़े जोर-जोर से नारायणपुर की घटना दोहरायी गयी, वह घटना न केवल पिछली सरकार को ले गयी, आज जो उस प्रकार की घटना हर गाँव मे हो रही है, हर गाँव आज नारायणपुर बना हुआ है, यह आपको भी ले जायगी। बाराबंकी, बागपत, गाडा, बरेली, गोरखपुर, देवरिया—हर जगह यह घटनायें हो रही हैं। लेकिन जैसे नारायणपुर की घटना काम रोको प्रस्ताव के द्वारा उठायी गई....

(व्यवधान)

एक सदस्य—

नरायनपुर की घटना दूसरी तरह की थी और बागपत की घटना दूसरी तरह की है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि नरायनपुर की घटना अपनी जगह पर जघन्य अपराध थी। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि नरायनपुर में स्वर्गीय संजय गाँधी भी चले गये और श्रीमती इंदिरा गाँधी भी चली गयीं आज मान्यवर, घटनायें हो रही हैं। मान्यवर, वहाँ पर जाने की किसी को फुरसत नहीं है। शाँति व्यवस्था आज मान्यवर, बहुत गम्भीर है। अखबार वाले जो बैठे हुए है वह भी सेंसर पास हैं। इस सरकार ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में शाँति व्यवस्था को कायम करने के लिए वादा किया है। लेकिन रोज घटनायें हो रही हैं। कोई शांति व्यवस्था ठीक नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

मैं एक दूसरी बात को भी कहना चाहता हूं। पूर्वान्चल में बेकारी और बेरोजगारी से तड़पने वाले 13 जिले हैं। उनकी तरफ एक शब्द भी महामहिम राज्यपाल ने नहीं कहा। जब तक पूर्वांचल की गरीबी मान्यवर दूर नहीं करेंगे, जब तक सरकार के पास पूर्वांचल की गरीबी को दूर करने का ठोस कार्यक्रम नहीं होगा। तो मान्यवर, कोई ताज्जुब नहीं है कि जनता 42 का आन्दोलन न कर दे। जनता 57 की रहनुमाई भी कर सकती है। 27 साल तक अगर उनकी समस्याओं की उपेक्षा यह सरकार करती रही है और आगे आने वाले समयों में भी करती रही, तो मैं यह चुनौती देना चाहता हूं कि वहाँ की जनता किसी भी समय कुछ कर सकती है। जनता पार्टी की सरकार जब आई, एक तरफ 95 करोड़ रुपये का ओवर टैक्स उसने खत्म किया, 5 बीघे का लगान माफ किया, गाँव गाँव में सड़क बनवाने का काम किया, 92 करोड़ का जो गन्ना किसानों का बकाया था, उसको अदा किया, केवल 2 करोड़ रुपया बाकी रह गया। दो रुपये प्रति किलो बाजार में चीनी बिकवाने का काम अगर किसी ने किया है, तो जनता पार्टी की सरकार ने किया। रिजर्व बैंक आफ इंडिया की रिपोर्ट है, ढाई साल की जनता पार्टी की सरकार में जो प्राइसेज स्टेबिलिटी रही है वह कभी नहीं रही है। मैं कहना चाहता हूं कि अस्पताल में चले जाइये साढ़े 4 करोड़ का दवा का थोटाला है फर्म किसकी है? सत्तारूढ़ दल के लोग यहाँ पर औषधि वितरण का केन्द्र चलाते हैं और कैपसूल में बालू और इंजेक्शन में पानी भरा जाता है। यह आदमी के लिए नहीं जानवर के लिए सलूक नहीं किया जा सकता है। माननीय अधिष्ठाता जी, इससे बड़ी शर्म और गैरत की कोई बात नहीं हो सकती है। 9 तारीख को यह पता चलता है कि काँग्रेस सरकार आने वाली है और 7 तारीख की रात को आर्डिनेंस होता है कि फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ाई जाती हैं। आढ़तियों से कहा जाता है कि जितना भी हो निकाल लीजिए। तुमको अब नये रेट पर बेचना है। इस तरह से मान्यवर, साढ़े 26 करोड़ रुपया व्यक्तिगत स्टाकिस्टों की तिजोरियों में अविलम्ब होने वाली सरकार ने उन तिजोरियों के हवाले कर दिया। मैं अपने पुराने इस प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री बहुगुणा का जमाना भी याद करता हूं कि सन् 74 में आते ही उन्होंने यह घोषणा कर दी थी कि पुराना स्टाक पुराने रेट पर और नया स्टाक नये रेट पर बेचा जायेगा। मान्यवर, यह सरकार नपुंसकों की सरकार है। यह कुछ नहीं कर सकते हैं और मान्यवर, मैं यह दावे के साथ कहना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग . . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

ओझा जी, अब आप अपनी बात समाप्त करें, एक मिनट रह गया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, केवल दो मिनट का समय और दे दें। मान्यवर, 14 करोड़ रु0 की सौदेबाजी चल रही है। आज लड़कों को स्कूल में कापियाँ अभी तक नहीं मिली हैं। इसमें सौदा हो रहा है। मेरा आरोप है कि आज अभी तक प्राइमरी स्कूलों की पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं छपीं? चार सौ लोगों को छापने के लिए दिया गया था और केवल 100 लोग ही छाप रहे हैं। हमारे काशीनाथ मिश्र जी आप स्थाई सरकार की बात करते हैं। जरा से दिल्ली से टेलीफोन आया मा0 विश्वनाथ प्रताप जी दिल्ली चले गये।

श्री काशीनाथ मिश्र--

जनता शासन के 3 सालों के अन्दर जो कुछ भी देखने को मिला है, उससे मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता कि आपने क्या किया सिवाये . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय ओझा जी, अब आपका समय समाप्त हो गया है?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, जरा सा टेलीफोन दिल्ली से आया नहीं कि मा० मुख्य मंत्री जी दिल्ली रवाना और माननीय बलराम सिंह यादव जी दिल्ली फौरन चले गये। मान्यवर, यह अपनी सरकार के बारे में स्थाई सरकार की बात करते है, जहाँ अभी तक मंत्रिमण्डल पूरा नहीं कर सके। मंत्रियों में विभागों का बटवारा भी अभी तक नहीं कर पाये। सारा शासन लुंज-पुंज हो रहा है, मान्यवर, स्थायी सरकार की बात करते हैं। स्थायी सरकार का हवाला देते हैं। मैं कहता हूं कि यह टेम्पोरेरी सरकार है, कुछ दिनों के लिए सरकार है। 'दैट इज टोटली डिपेण्ड आन स्वीट विल आफ मेडम' जनता सरकार की असफलता से आप सफलता का कारण नहीं बने। जनता सरकार ने गाँव-गाँव में पानी और बिजली की व्यवस्था कराई, सड़कें बनवाईं अन्त्योदय कार्यक्रम चलाए और दो रुपये किलो चीनी बिकवाई। अगर इस पर भी जनता ने हमको टिकने नहीं दिया तो आप भी ज्यादा दिन नहीं टिक सकते।

श्री अधिष्ठाता---

श्री ओझा जी, अब आपका समय समाप्त हो गया है। इस पर 3 बजे तक बहस होनी है। यह कहने की बात नहीं है कि आप इतने पुराने सदस्य हैं।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया---

आदरणीय अधिष्ठाता जी, श्री संजय सिंह द्वारा प्रस्तुत महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आदरणीय अधिष्ठाता जी, आपका ध्यान सन् 1975 के पूर्व समग्र क्रान्ति की ओर ले जाना चाहता हूं, जिसके फलस्वरूप 1977 में जनता सरकार का उदय हुआ है और देश तथा कुछ प्रदेशों में उनकी सरकारें बनीं। जिसे, इन आरोपी दल के लोगों ने समग्र क्रांति का नाम दिया था, मैं उसे अव्यवस्थाओं की क्रांति का नाम देना चाहता हूं।

(समय 2 बजे अपराह्न)

मैं उन्हें अव्यवस्था के लिये क्रान्ति का नाम देना चाहता हूं। अव्यवस्था के लिये क्रान्ति इसलिये कहना चाहता हूं कि जब सन् 1977 में यह लोग हुकूमत में आये इन्होंने ऐसे काम किये, ऐसा लगता था जैसे सुनियोजित ढग से अव्यवस्था देश में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से चन्द उदाहरण करना चाहता हूं। जब पिछले वर्ष 1979 में देश में अकाल पड़ा, विशेषकर बुन्देलखंड में, उस अकाल के वक्त इन्होंने खेत के लिये पानी की व्यवस्था नहीं की, पम्प के लिये डीजल की व्यवस्था नहीं की, राहत कार्य में सड़कों की व्यवस्था की और जो बफर गोदाम का स्टाक था गेहूं का उसका उपयोग किया यह इनकी गलत नीति थी। यह इसलिये कि जनता पार्टी के तांत्रिक श्री कपूर ने पेपर में घोषणा की थी कि अगले 3 वर्षों तक बरसा नहीं होगी। अकाल के लिये ऐसी स्थिति में यह व्यवस्था की जानी चाहिये थी कि खेतों की सिचाई होती ताकि अकाल का सामना किया जा सकता और बफर गोदाम के गेहूं को सुरक्षित किया जाना चाहिये था। मान्यवर, ऐसा नहीं हुआ। इसी प्रकार डीजल जो इस देश में उपलब्ध नहीं है आज भी नहीं है, यह भी इनकी गलत नीति से हुआ। इजरायल के मोशेदायन के भारत में 3 बार छिपकर आने के कारण कर्नल गद्दाफी ने तो तुरन्त ही डीजल देना बन्द कर दिया था और इन्होंने असम की समस्या को शासन में रह करके निपटाया नहीं बल्कि आज आप खुल कर उसका समर्थन कर रहे हैं. जिससे डीजल और पेट्रोल की अव्यवस्था इस देश में फैल रही है। चीनी के बारे में हमारे साथी काफी कह चुके हैं उसमें ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार विद्युत् की कमी पूरे सम्पूर्ण देश में हुई थी। 21 अगस्त को भारी विद्युत की कटौती का शासन आदेश 1979 को दिया था फिर पता नहीं क्यों एकाएक इतनी बिजली कहाँ से आ गई है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्योगों को हिन्डालको और 21 आर्क फर्नेश को एकाएक

[श्री ओम प्रकाश रिछारिया]

बिजली देना शुरू कर दिया। इसमें कुछ अखबारों और कुछ लोगों का मत है कि 16 दिसम्बर को 21 आर्कफर्नेश को बिजली दिये जाने के कारण हो सकता है चनाव के लिये फण्ड एकट्ठा किया गया हो। जब अकाल था किसानों के लिये बिजली की आवश्यकता थी क्यों एकदम से कटौती कर दी गई और बाद में उद्योगों को बिजली दी गई। मान्यवर, 3 से–4 सौ मेगावाट बिजली दी गई, क्यों दी गई ? मैं जानना चाहूंगा आपके माध्यम से मान्यवर, दूसरी बात थी। शिक्षा विभाग के अन्दर 15 अधिकारियों के प्रमोशन किये गये वे सीनियारिटी के हिसाब से नहीं किये गये बल्कि होजफौज में किया गया अपने पावर का उपयोग करके किया था जो पावर उनको नहीं था। विपक्ष के सम्मानित मौजूदा सदस्य, सरकार से यह चाहते हैं कि सभी कार्य होजफौज में किया जाय। सभी कामों को एक दिन में पूरा किया जाय। 20वें दिन चुनाव भी हो जाय नगरपालिका के और प्रदेश की सारी अव्यवस्था जो 3 सालों में फैलाया है, समाप्त हो जाय। अगर आप चाहेंगे 425 सदस्य एक गेट से एक मिनट में पास हो जायं तो यह कैसे सम्भव है ?

मान्यवर, इन तीन वर्षों के कारण इनकी प्रशासन की ग्रिप कमजोर होने के कारण, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं 3–11–78 को विद्युत मंत्रालय और विद्युत विभाग के सचिव श्री मथुरा प्रसाद ने एक आदेश दिया था झांसी के एस० ई० श्री कुरेशी को। वह आदेश पहुंचा तो उन्होंने उसका पालन नहीं किया। मंत्री आदेश करता था उसको अधिकारी नहीं मानता था। अधिकारी आदेश करता था उसको छोटा अधिकारी नहीं मानता था। इस तरह की अव्यवस्थाएं पूरे प्रदेश में फैली हुई थीं। प्रशासन के हर विभाग में इस तरह की अव्यवस्था थी। तब यह लोग जो अव्यवस्था की बात करते हैं जिनके बारे में कहना गलत नहीं होगा, जैसा किसी मंत्री के बारे में था आजकल सिलसिला वजीरे वजारत है, इसलिये यहां पशुओं की चोरी बन्द है। वहां कडी निगरानी रखी जाय यह न पुलिस पर निगरानी रख सके और न पुलिस इन पर निगरानी रख सकी। अव्यवस्था फैलती रही।

श्री अधिष्ठाता—

चूंकि तीन बजे तक बहस होनी है और बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिए अगर पांच-पांच मिनट का समय कर दिया जाय तो बहुत से सदस्यों को समय मिल सकेगा।

श्री नरेशचन्द्र—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, पिछले तीन चार दिनों से मैं सदन के माननीय सदस्यों की बहस सुन रहा हूं। बहस में हमारे उन माननीय सदस्यों ने जो आजकल विपक्ष में बैठे हुए हैं कुछ गलत आंकड़े प्रस्तुत करके जनता में कांग्रेस की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह शायद अपने किये गये कार्यों पर परदा डालना चाहते हैं। कांग्रेस के शासन ने इस देश को विश्व में एक स्थान दिया। विशेष रूप से श्रीमती गांधी के नेतृत्व में और माननीय स्वर्गीय संजय गांधी के नेतृत्व में इस देश के अन्दर जो प्रगति हुई है वह विश्व के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में शायद लिखी जा गी।

मान्यवर, जनता पार्टी के शासन ने देश की प्रगति को तीन साल पीछे कर दिया। उन दलबदलओं, लालियों ने गद्दी पर आते ही जनता की कोई परवाह नहीं की। एक ही कार्य किया। श्रीमती गांधी, माननीय स्वर्गीय संजय गांधी और उनके परिवार की हत्या का षड्यंत्र एवं उन पर झूठे मुकदमें चलाने शुरू किये जिससे कानून व्यवस्था नाम की

चीज नहीं रह गयी और कानून व्यवस्था न रहने का मुख्य कारण यह था कि हमारे प्रदेश में जो जनता पार्टी, लोक दल की सरकार थी, उसमें अधिकांश सदस्य खुद ही अपराधी प्रकृति के थे, उनके शासन काल में इस सदन में उनके दल के कुछ लोगों ने मंत्रियों पर खुद आरोप लगाये। कोई मंत्री भैंस चुराता था, कोई मंत्री साम्प्रदायिक दंगे करवाता था, किसी पर गबन का मुकदमा चल रहा था और किसी पर आगजनी और डकैती का मुकदमा चल रहा था। जब जनता द्वारा चुने हुए व्यक्ति इस प्रकार के होंगे जो अपराधियों को अपने यहां पनाह देंगे तो कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह सकती।

विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने आंकड़े प्रस्तुत करके दिखाने का प्रयत्न किया कि जनता पार्टी और लोक दल के शासन में अपराधों में गिरावटें आयीं। मैं आपके सामने इसके आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। इस प्रदेश में 1976 में 3315 डकैतियां, 6338 लूट और 4266 हत्याएं हुई। 1977 में 4,187 डकैतियां, 7843 लूट और 4756 हत्याएं हुई। 1978 में 3644 डकैतियां, 6914 लूट और 5202 हत्याएं हुई। 1979 में 3680 डकैतियां, 7 हजार 3 लूट और 5329 हत्याएं हुई। पता नहीं उन्होंने कौन से आंकड़े प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया कि जनता पार्टी के शासन में इस प्रदेश में अपराधों में कमी हुई। मान्यवर, उनके शासन में मंहगाई ने अपनी चरम सीमा ले ली। उसका मुख्य कारण था जनता पार्टी की सरकार पूंजीपतियों की सरकार थी। उन्होंने खुले आम कालाबाजारी और मंहगाई शुरु कर दी। मान्यवर, मार्च, 77 में जनता पार्टी ने शासन संम्भाला था तो उस समय अनाज 156.4 रुपये प्रति क्वींटल था। दालें 173 रुपये, सब्जियां 129 रुपये प्रति क्वींटल था। 1979 में मान्यवर, आनाज 163 3 रुपये, दालें 242.2 रुपये और सब्जियां 176.6 रुपये प्रति क्वींटल थीं। दिसम्बर, 1979 में उन्होंने हम लोगों को जो दाम दिये वह अनाज 183.4 रुपये दालें 145.5 रुपये सब्जियां 198 रुपये प्रति क्वींटल थीं।

मान्यवर, तीन साल में जो इन्होंने किया, यह चाहते हैं कि इसको एक दम समाप्त कर दें जो कि असम्भव है।

किसानों की हितैषी जनता पार्टी और लोक दल वाले मुझ को बतायें कि इस देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसानों को खेतों में गन्ना जलाना पड़ा हो।

मान्यवर, अभी हमारे ओझा जी कह रहे थे कि जनता पार्टी की सरकार ने किसानों का बकाया पैसा मिलों से दिलवा दिया। मैं मान्यवर, हरदोई जिले का उदाहुरण देना चाहता हूं। किसानों को मिल मालिकों ने वह पैसा नहीं दिया।

मान्यवर, समय कम है, एक मिनट में भाषण समाप्त कर दूंगा।

(व्यवधान)

इनके समय में बराबर श्रमिकों पर लाठी चार्ज, गोली चार्ज हुआ। कानपुर का स्वदेशी काण्ड हुआ। पन्त नगर में श्रमिकों को मार कर अ ग से जला दिया गया और वहां के जो वाइस चांसलर थे उस समय, चौधरी चरण सिंह के रिश्तेदार थे, उनको पदोन्नति मिली।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य भाषण समाप्त करें।

श्री नरेश चन्द्र—

आज 3 साल के बाद राज्यपाल महोदय ने एक ऐसा अभिभाषण दिया है जिसम प्रदेश की चौ-मुखी विकास, राहत की बात है। इसके साथ 3–4 सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। मान्यवर, यहां मिनी मीसा लगा देना चाहिए कानून व्यवस्था को ठीक

[श्री नरेश चन्द्र]
करने के लिए तथा उसमें यह भी व्यवस्था की जावे जिससे राजनैतिक लोगों को न बंदी बनाया जावे।

(शेम-शेम की आवाजें)

काटेज इंडस्ट्रीज, स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज में उत्पादक वस्तुओं को अलग-अलग कर दिया जाये। मार्केट दी जाये। विद्युत् उत्पादन बाम्बे पैटर्न पर किया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं राजकुमार संजय सिंह द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्यगण, पिछली बार यह हुआ था कि उधर से एक ही सदस्य बोला था दो नहीं बोले थे।

एक सदस्य--

हम लोगों का हक है बोलने का। उधर से कई बार सदस्य बोल चुके हैं।

श्री मोहन सिंह--

जो माननीय सदस्य इस सदन में नये चुन कर आये हैं उनके भाषण को टोका-टोकी न की जाये, मान्यवर, तो अच्छा रहेगा। वैसे हमारे सदस्य ने अच्छा भाषण दिया, हम उनको बधाई देते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

परम्परा और कन्वेशंन भी यही है कि पहली बार जो सदस्य भाषण देते हैं इस सदन में, उस समय टोका-टोकी न करें। अगर ऐसा करते है तो मैं समय बढ़ा दूंगा।

(व्यवधान)

मेरे पास फेहरिस्त है। जो माननीय सदस्य बोल चुके हैं वह भी और दलों के हिसाब से भी है। निर्दलीय जो हैं उनके भी नाम आये हैं। जो सदस्य आज और कल नहीं बोले हैं, इसलिए आज उनका अवसर है।

(व्यवधान)

श्री खैरूल बशर--

मान्यवर.....

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

(शोर)

श्री अधिष्ठाता--

सभी एक साथ खड़े रहेंगे तो किसी का निवेदन यहां तक नहीं पहुंचेगा न मेरा निवेदन वहां तक पहुंचेगा मैंने खैरूल बशर साहब को बुला लिया है।

श्री खैरुर बशर--

मान्यवर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ा। मैं समझता हूं कि यह अभिभाषण उत्तर प्रदेश की तस्वीर से मेल नहीं खाता। यह अभिभाषण एक ऐसा अभिभाषण है जिसने हमारे प्रदेश के सही तसबीर को कुछ छिपा दिया है। इसके द्वारा सदन के सामने उत्तर प्रदेश की 11 करोड़ जनता के सामने जो तसबीर पहुंचेगी वह एक शर्मनाक तसबीर होगी। इस सदन में आने के बाद हम देखते हैं कि प्रदेश की क्या तसबीर है। प्रदेश में एक-एक करके लगातार बलात्कार का तांता लगा हुआ है। हम शिकायत करते हैं और यह बड़ी बेरहमी के साथ उन हत्यारों का, बलात्कार करने वालों का समर्थन करते हैं।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहले राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो चुनाव के शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न होने की बात कही गयी है, मैं समझता हूं कि इस प्रदेश के इतिहास में इस तरह का घटिया चुनाव आज से पहले कभी नहीं हुआ है। पहली बार यह हुआ है कि फर्जी वोट पोल हुए। वोटिंग जो हुई है बहुत ही पुअर हुई है। सबसे कम वोट पड़ा है। यह पार्टी केवल 15 प्रतिशत वोटों से सत्ता में आई है। यह पार्टी अगर अपने बहुमत के बल पर घमंड करती है तो आने वाले दिनों में उनके घमंड को चकनाचूर कर देंगे।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हमारे प्रदेश की हकीकत को अस्वीकारता है। राज्यपाल ने दूसरे पैरा में कहा है कि इस प्रदेश का पिछड़ापन प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। प्रदेश में क्या हालत है ? यह पिछड़ापन एक दिन का नहीं है, यह पिछड़ापन 33 सालों का पिछड़ापन है। इस पिछड़ेपन की जिम्मेदार ट्रेजरी बेंचेज की सरकार है, दो साल की सरकार नहीं। यह इस प्रदेश की तस्वीर को स्वीकार करें तभी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ सकेगा। इस प्रदेश में 40 लाख बुनकर रहते हैं जो मौत और जिन्दगी के बीच रहते हैं, जो जिन्दगी की आखिरी मंजिल पर पहुंच गये हैं। टी0बी0 के शिकार हो गये हैं।

(शोर)

मान्यवर, हमारे प्रदेश से बेकारी दूर करने की बात की गयी। अगर हिम्मत है तो बेकारों को भत्ता दीजिए। तीन लाख बेकारों को भत्ता दिया है हमने। 10 लाख बेकारों को बेकारी भत्ता देकर नया रिकार्ड कायम करे नई सरकार।

मान्यवर, मऊनाथ भंजन को जिला बनाने का प्रपोजल था। इसको जिला बनाने की मांग करता हूं। बहुत बड़ा जिला है प्रशासन नहीं चलता। दो जिले बनाये जायें। मऊनाथ भंजन में हैण्डलूम और पावरलूम की फैक्ट्री है, 1 लाख बुनकर हैं, कोई अस्पताल नहीं है। एक बात और कहना चाहता हूं। उर्दू जबान को जनता की दूसरी जबान बनाने का प्रयास किया था, राज्यपाल के अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं है। (शोर) मैं चाहता हूं उर्दू को दूसरी जबान का दर्जा दिया जाये। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री सुरेन्द्र कपिल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो भाई संजय सिंह ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं ठोस समर्थन करता हूं और उसके साथ-साथ यह कहना चाहता हूं कि विरोध पक्ष के हमारे साथियों ने जो इसके ऊपर अपने-अपने संशोधन रखे है, अगर वे चर्चा के अन्दर सीमित दायरे में रह कर अपने संशोधनों पर विचार करते तो शायद उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का बहुत भला होता लेकिन इस पर जो हमारे साथियों ने चर्चा की है उसमें इन लोगों ने एक-दो मुद्दे ही उठाये हैं जो जनता जनार्दन के भविष्य के लिए, उनको भलाई के लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं थे जितने कि होने चाहिए थे और सभी लोग इनके ऊपर ही सीमित रहे। जहां तक इस बात की चर्चा है महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में यह पूरी तरह से दर्शाया गया है, स्पष्ट कर दिया गया है कि यह सरकार, जो चंद दिन हुए ही सत्ता में आयी है, अपने भविष्य के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए क्या क्या कार्यक्रम अपने हाथ में लेने जा रही है ? मुझे खुशी है कि हमारे राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में 20-सूत्री कार्यक्रम का जिक्र स्पष्ट रूप से किया है, जिससे उत्तर प्रदेश की भलाई स्पष्ट रूप से दिखायी देती है। अगर उसका फिर भी हमारे विरोधी पक्ष के साथी विरोध करें तो मेरी समझ में उनका यह तरीका उचित नहीं है। उनकी ओर से सिवाय बागपत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुरेन्द्र कपिल]

कांड के और किसी बात पर चर्चा नहीं की गयी, उसी बात को लेकर यहां पर हंगामा भी खड़ा किया गया। अगर बागपत में महिला को एक बार नंगा किया गया तो यहां पर उसे 100 बार नंगा किया गया जो हिन्दुस्तान की महिलाओं के लिए एक बड़ी ही शर्मनाक और लज्जाजनक बात है। अगर यहां पर इस कांड की चर्चा करने के बजाय महिलाओं की भलाई के लिए क्या कार्यक्रम चलाये जायं, उनकी इज्जत बचाने के लिए क्या-क्या काम किए जायें, इस पर विचार प्रकट किये जाते तो उनका कुछ भला हो सकता था लेकिन उस महिला को यहां सदन में 100 बार नंगा करने की कोशिश की गयी।

जहां तक हमारे साथियों का यह कहना कि वहां पर सत्याग्रह चल रहा है यह तो चौधरी चरण सिंह की आदत है कि वे गुन्डागीरी को भी सत्याग्रह बताते हैं। पश्चिमी बेल्ट में यह पहला मौका है जबकि कमजोर और निर्बल व्यक्तियों को भी विधान सभा के लिए मताधिकार प्रयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके पूर्व लोक दल या लाठी दल के नेताओं ने हमेशा ही हिन्दुस्तान की जनता के अधिकारों का हनन ही किया है।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

जयहिन्द।

*श्री कैलाश टण्डन—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं। मान्यवर, मैं माननीय संजय सिंह जी के महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के इस प्रस्ताव के समर्थन में बोलता हुआ यह कहना चाहता हूं कि जनता द्वारा निर्मित सरकार का यह पुनीत कर्त्तव्य होता है कि जनता के हितों की रक्षा के लिये, सूबे की तरक्की के लिये, सिंचाई की व्यवस्था के लिये, कुटीर उद्योग तथा उत्पादन को बढ़ावा देने के सारे के सारे काम करे। मगर इस सूबे की जनता के बीच में अविश्वास पैदा हो गया था। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि श्री बनारसीदास, जब मुख्य मंत्री थे, बनारस में जब वहां संसद सदस्य को पुलिस अधिकारी ने पीटा, तो उन्होंने यहां खुला बयान दिया कि यह इस राजनैतिक दल के लोग गुन्डा, बदमाशों और डकैतों के रहनुमा हैं, डकैतों को बंदूक देते है, खुली लूट करवाते हैं, बलात्कार करवाते हैं, ब्लैक-मार्केटिंग करवाते हैं, तस्करी करवाते हैं। जब साझे की सरकार का, लोकदल की सरकार का इस सूबे का मुख्य मंत्री ऐसा बयान दे दे तो जनता का विश्वास गवर्नमेंट से हट गया। लेकिन मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण ने लोगों में विश्वास का संचार पैदा किया है कि हमारी सरकार ये सारी बातें देखेंगी और शासन व्यवस्था सुचारु रूप से पूरे सूबे में लागू की जायेगी।

मान्यवर, इन लोगों ने अपने शासन काल के अन्दर बहुत सी बातें कीं। पंतनगर की बात भुलाई नहीं जा सकती। आपका जयपुरिया मिल कानपुर का गोलीकाण्ड भुलाया नहीं जा सकता। अध्यापकों को जेलों में बंद किया गया, कुटीर उद्योगों धंधों को नष्ट करने का प्रयास किया गया। श्रीमती इन्दिरा जी ने कुटीर उद्योग धंधों के लिये स्कूल खोले थे। बनारस के अन्दर कालीन का कुटीर उद्योग था। खद्दर की योजना थी। बाद में बड़ा सेंटर लग रहा था। लेकिन माननीय चौधरी चरण सिंह जी की सरकार आयी और सारे काम ठंडे हो गये, सिवाय इसके कि बैकवर्ड, बैकवर्ड और केवल बैकवर्ड का ही नारा लगता रहा। मान्यवर, इन स्कूलों में लोग शिक्षा पा रहे थे। चुनार में भी ट्रेनिंग स्कूल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था। और भी बहुत से आगे खुलने वाले थे। लेकिन सारे ट्रेनिंग स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर दिया। कह दिया कि अब नहीं खुलगे। लेकिन, मान्यवर, इन स्कूलों में पढ़ाई-लिखाई होती थी, बेरोजगारा को स्टाइपड मिलता था, डा0 एल0 डब्लू0 कारखानों में, सरकारी कारखानों, प्राइवेट कारखानों में सभी जगह यह बात थी, उनको काम सिखायेंगे, फिर उनको नाकरी पर रखा जायेगा। लेकिन सब बंद कर दिया। जब इनकी सरकार आयी तो सारी का सारी राज्याज्ञायें नष्ट कर दा गया। अब मान्यवर, सिफ एक हा बात रह गयी है जिसको कहने के लिये मुझे बड़ा अफसोस होता है आर यह वह कि कहते हैं कि चीनी हमने बड़ी सस्ती बिकवा दी थी। मुझे मान्यवर, एक शायर का दो पंक्तियां याद आती हैं जो गालिब के पहले कही गया। ये पंक्तियां हैं—

'मोहब्बत में हमने जबानी लुटा दी, जवानी तो क्या जिन्दगानी लुटा दी।"

तो गालिब साहब ने जबाव दिया—

'मोहब्बत में धन और ईमां लुटा दी, बड़ा तीर मारा जवानी लुटा दी।

तो कह रहे हैं कि हमने चीनी सस्ती बिकवा दी। मान्यवर, पूरे सूबे के दर पूरी जमीन पानी स डूबी पड़ी थी। बस्ती, बनारस, मऊ, सब डूब रह थ। मीला पानी भरा था। और आपके मुख्य मंत्री, श्री राम नरेश यादव सूरजकुड में संसद सदस्यों के साथ जमघट लगाकर राजनैतिक हित साध न कर रहे थ। यह इनका आलम था इस सरकार का। बनारस में दंगा हुआ, मैंने आंखों से देखा कि 140 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया चाक में जहां कारोबारी लोग रहते हैं वहां दंगा कभी हुआ नहीं। आप व्यापारियों को बड़ा बातें करत है कि सेल्स टैक्स माफ करेंगे लकिन इसी लखनऊ में मैंने देखा, जुलूस तो निकला था उस पर किस निर्दयता से गोलियां चलायी गयीं, यह कोई व्यापारा भूल नहीं सकता है। उस वक्त राजबली तिवारी जी मंत्री थे। यह फिरकापरस्त लोग, आर0 एस0 एस0 के लोगों ने पी0 ए0 सी0 को खड़ा करके मुस्लिम इलाके में घरों के घर लुटवा लिया। रात में वहां पर एक राज्य मंत्री जी थे उनकी निगाहों के सामने जुल्म हुये लकिन कुछ दर्द नहीं आया। आपने बयान दिया कि यह दंगा कांग्रेस वालों ने कराया है। दंगाई आप खुद हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री कैलाश टंडन—

मैं यह संशोधन लेकर बाहर निकला तो कुछ गांव के लोग मिल गये। उसमें कुछ लोग पढ़े लिख थे। कहने लगे कि राज्यपाल के अभिभाषण पर विरोधी पक्ष के लोगों ने क्या संशोधन रखा है? मैंने यह उनको दिखा दिया तो गांव के लोग कहने लगे यह कमबख्त अपने शासन में खाने की बात नहीं करते थे कांग्रेस के शासन में पाखाने की बात संशोधन में करते हैं। यह इनका चरित्र है, यह इनकी बातें हैं। इनकी बातों में जनता को आना नहीं है। जनता ने फैसला कर दिया, दूध का दूध पानी का पानी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं इस सूबे में लाल फीताशाही की हुकूमत रहेगी या जनता की हुकूमत रहेगी। जब तक लाल फीताशाही तोड़ी नहीं जायगी तब तक शासन में सुधार नहीं आयेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस अभिभाषण पर रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

जयहिन्द

श्री जटा शंकर सिंह—

मान्यवर, हमारे दल को शामिल करेंगे या नहीं। भारतीय जनता पार्टी के अभी किसी सदस्य ने अपने विचार नहीं रखे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि समय समाप्त होने वाला है, कुछ समय दे दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल चुके हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बोला।

*श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

'मान्यवर, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में जिनके,
जो काटा तो एक कतर ये खूं न निकला ।

बड़ी चर्चा थी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कुछ होगा।

श्री अधिष्ठाता—

गौरी शंकर जी, समय का जरा ध्यान रखें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

आपकी विशेष कृपा दृष्टि है मुझ पर, हमेशा की तरह अबकी भी होगी। मान्यवर, आशा थी कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कुछ गरीबों के लिये होगा, कोई चर्चा होगी और आशा की जाती थी कि स्वर्गीय मंगलदेव विशारद जी की जो रिपोर्ट थी, जो गावों में जमीनें पड़ी हैं वह उस गांव के भूमिहीनों को दी जायेगी। खासतौर से इस बात की आशा की गयी थी कि जो पुराने समय में भूमिहीनों को जमीनें बांटी गयी हैं कम से कम उन पर कब्जा सुनिश्चित करा दिया जायगा। मुझे दुख है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। इसलिये निश्चित रूप से कोई भी संवेदनशील सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन नहीं कर सकता। इसलिये मैं भी इस अभिभाषण के धन्यवाद के ऊपर जो प्रस्ताव आया है उसका विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, मान लिया जाय कि सच है कि पुरानी सरकार के समय में शांति व्यवस्था अच्छी नहीं थी तो इसको कहें कि शांति व्यवस्था खराब थी और अपनी कमजोरी के बारे में कुछ न कहें तो यह उचित बात नहीं है। मैं कहता हूं कि उस समय यदि महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, तो मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपके समय में क्या महिलाओं की इज्जत सुरक्षित है ? मैं तो समझता हूं कि गांवों में नई दुल्हन यदि आधी रात को बाहर चली जाय तो सुरक्षित रह सकती है लेकिन यहां लखनऊ में 12 बजे रात में वह नहीं चल सकती है। इसलिये शांति व्यवस्था उस समय भी ठीक नहीं थी, ट्रेनों में लूट उस समय भी होती थी और वही चीज आजकल भी हो रही है कि ट्रेनों में लूट-पाट और डकैतियां पड़ रही हैं। इसलिये शांति व्यवस्था की ओर शासन का ध्यान जाना चाहिये। यदि पुरानी सरकार कमजोर थी तो आप भी कमजोर रहें यह अच्छी बात नहीं कही जा सकती है। जबकि शांति व्यवस्था के नाम पर ही आपको इतना बड़ा समर्थन मिला है। इसलिये इस पर आप ध्यान गम्भीरता से दें। मान्यवर, शांति व्यवस्था में बाराबंकी, उन्नाव, कर्वी–बांदा और कफल्टा की घटनायें हुईं और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां रोज एक न एक अखबारों में ऐसी घटनाएं न आती हों। इसलिये 9 तारीख से ऐसा नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार है। यदि है तो उसको सिद्ध करने की आवश्यकता है।

मान्यपर, गांवों का जीवन असुरक्षित है। इटावा के मंत्री जी बैठे हैं। हमारे क्षेत्र में जमुना, चम्बल और क्वारी नदियों के बीच बसे हुये गांव सिन्दौस, ललूपुरा, चौरेला, गढ़ीमंगा, जाजेपुरा, बन्सरी, बिठौली, बिनौरी, नीमरी, कचेहरी, करयावली, गढ़ानमदा, भरेय, पत्थरा, मऊवा, सूड़ा, हरौली, बहादुरपुर आदि गांवों की चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूं चूंकि वह बियावान जंगल में बसे हैं लेकिन अजीतमल और उसके समीपवर्ती गांव जो सड़क के किनारे बसे हैं उनमें भी लोग रात में सोते नहीं हैं और मारे डर के वह छत पर सोते हैं क्योंकि वह डरते हैं कि चोर और डाकू न आ जायं। इसलिये गांवों

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

के जीवन को गुण्डों, चोर और डाकुओं ने असुरक्षित बना रखा है। इसलिये मुख्य मंत्री जी इस पर ध्यान दें।

मान्यवर, इसकी भी बड़ी चर्चा हुई कि उस समय चीजों के दाम बहुत बढ़े हुए थे और इसलिये आप सत्ता में आये। तो मैं पूछना चाहता हूं कि उस समय तो चीनी 2 रुपये किलो मिलती थी लेकिन आपके शासन में आजकल क्या चीनी सस्ती है। आजकल तो चीनी 6 रुपये में मिलती है तो क्या यह सस्ती है ? आप शासन में आये तो पता चला कि मिट्टी के तेल से खेत भर दिये और डीजल भरा पड़ा है और अनेक वस्तुएं सस्ती हो गयी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उस समय गेहूं 80 पैसे किलो था जो आज उसकी कीमत को देखें तो वह डेढ़-दो रुपये किलो बिक रहा है, तो क्या यह सस्ता हो गया है। इसलिये मान्यवर, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सूखे की चपेट में आया था तो आशा थी कि उत्तर प्रदेश के एक-एक जिले को राहत मिलेगी। हमारे इटावा जिले में कहीं पर इसका अनुभव नहीं हुआ। हमारे जिले के मंत्री यहां पर हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हमारे जिले के मंत्री हो और वहां पर कोई राहत न मिले तो दूसरे जिलों के जहां मंत्री नहीं हैं उनको क्या राहत मिलेगी ? हमारे जिले के केबिनेट मंत्री बैठे हैं और उनके कान में जूं नहीं रेंगती.....]

श्री अधिष्ठाता--

गौरी शंकर जी, आप का समाप्त हो रहा है....

श्री गौरी शंकर ऐडवोकेट--

श्रीमन्, हमारी सरकार ने खाद्यान्न योजना फूड फार वर्क योजना चलाई वह तालाब में चली गयी। कृपा कर उसका उपयोग करें। मैं उम्मीद करता था कि इस महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इस की चर्चा होगी लेकिन इसका कोई आश्वासन नहीं दिया गया है.....

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया...

श्री गौरी शंकर ऐडवोकेट--

अपनी बात समाप्त करते हुए इस महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का विरोध करता हूं इस शेर के साथ--

हमारी सदा को दबाना गैर मुमकिन
मगर हयात की तलवार कौन रोकेगा
फसीले आतसो आहन बहुत बुलन्द सही
बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा
नये ख्याल का परवाज रोकने वालों
नई आवाज की तलवार कौन रोकेगा।

श्री दूधनाथ--

मान्यवर, जो आपन मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आप का आभारी हूं। मैं सदन का ध्यान आपके माध्यम से पिछले तीन साल के जमाने की तरफ लाना चाहता हूं। इस जमाने में हमारे देश के अन्दर और प्रदेश के अन्दर जनता और लोकदल की सरकारें थीं। मैं हमारे देश और प्रदेश के रहनुमा किसान के बेटे चौधरी चरण सिंह जी से कहना चाहूंगा कि उनके शासन के जमाने में देश कितना पीछे गया है और हमारी आर्थिक स्थिति उस जमाने में जितनी बिगड़ी उतनी कभी नहीं बिगड़ी। आपस की लड़ाई से इन नेताओं ने हमारे मुल्क को खोखला बनाया। मुट्ठी भर का देश भूटान जो हमारे बगल में बसता है, बंगला देश जिसे हमने आजाद किया था, जिसकी बुनियाद हमने डाली थी, हमें आंख दिखा रहा था.....

एक सदस्य—

यह लोक सभा में चर्चा हो रही है या विधान सभा में.....

श्री दूध नाथ—

हमारे देश के लोगों ने आजादी के लिए कुर्बानियां दी थीं। जनता और लोक दल सरकार के चलत हमारे देश की आजादी खतरे में थी। मैं इस देश की महान जनता को इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से, बधाई देना चाहता हूं कि हमारी आजादी को उन्होंने लिया। हमारे देश को बरबाद होने से बचाय है। मैं कह रहा था बंगला देश जिसकी बुनियाद जिस आजाद मुल्क की हैसियत से हमने स्थापित की थी दुनिया के नक्शे में, वही बंगला देश हमारे आन्तरिक खोखलेपन को देखकर, आपस की लड़ाई को देख कर, हमारे ऊपर गोलियों की वर्षा कर रहा था। तीन दिन से सुनते सुनते कान पक गये हैं हमारे भाइयों की बात जो विरोध पक्ष में बैठे हुए हैं। ये पिछड़ी जातियों के नाम पर, निर्बल वर्ग के नाम पर और सर्वाधिक पिछड़े वर्ग के नाम पर, लम्बे-लम्बे भाषण कर रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा और सदन को इस बात की सूचना देना चाहूंगा कि आपके बीच में सम्पूर्ण भारतवर्ष में मैं पहला राज भर जाति का व्यक्ति हूं जो मैं कांग्रेस (आई) के टिकट पर चुन कर आया हूं। 74 में चौधरी चरण सिंह पिछड़ी जातियों की रहनुमाई कर रहे थे। मुझे भी हसरत थी, दिल में तमन्ना थी कि पिछड़ी जाति की बनायी हुई यह पार्टी है लिहाजा हमको भी यह मौका देगी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरा टिकट बी0 के0 डी0 वालों ने वहां से कट दिया। यह पार्टी पिछड़ी जाति के नाम पर एक कलंक है। उत्तर प्रदेश के स्तर पर एक सम्मेलन हुआ था आजमगढ़ जिले के अन्दर। मुख्य मंत्री बनारसीदास जी उसके उद्घाटनकर्त्ता थे और चरण सिंह जी के दाहिने हाथ राम बचन जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। प्रस्ताव हुआ कि पिछड़ी जाति का एक संगठन बनायेंगे। मेरा कहना था कि पिछड़ी जाति का जो शख्स सबसे पिछली कतार में बैठा हो सबसे पहले उसके लिये व्यवस्था की जाय तभी यह संगठन चल सकेगा, परन्तु बात अनुसुनी कर दी गई। पिछली कांग्रेस सरकार ने सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग के नाम पर एक आयोग बिठाया था। उसकी अध्यक्षता भाई छेदी लाल साथी ने की थी। उसकी रिपोर्ट तैयार हो गयी थी। अब अगर आपके (विरोध पक्ष) दिल में पिछड़ी जाति के बारे में हसरत व तमन्ना थी तो उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखते। 10 जातियां—भर, नोनिया, केवट, मल्लाह, माली, कहार, गड़रिया, कोहार, आदि नाम उसमें थे जो प्रायरिटी पर थे सर्वाधिक पिछड़ेपन में। उनको ऊंचा उठाने की व्यवस्था होनी चाहिये थी। मैं मुबारकपुर क्षेत्र से चुन कर आया हूं। वहां का बना हुआ माल बनारसी साड़ी के नाम से बनारस में बिकता है। सूत वहां पर बुनकर को बहुत मंहगा पड़ता है। 400 रुपये की साड़ी बनारस के बाजार में जब वह अपने सर पर लाद कर ले जाता है तो बिचौलिये के जरिये 200 रुपये कीमत उसकी लगाई जाती है। मेरा निवेदन है कि बुनकर भाइयों की तरफ ध्यान दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं भाई संजय सिंह के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

***श्री भूधर नारायण मिश्र**—

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री संजय सिंह के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। विगत चुनाव ने यह सिद्ध कर दिया है कि पिछले चुनाव में जो सरकार थी उसको इस जनता ने ठुकरा दिया। उसकी तानाशाही प्रवृत्ति तथा जातिगत भावनाओं को देश की तथा प्रदेश की जनता ने ठुकरा दिया और उसने यह सिद्ध कर दिया कि यहां की जनता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) की समर्थक है। हमारे बीच में जो यह ढिंढोरा पीटा जाता था नई सुबह लाने का, उसका पर्दाफाश कर दिया गया। मुझे खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपने अभिभाषण में इन भूतपूर्व शासकों की काली करतूतों का संकेत नहीं दिया। उदाहरणार्थ भूतपूर्व प्रधान मंत्री के चहेते और आई० जी० के मुरीद कानपुर के सी० ओ० श्री सुक्रमपाल सिंह जो कानपुर के अनेक कांडों के लिये जिम्मेदार थे उनके खिलाफ पिछली सरकार ने कोई भी कार्यवाही नहीं की। (व्यवधान) जिन सी० ओ० का मैं जिक्र कर रहा हूं उन्होंने कानपुर के अन्दर घृणित काण्ड किया है। अकालियों और निरंकारियों के बीच संघर्ष कराया। जुल्म और ज्यादतियां कीं। लेकिन फिर भी हमारी सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगती। दूसरी बात यह है कि चौधरी चरण सिंह के चहेतों ने कानपुर के अन्दर सिया और सुन्नियों के बीच झगड़ा करवाया। वहां की जनता उस सी० ओ० के खिलाफ थी। किन्तु आज तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह बड़े दुख की बात है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। मैं समझता हूं कि इससे अधिक महत्व की और कोई बात नहीं हो सकती एक पुलिस का अधिकारी जिसके पीछे तीन-तीन कांड कानपुर में हुये हों, उसकी पदोन्नति करके उसे गाजियाबाद पोस्ट कर दिया गया। इस बात का कहीं उल्लेख इस अभिभाषण में नहीं किया गया है।

श्रीमन्, आज प्रदेश की जनता की यह मांग है कि सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे। मैं कानपुर का जन प्रतिनिधि होने के नाते यह मांग करता हूं कि कानपुर के अन्दर जो मौजूदा हालत है वहां के जो मौजूदा नगर प्रशासक हैं, वह सक्षम नहीं हैं। वे नगर का वातावरण स्वच्छ नहीं रख सकते हैं। इस लिये मैं चाहूंगा कि सरकार इसके लिये कोई व्यापक योजना बनाये। कानपुर प्रदेश की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी है वहां पर दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए वहां की समस्या विकराल बन गयी है। इसलिये ऐसी योजना बनायी जाय जिससे समस्या का निराकरण हो सके। आज कानपुर का आदमी सड़कों पर फुटपाथ पर सोता है, उसका कोई सहारा नहीं है। अतः मैं चाहूंगा कि कानपुर के लिये कोई व्यापक योजना बनाई जाय और वहां जो भी जुल्म और अत्याचार जनता पार्टी की सरकार के दौरान हुये हैं चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हों, मजदूरों पर हों, व्यापारियों पर हों, अध्यापकों पर हों लेकिन जो भी जिम्मेदार अधिकारी थे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता---

अब आप समाप्त करें।

श्री भूधर नारायण मिश्र---

मान्यवर, एक मिनट में समाप्त करता हूं। चौधरी चरण सिंह के चहेतों के खिलाफ जो जिम्मेदार हैं कार्यवाही नहीं की गई है, इसका उल्लेख इस अभिभाषण में नहीं किया गया है। जिन अधिकारियों के संरक्षण में गरीब जनता के ऊपर जुल्म और अत्याचार किये गये हैं उनके बारे में इसमें कुछ नहीं कहा गया है। सन् 47 से आज तक कभी वहां पर सिया-सुन्नी के दंगे नहीं हुये थे किन्तु उनकी सरकार के समय में ये दंगे वहां पर हुये.. (व्यवधान)। उस सरकार ने जितना बजट रखा था उसको सिर्फ आर० एस० एस० को मजबूत करने के लिये उसमें से पैसा दिया गया।

एक सदस्य---

मैं अपने दल का एक ही सदस्य हूं और मुझे अवसर नहीं मिला....

श्री अधिष्ठाता---

जब दल के साथ हो जायेंगे तब मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राना---

मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण पर जब से चर्चा शुरू हुई और जब से इसका प्रारूप हमारे हाथ में आया है तब से लेकर आज तक म इसका अध्ययन कर रहा हूं। मैंने अपने सामने बैठे हुये साथियों को बड़े गौर से सुना है। मैं ईमानदारी स कह सकता हूं कि राज्यपाल ने इस सबसे बडे प्रदेश की समस्याओं की तरफ किंचित मात्र भी ध्यान नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है इसकी ज्वलंत समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया ह। महोदय, राज्यपाल महोदय इन समस्यों को छूकर चलते बने हैं। यहाँ पर जो आपत्तियाँ उठाई गयी हैं मैं उनमें नहीं जाना चाहता लेकिन यह जो समस्यायें हमारे सामने खड़ी हैं उनके विषय में कहूंगा कि जब तक उनको ठीक से नहीं समझा जायेगा इस प्रदेश की सरकार चल नहीं सकती है। मैं उनकी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं।

महोदय, इस प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस प्रदेश के किसानों का दोहरा शोषण हो रहा है। एक तो यह कि जिन चीजों को किसान पैदा करता है उनके मूल्य बराबर स्थिर बने हुए हैं और जिनको वह खरीदता है उनके मूल्य आसमान को छूते चले जा रहे हैं। महोदय, 1974 से 1980 तक का ब्योरा मैं बताना चाहता हूं। 1974 में जिस जीटर ट्रैक्टर को हम 12.14 हजार में खरीदते थे वह आज 80 में 70 और 80 हजार तक पहुंच गया है। किसान के खेत में जो ट्राली सिचाई के काम आती थी उसकी कीमतें 12 सौ से 15 सौ तक थी आज वह बाजार में 7 से नौ हजार तक बिक रही हैं। इसी तरह से साइकिल जिसको किसान 150 रु0 और 200 रु0 तक खरीदता था उसे आज 5 सौ से 7 सौ तक खरीदना पड़ता है। यही नहीं किसान की जरूरत की सारी चीजें जिनको वह बाजार से खरीदता है उनकी कीमत आसमान छूती जा रही है। किसान जिन चीजों को पैदा करता है जैसे गेहूं जो 95 रु0 क्विंटल था आज 80 में उसके दाम केवल 117 रु0 क्विंटल हुए हैं। अर्थात् गेहूं के दाम केवल 22 रु0 बढ़े हैं। इसके साथ ही साथ जो इस साल केन्द्र ने बजट पेश किया है उसमें डीजल के दाम बढ़ा दिये गये हैं और खाद के दाम भी बढ़ा दिये गये हैं। जिनके पास एक बीघा जमीन भी ह वह बता सकते हैं कि किसान की क्या हालत हो रही है। ऐसी हालत में किसान अपने बेटों को कैसे पढ़ाने भेज पायेगा और कैसे अपना भरण पोषण करेगा।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक तरफ किसान की यह स्थिति है कि जो उसकी परम्परागत खेती है जिससे वह अपने बच्चों का पालन-पोषण किया करता था वह बरबाद हो चुकी है उसके सामने कोई चारा नहीं रह गया है दूसरी तरफ उसकी हालत यह है कि जिसके बच्चे पढ़ लिख कर बेकार पड़े हैं। जमीन से उसको खाने को नहीं मिलता है नौकरी उसके बच्चों को नहीं मिलती है, अगर हिन्दुस्तान के आँकड़े ले लिये जायं तो किसान के 12 प्रतिशत लड़के ही केवल नौकरी में हैं। खेती में उनका नुकसान हुआ है और बच्चे पढ़-लिखकर बेकार हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हू कि अगर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जायेगा तो जिस भूमि में पहले बस गेहूं, और धान की खेती करता था उसमें अब क्रान्ति का बीज पड़ जायगा। उसके बेटे क्रांतिकारी हो जायेंगे और इस देश में क्रान्तिकारियों की फसलें उगने लगेंगी। फिर इस देश को कोई बचाने वाला नहीं होगा।

इसके साथ ही मैं कुछ अन्य घटनाओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। बागपत की घटना जिस तरह से हमारे सामने आई है उसका कुछ भी पक्ष रहा हो, उसका राजनीतिक काँड कुछ भी रहा हो उनको सही रूप में देखना होगा। इसमें लोक दल के कौन आदमी हैं इसका कोई सबूत नहीं है ? इसलिये मैं समझता हूं कि इस पर चर्चा होना आवश्यक ह।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय हो गया है।

श्री विजय सिंह राना—

मुझे पूरा समय नहीं मिला यह मैं समझता हूं मेरे साथ अत्याचार हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

आपके 5 मिनट हो चुके हैं मैं ज्यादा समय नहीं दे सकता हूं।

श्री मुईद अहमद—

माननीय अधिष्ठाता जी, मुझे जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर राजकुमार संजय सिंह द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर मिला है उसके लिए धन्यवाद देता हूं। मैं इस बात को भलीभांति कह सकता हूं कि जो आँकड़े और तथ्य उन्होंने भाषण में रखे हैं उससे यह बात निर्विवाद सत्य है कि जनता पार्टी का जो शासन आया उसने इस देश की तबाही और बरबादी की है यह आँकड़ों से साबित है। दूसरी चीज यह है कि जिस दिन से यह जनता पार्टी सत्ता में आई, उसी दिन से इस देश की 70 करोड़ जनता यह महसूस करने लगी थी इनकी नौटंकी को देखकर कि हमारे साथ धोखा हुआ है, इन्हें चुनकर हमने भारी गलती की है। आज यह लोग भ्रष्टाचार, लाठीचार्ज, मंहगाई और कानून-व्यवस्था की बात करते हैं.....

[समय 3 बजे अपराह्न]

एक सदस्य—

आज तो हम बलात्कार की बात कर रहे हैं।

श्री मुईद अहमद—

भ्रष्टाचार में सब बात आ जाती है बलात्कार भी उसमें शामिल है। यह बागपत में सत्याग्रहियों पर हुए तथा कथित लाठी चार्ज की बात करते हैं, लेकिन मुझे मालूम पड़ता है कि इनकी संघर्ष करने की क्षमता समाप्त हो गयी है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि इनके ढाई साल के शासन में कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रदर्शन, कोई जुलूस या सत्याग्रह ऐसा नहीं रहा है, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं को लाठी, गोली का शिकार न होना पड़ा हो। इसी तरह दिल्ली की सड़कों पर इनकी सरकार में हमारे स्वर्गीय संजय गांधी को पुलिस द्वारा निर्ममता से पीटा गया था। इसी विधान सभा के सामने प्रदर्शन करने आने वाले हमारे कार्यकर्त्ताओं को और जनता के तमाम लोगों को, जो गन्ने की रैली में आ रहे थे, बुरी तरह से पीटा गया था, बूढ़े व बच्चों को पीटा गया था। जब लोकदल की सरकार था, बनारसी दास मुख्य मंत्री थे, उन्होंने बूढे तथा बच्चों पर लाठियाँ चलवाई थीं और नौजवानों का नेतृत्व करते हुए माननीय संजय सिंह जी को पीटा गया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज लाठी चार्ज से इतनी नफरत क्यों? यह सत्याग्रह, प्रदर्शन और लाठी चार्ज सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मेरा यूनिवर्सिटी से लेकर अब तक का अनभव है कि विरोधी पक्ष के लोग जब प्रदर्शन करते है तो अपने प्रदर्शन को मान्यता दिलाने के लिए पुलिस को मजबूर करते हैं कि वह लाठीचार्ज करे। यही कारण है कि जब यह लाठीचार्ज की बात करते हैं, तब उसमें पुलिस का कोई दोष नहीं रहता है। वह इस हद तक बढ़ जाते हैं कि पुलिस को लाठीचार्ज करना ही पड़ता है। जहाँ तक महंगाई की बात है जब श्रीमती इन्दिरा गाँधी मार्च, 77 में सत्ता छोड़ी थीं, उस वक्त मंहगाई क्या थी और जब हम सत्ता में आए हैं, तो महंगाई क्या है, एक-एक चीज आप देख लें? चाह कोई भी चीज हो—ट्रैक्टर, डीजेल, खाद, दियासलाई, मिट्टी का तेल या अनाज कोई भी चीज हो। इनकी वितरण प्रणाली यह रही ह कि सत्ता में आते ही इन्होंने अपने दलालों को कोटा दिया, जिससे आज कोई वितरण प्रणाली रह ही नहीं गयी है।

[श्री मुईद अहमद]

जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, मेरा यह विश्वास है.....

(व्यवधान)

(कुछ लोग खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अधिष्ठाता—

आप माननीय सदस्य क्या कहना चाहते हैं ? किस नियम के अन्तर्गत आप कहना चाहते हैं (व्यवधान) बिलकुल नहीं, आप बैठें। आप लोग इस तरह स बाधा क्यों डालत हैं.....

(व्यवधान)

मैं चाहता हूं कि नेता विरोधी दल इनको रोकें, यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

(श्री कुबेर के व्यवधान के मध्य बोलते रहने पर जो सुनाई नहीं दिया)

यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा, यह मेरी व्यवस्था है। यह उचित नहीं है, यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा। आप बोलिए मैं इनको बाद में समय दूंगा, जितनी देर आप खड़े रहेंगे।

श्री मुईद अहमद—

जहाँ तक शासन से भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात है, भ्रष्टाचार की असली जड़ नौकरशाही है और इसी नौकरशाही पर ही कड़ा नियंत्रण रखने का काम काँग्रेस पार्टी के नवयुवक, स्वर्गीय संजय गाँधी ने किया था। मेरा विश्वास है कि जितना कड़ा नियंत्रण स्वर्गीय श्री संजय गाँधी ने नौकरशाही पर रखा उतना कड़ा नियंत्रण बरतानिया हुकूमत के बाद कभी कोई नहीं रख पाया है। मैं तो समझता हूं कि प्रशासन में सुधार तो उसी दिन आ गया था जिस दिन नौकरशाही को पता चला था कि अब श्रीमती इन्दिरा गाँधी सत्ता में आ रही हैं। (व्यवधान) इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के उनके अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उस धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मुझे आप समय नहीं दे रहे हैं, मैं कई बार खड़ा हुआ हूं।

(व्यवधान)

*श्री देवेन्द्र पाण्डेय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 जुलाई को महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ उसमें उन्होंने वर्तमान सरकार की जनहित की और प्रदेश की प्रगति की नीतियों को बताया जिसके लिये हम उनके आभारी हैं। जिन नीतियों को उसमें बताया गया है उनके कार्यान्वियन के लिये मैं समझता हूं कि विपक्ष के सहयोग की भी आवश्यकता है। जब से इस अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, मैंने माननीय नेता विरोधी दल को भी सुना, विपक्ष के अन्य माननीय सदस्यों को भी सुना, सारा समय आक्षेप और प्रत्याक्षेप में ही लगा है। यह वर्तमान सरकार अपने 20 सूत्री और 4 सूत्री कायक्रम द्वारा प्रदेश को आगे ले जाना चाहती है। आज जरूरत इस बात की है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही आपस में मिल कर प्रदेश और देश की प्रगति के विषय में सोचें। केवल बागपत काँड की ही

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चर्चा कराने से काम चलने वाला नहीं है। मेरा अपना विचार यह है कि बागपत केवल विरोध पक्ष के लिये ही है, वह विरोध पक्ष का हीं नहीं है, बागपत अपने ही प्रदेश का एक अंग है वहाँ के जनता का बंटवारा नहीं हो सकता, इधर के लोगों को भी उतनी ही चिन्ता है और हमदर्दी है। उस घटना का राजनैतिक लाभ उठाना न हमारे हित में है और न ही आपके हित में। मेरा विचार है कि उस घटना को बैठ कर समझना चाहिये और उसका निबटारा करना चाहिये बजाये इसके कि यहाँ रोज रोज उसी बात की चर्चा की जाय। किसी भी विषय को इस तरह से उछाला जाना ठीक नहीं है।

(इस समय 3 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की है, जो विद्युत संकट आया है, उसके लिए जो व्यवस्था की है, उच्च शिक्षा की प्रगति के लिए जो व्यवस्था की है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। लेकिन मान्यवर, मेरा अपना एक विचार है कि इस वर्तमान अभिभाषण में एक और चीज होनी चाहिए और वह है प्राइमरी स्कूलों के विषय में। मान्यवर, आज हम देख रहे हैं कि नवजवानों में अनइम्पलायमेंट है। नवजवानों में फ़स्ट्रेशन है। उनके सामने काई कार्यक्रम नहीं है। उसका कारण यह है कि हमारा प्राइमरी एजूकेशन की तरफ बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। आज हमारे प्रान्त में हजारों ऐसे विद्यालय हैं जो चौबीसों घन्टे खुले रहते हैं। मान्यवर, न तो विद्यालय में दरवाजे लगे हैं, न छत है, ज्यादातर स्कूल पेंड़ों के नीचे लग रहे हैं। मान्यवर, आने वाली पीढ़ी जो इन्हीं विद्यालयों से तैयार होती है, जो कल सदन में आकर इस प्रदेश की उन्नित और प्रगति का निर्णय लेगी, इसके बारे में हम दोनों पक्षों को सोचना है। महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जो इस प्रान्त में उभरने वाली विध्वंसात्मक शक्तियों को समाप्त करने की बात की है, उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

*श्री बदन सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के लिए जो मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है, उसके पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने सबसे पहले उन कार्यकर्त्ताओं को धन्यवाद दिया है, जिन्होंने कि गत विधान सभा चुनाव में शाँति पूर्वक उसकी सम्पन्नता कराई और उसकी निष्पक्षता की तारीफ की है। मान्यवर, मैं उदाहरण देकर यह बता देना चाहता हूं कि जितना पक्षपात गत चुनाव में पुलिस की तरफ से तथा अन्य सरकारी अधिकारियों की तरफ से किया गया है, उतना पक्षपात हिन्दुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण देकर बतलाना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में 31 मार्च, 1980 को चुनाव हुआ और वहाँ पर पुलिस के सी० ओ० श्री रवि शंकर त्रिपाठी ने लोकदल के मतदाताओं को पीटा।

मान्यवर, इस तरह का उदाहरण शायद कभी भी देखने को नहीं मिला है, हो सकता है कि बोटिंग की चोरी-चोरा किया हो, लेकिन मतदाताओं को, जो कि सार्वभौमिक शक्ति है, उस मतदाता को पीटने का यदि काम किया गया है, तो इस चुनाव में किया गया है और इतना ही नहीं उन मतदाताओं को पीटने के पश्चात् उनके ऊपर उल्टे रिपोर्ट दर्ज कराई गयी। उनको भिन्न-भिन्न प्रकार के मकदमे में फंसाया गया और मुझे भी शामिल करने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। इसके साथ-साथ मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में एक अशोक पुत्र वेदी था डा० अशोक पुत्र विजय सिंह ने जब जाली वोट दिया तो इसके ऊपर झगड़ा हुआ और काफी विरोध हुआ। वहाँ पर जब झगड़ा हुआ, तो उस झगड़े में पुलिस ने कांग्रेसी मतदाताओं की ओर से, उनकी मदद के लिए लोकदल के मतदाताओं के विरुद्ध 395 और 307 के मुकदमे दायर कराया और लोकदल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बदन सिंह]

के मतदाताओं की कोई भी रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं की गयी बावजूद एस0 एस0पी0 के आदेश के भी कोई रिपोर्ट वहाँ पर दर्ज नहीं हुई और काँग्रेसी मतदाताओं की वहाँ पर सहायता की जा रही थी और बराबर लोकदल के समर्थकों और मतदाताओं को पुलिस के द्वारा दबाया जा रहा था। मान्यवर, इस प्रकार का लादूखेड़ा का उदाहरण देना चाहता हूं। ढाई सौ आदमी एक जाति विशेष के राजस्थान, पुसेंडा, पटी, बाबपुरा, सिजरौली आदि कई गाँवों के जो खैरागढ़ की सीमा पर स्थित है मय बन्दूक लाठी और बल्लम के साथ पोलिंग स्टेशन को वहाँ के स्थानीय काँग्रेसी कार्यकर्त्ताओं ने कब्जा कर लिया। जहाँ जंगजीत नाम का एक आदमी जब अपनी चाची को वोट डलवाने पोलिंग स्टेशन पर जा रहा था, उसका अपहरण इन राजस्थान से आने वाले लोगों ने कर लिया और जब उसका बड़ा भाई पूरन थाने में रिपोर्ट करने गया तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुयी बल्कि उल्टे उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। मान्यवर, मैं लोकदल का सदस्य हूं लेकिन मै काँग्रेस (अर्स) वालों की बात बताता हूं कि काँग्रेस (आई) वालों ने काँग्रेस (अर्स) के कार्यकर्त्ताओं को मारपीट कर भगा दिया, जिससे उनका मनोबल टूट गया और इस तरह काँग्रेस (आई0) वालों ने वहाँ भी कब्जा पोलिंग पर कर लिया। जबकि मान्यवर, वहाँ पर काँग्रेस (अर्स) वालों का बहुमत ज्यादा था, पोलिंग बूथ कैप्चर हो जाने की वजह से उनको कम वोट मिले और काँग्रेस (आई) वालों को अधिक। इसी तरह से मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं कि रायभा गाँव में 4 बजकर 18 मिनट पर ही पोलिंग बन्द कर दी गयी। वहाँ के 300 मतदाता वोट लोकदल में डालने के लिए खड़े, जब उनसे कहा गया कि अभी पोलिंग क्यों बंद कर दी, कोई सुनवाई नहीं हुयी? जबकि मान्यवर, नियम यह था कि साढ़े चार बजे तक जितने मतदाता लाईन में आकर लग जाते, उनको वोट डालने दिया जाता। लेकिन मान्यवर, ऐसा नहीं किया गया। ठीक चार बजकर 18 मिनट पर पोलिंग बंद कर दी गयी। इतना ही नहीं वहाँ बैलेट बाक्स भी नियमानुसार सील नहीं किये गये। वहाँ के कर्मचारी और पुलिस मिल कर लोकदल के वोट्स में गड़बड़ी करना चाहते थे। जब हमारे कार्यकर्त्ता उनके ट्रकों के आगे लेट गये, तब वहाँ बैलेट बाक्स सील किये गये। इसी तरह से मान्यवर, जाजौली मतदान केन्द्र पर 4--15 पर ही पोलिंग बंद कर दी गयी। जबकि वहाँ लोक दल के मतदाता काफी वोट डालने से वंचित रह गये। इससे यह साबित हो गया कि सरकारी कर्मचारी और पुलिस खुल कर शासन पक्ष की वाहवाही लूटने और तरफदारी कर उनको खुश करना चाहते थे। इस तरह से हिन्दुस्तान के इतिहास में कभी भी पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाया गया। इसलिए मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का विरोध करता हूं और जो मैंने संशोधन प्रस्तुत किये है उनका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)---

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बहुत काँट-छांट हुयी, बहुत कुछ उसे खरादा और तराशा गया। लेकिन जितना ही खरादा और तराशा गया उतना ही उसमें चमक भी पैदा हो गयी जैसे कि खरा नग चमकता है। इसके लिए आपका आभारी हूं। शासक दल के माननीय सदस्यों का ही आभारी नहीं हूं बल्कि विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों का भी आभारी हूं क्योंकि इन्होंने ही खरादने और तराशने की ज्यादा मेहनत की है। इसमें हर एक सदस्य का योगदान है। और अनेकों सवाल इन 3 दिनों के अन्दर विरोध पक्ष के मा0 सदस्यों ने पूछे। लेकिन इन लोगों ने सवाल वही पूछे इन 3 दिनों के अन्दर जो 3 साल के अन्दर इन्होंने सवाल पैदा कर दिये थे। मान्यवर, 3 वर्षों के जो सवाल खड़े हुये हैं उनको 30 मिनट में जबाव देना कठिन है। लेकिन फिर भी जितनी मेरी क्षमता है मैं पूरा प्रयास करूंगा। जितने सवाल किये गये मान्यवर, अगर मैं. माफ कीजियेगा, 3 वर्ष पीछे जा रहा हूं।

एक सदस्य—

32 साल का भी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

उसका भी । सबसे बड़ा सवाल महंगाई का इन 3 सालों में, अराजकता का, देश के बिखराव का, दिशाहीनता का नहीं रहा । सबसे बड़ा सवाल रहा है कि वह दल जिसने इन सब का प्रादुर्भाव किया है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई । माननीय सदस्य जो उधर बैठे हुये है वह कहेंगे कुर्बानी से उत्पत्ति हुई है । जो भी माने सही हैं कुर्बानी से हुई या स्वार्थ की बेदी पर सिद्धान्तों की कुर्बानी पैदा हुई है । स्वार्थ के मेल में और सिद्धान्तों के मेल में बहुत अन्तर होता है । जनता पार्टी का प्रादुर्भाव स्वार्थ के मेल से हुआ है सिद्धान्ति से नहीं । जनता पार्टी में कहाँ लोकदल, कहाँ सोशलिस्ट पार्टी और कहाँ जनसंघ ।

एक सदस्य--

कोर्टशिप से ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

और कोर्टशिप से जो वर्ण सन्तान राजनीतिक पैदा हुआ उससे जो कार्यहीनता का प्रादुर्भाव हुआ उससे कोई आश्चर्य नहीं । मान्यवर, इस सदन में एक जनसंघ दल के नेता से एक समय बात हो रही थी । मैंने उनसे पूछा कि जनसंघ चाहे उसके सिद्धान्त गलत हों सही हों, माने न माने जो जाता है वह आजीवन समर्पित होकर जाता है तो आप कैसे इन भिन्न सिद्धान्तों के साथ निभा रहे हैं तो उन्होंने कहा भाई स्वस्थ रहने पर तो खिचड़ी भी खाई जाती है। बड़े लोगों के डर से खिचड़ी खा रहा हूं । लेकिन स्वस्थ होऊं पर खिचड़ी छोड़ दूंगा लेकिन वह स्वस्थ्य का दिन आया ही नहीं और खिचड़ी पकी नहीं ढाई सालों में हाँडी फूट गई । मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने कहा मैरेज मे, विवाह से जो भी रूपरेखा जो भी चेहरा बना 77 में जनता विश्वास करने लगी की सही है एक ही सिद्धान्त की पार्टी है और अपना विश्वास दिया और यह उसी प्रकार जनता का विश्वास देना हुआ जैसे कि सीता को हरने के लिये रावण 10 मुख नहीं एकमुख लेकर आया था और काँग्रेस की जो लक्ष्मण रेखा थी, श्रीमती इन्दिरा गाँधी की नीति की रेखा थी इससे बाहर की ओर अपनी झोली फैलायी और जनता ने जनता पार्टी की झोली भर दी । जैसे की ही रावण लंका पहुंचा यह दिल्ली और लखनऊ पहुंचे उसका 10 मुख सामने आ जाता है । मान्यवर, एक चीज थी । रावण राक्षस होते हुये 10 मुख होते हुए यह कहीं प्रमाण नहीं आया कि वह 10 बातें कहता था । वह कहता एक ही बात था । लेकिन यह राजनीतिक रावण हर मुख से अलग बात कहता था । केवल एक ही प्रमाण है । जब अन्तिम समय आया था रावण का तब दसों मुखों से हंसा था । वही ढाई साल में दसों मुख से जब यह हंसा तो उसका परिणाम, मान्यवर, आप जानते हैं । मान्यवर, वाराणसी में एक लंका भी है और उस लंका को रावण ने तमाम सोने से सजाया था । यहाँ नहीं वहीं की लंका सही, सोने का नगर बसाया था । आपने क्या किया ? घर का भी सोना क्या हुआ ? यही नहीं बनारस की ही बात कहता हूं उस लंका जो जलाने के लिए बाहर से बानर आया था, नाम लेना इस सदन में उचित नहीं होता ।

एक सदस्य--

कविता कर रहे हैं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, अगर इसको आप कविता मानते हैं, एक बार काव्य भाव भी हमारा खोटा हो गया था और वह तब । बाजार से मैं गुजर रहा था साधारण तौर से अपने गृहस्थी की चीजों की खरीद फरोख्त करके, पटरी पर एक खिलौना वाला दो काठ के मुर्गे डोरी लेकर लड़ा रहा था और कह रहा था, आइये-आइये, आठ आने में खरीदिए; लड़ती हुई सरकार को खरीदिये । मान्यवर, तीन साल के इस दिशाहीन कुशासन से सरकार की इज्जत सड़कों पर आठ आने में बिकने लगी । इंतजाम तो छोड़िए, सोने का इंतजाम छोड़िए । यहां तो कोयले का भी प्रबन्ध नहीं कर सके । कोयले की खदान

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

वालों से कहा बिजली नहीं मिल रही है और बिजली वालों ने पूछा तो कहा कोयला नहीं मिल रहा है ।

मान्यवर, मैं आंकड़ों पर बहुत विश्वास नहीं करता। जो गुजरी होती है उससे ज्यादा सबूत नहीं होता है। लेकिन कभी-कभी ध्यान आकर्षित करना जरूरी होता है। 1979–80 में औद्योगिक उत्पादन 30 प्रतिशत घटा है। 1977–78 में जो माप थे वह आधार माना जाय, 1978–79 में प्रदेश की आय 5 हजार 159 करोड़ थी। वह घट कर एक साल में 4 हजार 4 सौ करोड़ हो गयी। 759 करोड़ रुपये की आय में कमी हुई । जबकि आय कम होती है पूरे प्रान्त की तो उसी प्रकार प्रति व्यक्ति की आय जो है वह घट कर प्रान्त की 509 से 485 हो गयी। इतनी गिरावट कभी प्रदेश के इतिहास में नहीं हुई थी। हम लोगों ने घर को हरा भरा बनाया, 1980 में खंडहर कर दिया। खंडहर भी वैसा ही दिया है जिसकी हर ईट में लोना लगा है।

(व्यवधान)

मान्यवर, जो चर्चा हुई है, कानून व्यवस्था पर, बहुत सी ऐसी चीजें कही गयी लेकिन कानून व्यवस्था का आधार होता है शासक दल की नैतिकता। कानून की दृष्टि में सब बराबर है कि नहीं, इस मूल्य का पालन हो रहा है या नहीं। और 3 वर्ष में जहां इण्डियन पेनल कोड के अन्दर अगर कोई गुनाह करता है तो एक अदना आदमी को भी कम से कम मैजिस्ट्रेट से सेशन जज, सेशन जज से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीमकोर्ट तक मौका रहता है अपील का । लेकिन 65 करोड़ की जनता में केवल एक ही इनसान ऐसी अभागनी थी जनता पार्टी के राज्य में जिसको चाहे फांसी चढ़ा दिया जाये, काला पानी भेज दिया जाये, उसको केवल एक अपील का मौका दिया गया। कानून और व्यवस्था की बात होती है। जब कि प्रदेश के अन्दर कानून और व्यवस्था की एक-एक कड़ी टूट गयी थी वहां पर शाह कमीशन की चहार दीवारों में वह बेड़ी गढ़ी जा रही थी जिसमें इंदिरा गांधी को बन्द किया जा रहा था।

(व्यवधान)

वह बेड़ी भी गढ़ी नहीं जा सकी थी। वह फौलाद नहीं बनी क्योंकि इंदिरा गांधी एक इंसान नहीं हैं। 65 करोड़ लोगों के दिलों में बसी हैं।

(व्यवधान)

महिलाओं की बात आयी। उस महिला ने जिसने देश को हमेशा सम्मान दिया, एक गांव के आदमी का भी घर आंगन होता है। उसमें वह रहता है। किसी से भी पूछ लिया जाये, आप देहात जानते है मान्यवर, उसमें रहे हैं, किसी का घर आंगन खुदवा लीजिये ? लेकिन उनकी दीवार, आंगन तक खुदवा ली गयी। ये जानते रहे कि उसके अन्दर गड़ा धन छिपाया हुआ है। लेकिन इंदिरा गांधी का धन हीरे और जवाहरात नहीं थे। इंदिरा गांधी का धन इस देश के जर्रे-जर्रे में, कन्या कुमारी से लेकर हिमालय तक छिपा हुआ था जो 7 जनम आप खोदिये, नहीं निकाल सकते हैं। यह रही है न्याय और व्यवस्था, कानून, जिसमें सब नागरिक बराबर हैं। जिसके 3 बरस हमने गुजारे ह। यहीं नहीं, अभी खंडहर की बात हो रही थी। केवल लोना ही नहीं लगा है, उसके पत्थरों में हिन्दू और मुसलमानों का खून लगा हुआ है। उस ना-पाक पत्थरों को लेकर हम अपना घर भी नहीं बना सकते हैं। और इसके पीछे अलीगढ़ का वह इलाका, वह जहर है, जहर नहीं मैं तो कहूंगा कि जहन है, जो जहर से भी विषैला है, जो इस देश में पैदा होते है और यहीं पर अपना जीवन बिताये हैं, मरे हैं उस एक बड़े भारी हिस्से को गैर माना है, यह जहर है।

मान्यवर, गरीब का एक बच्चा गरीबी में दिक्कत में पल रहा हो, फांका और गुरबत में पल रहा हो। वह बच्चा गुरबत बर्दाश्त कर लेगा। हंसी खुशी उसके चेहरे पर रहेगी पर अपने मां-बाप के बीच। जिस दिन उसके दिल में गैरत आ जायेगी,

उसकी खुशी छिन जायेंगी, उसकी हंसी निकल जायेगी। वह लोग अपने दिल को टटोल कर सोंचे कि असलियत क्या है ? हर भाई यहीं पैदा होता है और इसी धरती में दफन हो जाता है। इस धरती से छीनने वाला नहीं है। वह लोग नहीं छीन सकते जो उसका घर न बना सके हों।

मान्यवर, जनता पार्टी के अन्दर एक लेबिल लगा लिया गया हो। उसको हाथी, घोड़ा, ऊंट और चिड़िया बनाया जाये उसका रंग वही रहेगा। अगर जहनियत वही है तो बोर्ड का रंग बदलने से कुछ नहीं होता।

मान्यवर, इन तीन वर्षों में एक ऐसा वर्ग और रहा है जो पिसता रहा है और सोचता रहा है कि उसके ऊपर से छाया हटा दी गयी है। वह श्रमिक है, हरिजन है, मजदूर है। वह ऐसा इन्सान है जिसके पास कोई दौलत नहीं है सिवाय अपने शरीर के। सुबह अपना शरीर बेंचता है तो शाम को अपने बाल-बच्चों को अन्न देता है। जिस दिन उसका शरीर नहीं बिकता उसके बाल बच्चे भूखे रहते है। चिड़िया को भी एक घर की जरूरत होती है, उसके पास भी एक घोसला होता है। लेकिन यह वर्ग है जिसके पास घर नहीं है जिसे वह अपना घर कह सके। इन्हीं के लिए इन्दिरा जी का 20 सूत्री कार्यक्रम बना था जिसका कार्यान्वयन भी हुआ था। लेकिन कुछ ऐसी आंधी आई कि इनके कुल की आशायें टूट गयीं। उन आशाओं को पुनः स्थापित करना यही हम लोगों का संकल्प है, यह राज्यपाल के अभिभाषण से प्रतिलक्षित होता है। हम लोग इसको पूरी स्वीकृति और समर्थन देते हैं।

मान्यवर, इसी संदर्भ में कह दूं। मैंने अपने जीवन में कभी सफाई नहीं दी लेकिन चूंकि चर्चा आ गयी और अगर मैं नहीं कहूंगा उसके विषय में तो कल फिर सदन में कहा जायगा कि बात उठाई गयी लेकिन चुप-चाप रही, खंडन नहीं हुआ इसलिए स्वीकार हुई है। बात उठाई मेरे भाई मोहन सिंह जी ने कि जस्टिस सी0 पी0 एन0 सिंह 1400 एकड़ जमीन उनके पास है। इसलिए उठाई गयी कि शायद उसके बाद यह भी है कि कुछ जमीन.....

(शोर)

श्री मोहन सिंह---

एक स्पष्टीकरण कर दूं मैंने केवल मंगलदेव विशारद कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है।

श्री अध्यक्ष---

वह यह कह रहे हैं कि उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया है। केवल रिपोर्ट पढ़ी है।

(शोर)

कृपया बोलने दें।

एक सदस्य---

सुनने के लिए हाजमा दुरुस्त रखिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

मान्यवर, मैं यह कह देना चाहता हुं कि आप अपनी अध्यक्षता में कोई भी कमेटी गठित कर दें। जो जांच कर ले। जो कुछ मेरे पास है मैं सामने कर सकता हूं। अगर उसमें कोई चोर है, कोई कोर दबा है तो वह सदन के सामने आ जायेगा और अगर कहीं किसी जमीन में मेरा हिस्सा हो तो आप देख सकते है। राजनीति में आने के पूर्व मेरे उन्हीं के साथ दिन वीते है,जो यह मजदूर वर्ग रहा है। मुझे संतोष है जो मेरे पास भूमि थी, एक राजा, एक जमीदार, एक सीरदार न रह कर वहां पर आज आदिवासियों के लिए एक बालिका विद्यालय है, एक हरिजन आबादी वहां पर कायम है। मुझे संतोष है कि मेरा घर एक राज महल न रह कर आज उसमें शास्त्री जी की पुण्य स्मृति में वहां पर मजदूर दियासलाई बनाने का काम करत हैं। मैं भी एक इन्सान हूं, पचासों

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

अवगुणों से मैं भी युक्त हूं, मैं दूध मे धुला हुआ नहीं हो सकता हूं। आप मेरा आश्वासन मान लीजिए। जो दल इंदिरा जी के नेतृत्व में है, उसकी ओर से मैं आश्वासन देता हूं कि शासन का जो पंजा है वह फौलादी रहेगा और गरीब की ओर रहेगा और वह फौलादी पंजा अगर विश्व नाथ प्रताप सिंह भी कोई गलत काम करेगा तो यह दल उसे भी माफ नहीं करेगा। लेकिन केवल इसी विचारधारा से जुड़ी हुयी एक और विचारधारा है जिसे हमें सरकार के सभी कार्यों में परिलक्षित करना पड़ेगा। हम जब केवल आज साधनों की बात करते हैं।तो केवल साधनों के बढ़ाने से ही सहीं ज्ञान नहीं हो सकता है कि हम अपनी दिशाओं में जा रहे हैं या नहीं। कई बार जब सरकार को साधन उपलब्ध कराये गये है तो जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में जो छोटी शिखर रही है, वहीं तक चीजें पहुंची है। तो जैसा कि राज्यपाल जी ने संकेत किया है कि इस सरकार के साधन हिमपात की तरह से न केवल शिखरों पर ही गिरें बल्कि उस वरसात की तरह से हर नाले और नदियों में गिरे और फिर दोनों जन सागर में जाकर मिलें।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः वही कहना चाहता हूं कि इन लक्ष्यों को लेकर हमें एक सरकार स्थापित करनी है। सरकार पुलिस और फोर्स से नहीं रहती है। सरकार दिशाओं के बोध से होती है और संकल्प से जिनकी ओर संकेत कर दिया है।

बागपत का नाम लेते ही ऐसा होगा जैसे बिर्रों के छत्तों में हाथ डालना होगा। चूंकि उसके लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कृपापूर्वक समय निर्धारित किया है 1 1/2 घंटे की चर्चा, इसलिये अभी उस विषय पर कुछ कहना नहीं चाहता हूं लेकिन विरोधी पक्ष की ओर से संकेत किया गया है कि जो अधिकारीगण कोई गलत काम कर रहे है, उनको हम सुरक्षा दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अपराधी चाह कोई नागरिक हो या अफसर, यह सरकार उसकी दंडित करेगी। उसको किसी प्रकार की रक्षा दन की मंशा इस सरकार की नहीं है। बाराबंकी के बारे में जैसे ही मालूम हुआ, वैसे ही दो सिपाहियों की गिरफ्तारी की गयी, उनको निलम्बित किया गया, थानाध्यक्ष और उप-पुलिस अधीक्षक को भी निलम्बित किया गया। इसी तरह से डा0 शिवानन्द नौटियाल ने उठाया था एस0 डी0 एम0, उत्तर काशी के बारे में। वह वहां से तुरन्त हटा दिये गये और कमिश्नर से कह दिया गया है कि इसके बारे में जांच करें। यह कुछ ही हफ्ते हुये, जबकि यह सब किया गया। वैसे लिस्ट बड़ी है लेकिन जब बागपत की बात होगी, तो शायद ये आ जायेंगे।

मान्यवर, मौजूदा सरकार को करीब एक माह हुये सत्ता में आये। कुछ आंकड़े जरूर रखना चाहूंगा जरायम के सिलसिले में। दो पखवारे रहे है सरकार के आनें के पहले और उसके बाद के। एक 1-6-80 से 15-6-80 तक और दूसरा 16-6-80 से 30-6-80 तक। इसमें पहले पखवारे में डकैती 213, दूसरे पखवारे में 137 हुयीं। लूट-पहले पखवारे में 342 और दूसरे पखवारे में 273 हुयी। दंगे पहले हफ्ते में 531, दूसरे पखवारे में 480, गृह-भेदन पहले पखवारे में 10,125, दूसरे पखवारे में 9,67 हुये। हत्या-पहले पखवारे में 281 और दूसरें में 256 इतने अल्पकाल में यह गिरावट परिलक्षित हो सकती है तो यद्यपि मैं यह नहीं कहता कि सब कुछ हो गया--लेकिन कुछ तो इंगित होता है कि किस दिशा में सरकार की मशीनरी चल रही है।

यहीं नहीं, जरायम के बारे में जो इण्डियन पेनल कोड में लिखा है, वही जरायम नहीं। बहुत से जरायम आर्थिक ढंग के होते हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ हैं। दवाओं में यहाँ के डाक्टरों द्वारा जो घोटाला हुआ, उसके विरुद्ध बहुत कठोर कदम उठाये गये हैं और जो करोड़ों का घोटाला 30 वर्षों में उद्घाटित नहीं हुआ, वह चन्द हफ्तों में हो गया। यह इसलिये कह रहा हूं कि सरकार की जो दिशा है, संकल्प है, उसके प्रति थोड़ा संकेत हो जाय। और भी दिशाओं में भी यही रुख रहा है।

रहीं पावर की, तो मान्यवर, भूतपूर्व सरकार का पावर का जैसे ह्रास होता गया, उसके पावर का उत्पादन भी घटता चला गया। यह पावरलेस सरकार जो 3 साल रही, उसमें इस प्रकार पावर के उत्पादन की गिरावट रही। लोड फैक्टर इंगित करता है इफीसियेंसी को—1977–78 में 51, 1978–79 में 49, 1979–80 में 44 हो गया। इस दिशा में जो राज्यपाल जी ने इंगित किया है, पावर बोर्ड के कार्यकलाप, उसके गठन और उसकी कार्य-पद्धति में सुधार किया जाय, उसके प्रति हम दृढ़संकल्प है और उसमें सुधार किया जायेगा। आपने अखबारों में देखा होगा, 2000 मेगावाट पावर का सिंगरौली में 12 तारीख को प्रधान मंत्री जी शिलान्यास करने वाली थीं, लेकिन कुछ विशिष्ट कारणों से थोड़ी देर के लिये वह स्थगित है। मान्यवर, इस दिशा में हम लोगों को बहुत कुछ करना है। 84–85 के आंकड़ों के अनुसार जो बिजली उपलब्ध होगी और जो माँग होगी, उसमें जो अंतर है, वह 1500 मेगावाट का है।

तो, मान्यवर, चाहे कृषि की उन्नति की बात हो, चाहे उद्योग की बात हो, ये सब मूल मन्त्र हैं जिनकी ओर हमको अग्रसर होना है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण पर इनके बारें में जोर दिया है, इसके लिये हम लोग उनके आभारी है। जैसा कि अभिभाषण में कहा गया है, 7 तापीय और 6 जल विद्युत् योजनायें केंद्रीय सरकार से स्वीकृति के लिये गयी है हम लोगों का उद्देश्य रहेगा कि जल्दी से जल्दी स्वीकृति मिले। कुछ संशोधन भी हमको तैयार करने होंगे, प्रांत को कमर कसनी होगी कि हम संसोधन तैयार कर सकें। इसके अतिरिक्त अब हिमालय की घाटियों में बाँध बाँध कर बिजली पैदा करने की आवश्यकता है क्योंकि जब अनावृष्टि होती है तब हमें भूतल के पानी की आवश्यकता होती है। इसलिये हमको हिमालय जिसने हमें भागीरथी दिया है जिसके अंचल में हम जिसके पुत्र कहलाय है उस ओर हमें ध्यान देना है। इसके लिये हमें कन्द्रीय सरकार की सहायता की जरूरत होगी। इसके लिये जगह की, साइट सेलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है।

मान्यवर, रही बात उद्योगों की तो इस दिशा में जो संकेत किया गया जहाँ पर हमें उद्योगपतियों को काबू में और कब्जे में, लगाम में रखना है वहीं पर इस प्रदेश के लिये आवश्यक हो गया है कि उद्योगों को आगे बढ़ाया जाय। उद्योगपति और उद्योग में अन्तर है। उद्योगपतियों को तो कसकर रखना है और उद्योग वृद्धि की लगाम ढीली रखनी है। बाहर के उद्योग इस प्रान्त में आयें, रेंड टेपिज्म में इधर उधर वह न भटकें, शीघ्र ही उनके सम्बन्ध में निर्णय हो सके इस दिशा में हमें जागरूक रहना होगा। क्योंकि कृषि पर जो जन भार है वह अब संभल नहीं पा रहा है। वह भार उद्योग ही संभाल सकेंगे। वह एक ऐसा सेक्टर है जहाँ हम इस बेकारी की समस्या का हल खोज सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे प्रान्त में बहुत बड़ी निर्यात की संभावनायें है जिसका हमने उपयोग नहीं किया है। देश के निर्यात का कुल 1 या 2 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश का है। जहाँ कालीन उद्योग हो, पीतल के बरतन का उद्योग हो, हैन्डलूम उद्योग चमड़ा उद्योग हो वहाँ पर पूरे देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 1 या 2 प्रतिशत हो तो इसमें नया चिंतन करना होगा। हमें इस प्रान्त को इस दिशा में आगे बढ़ाना है। कृषि की बात आती है, इस पर पूरा प्रांत आधारित है। लेकिन दावा किया गया था, किसान के बेटे के राज में एक और सरकारी मिलों के गन्ने के शीरे का रसास्वादन कर रहे थे उसी समय गन्ना उगाने वाले किसान अपने खेत में गन्ने को अपने हाथ से दियासलाई लगा रहे थे। मान्यवर, इस समय उर्वरक के बारे में कहा गया, यह जरूर बहुत बड़ा बोझ आया है, राज्य सरकार चिंतित है। आयात की हुयी महंगाई जो अरब देशों से आयी है उसका संभालना जरूर कठिन हो रहा है। लेकिन इस समय हमको जनता पार्टी के एक नेता जो हमारे क्षेत्र से लड़ते आये हैं उनका एक भाषण याद आ रहा है। हमारे इलाहाबाद के साथियों को भी याद होगा कि उन्होंने इलाहाबाद में चौराहे पर एलान

श्री बिश्व नाथ प्रताप सिंह]

किया था कि यूरिया खाद 12 रुपये बोरी बिकवायेंगें। 8 रुपया पर बनती है और 4 रुपया लगाकर उसको 12 रुपये में बिकवायेंगे। यह उनका दावा था। लेकिन मान्यवर, 12 रुपया बोरी यूरिया खाद नहीं बिक सकी लेकिन किसान के बेटे के राज्य में 12 रुपया बोरी आलू जरूर बिक गया। किन्तु इस दिशा में हमारी सरकार आते ही 4 उर्वरक कारखाने केन्द्रीय सरकार नें इस प्रदेश में लगाने की सोच रही है जिसमें हमने तुरन्त चर्चा शुरू किया था, यद्यपि केमिकल और फर्टीलाइजर मंत्री श्री पाटिल जी की और से बहुत अच्छा रिस्पाँस रहा और पूरी आशा हैं। लेकिन इसके लिये राज्य सरकार पर भी बोझ पड़ेगा और उन संसाधनों को इकटठा करक हमको विश्वास है कि प्लानिंग और फाइनेन्स से इनकी स्वीकृतियाँ हम शीघ्र लेंगे किन्तु भविष्य के लिये हमको भी कमर कसना पड़ेगा।

मान्यवर, सिंचाई के संबंध में यदि किसान से पूछा जाय तो वह कहेंगा कि हमको सबसे पहले पानी चाहिये। इसके लिये विश्व बैंक से 250 नलकूपों को लगाने की योजना इस प्रदेश को मिली है। इस साल कुल सिंचाई का हमारा लक्ष्य सभी साधनों से 8,25,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई करने का है।

मान्यवर, जहाँ हम कृषि, उद्योग तथा अन्य बातें करते हैं वहीं हम यदि बुनकर भाइयों को भूल जाय तो यह अन्याय होगा। कृषि के बाद हैन्डलूम और बुनकरों का उद्योग है इस दिशा में सहकारी क्षेत्र में जो हमारा हेन्डलूम या हथकरवा उद्योग है उसमें पिछले साल रिजर्व बैंक से 3 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था जिसको इस साल 5 करोड़ रुपये का लक्ष्य हमने रखा है। यह भी है कि जो राज्य सरकार के अन्डर में मिले हैं उनमें जो 25 हजार तकुयें हैं उनके स्थान पर 37,500 तकुवे की वहीं मिलें करदी जाय। इस प्रकार वे लगभग 4 नई मिलों के बराबर इस परिवर्तन से होगा।

मान्यवर, कोआपरेटिव सेक्टर में हैन्डलूम और बुनकरों को सूत सही मिलता रहे और उपलब्ध होता रहे, उनकी मजबूरी का दुरुपयोग मिल मालिक न कर सकें, इसलिये कोआपरेटिव सेक्टर में दो मिलों की स्थापना की योजना है।

मान्यवर, यह हमारी पूरी दृष्टि ह। अब मैं अधिक नहीं कहूंगा क्योंकि और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये गये हैं। एक तो सहकारिता ऋण माफी के सिलसिले में था जिसमें एक माननीय सदस्य ने कहा था कि सरकार उसकी वसूली तुरन्त बन्द करे और जो भी जमीनों की नीलामी हुई है वह न हो। तो मैं बताना चाहता हूं कि नीलामी जमीनों की सेल नहीं होगी और किसी की जमीन नहीं ली जायेगी, यह तत्काल आश्वासन हमने दिया था।

मान्यवर, जहाँ तक परीक्षाओं का सवाल है, वहाँ पहले ही इस सरकार ने अध्यापकगण और विद्यार्थियों से सहयोग की याचना की और परीक्षा समय से चलें और इसका हमको पूरा ध्यान रहा है। इसमें अभी तक कोई बाधा नहीं आयी है।

श्री मोहन सिंह—

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पिछले साल के प्रवेश अभी हो रहे हैं। ऐसा क्यों है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

उनका समाधान कहाँ हुआ था। यह तो पिछले 3 साल की यह वहाँ समस्या रही है। इसके अतिरिक्त इतने बड़े प्रान्त में हम अपने उन क्षेत्रों का नहीं भूल सकते जो पहाड़ी क्षेत्र और बुन्देलखण्ड के क्षेत्र कहलाते है, पूर्वांत्तरी क्षेत्र हैं। इनकी विशेष समस्या है। इन पर जो ध्यान राज्यपाल जी ने दिलाया है उसका हम सहर्ष स्वागत करते हैं और उस दिशा में विशेष योजना बनाई जायगी।

उर्दू इस धरती की भाषा रही है। यहीं पर वह पैदा हुई है और बहुत समृद्धशाली भाषा है। उर्दू को उचित स्थान दिलाने के लिए, उसके उपयोग को बढ़ाने के लिए, हम दृढ़ संकल्प है। मान्यवर.....(व्यवधान).....सपष की जो बात

(व्यवधान)

आई.....मैं उत्तर दे रहा हूं.....जो अभी तक तीन वर्षों में आप नहीं कर सके बहुत दुहाई देते रहें हम एक बिल ले आयेंगे जिससे उर्दू में शपथ दिलाना संभव होगा।

मान्यवर, अंत में मैं इसी समय जितने भी हमारे नौजवान संसद सदस्य, विधान सभा के विधायक हैं.....

एक सदस्य—

संसद सदस्य की ही याद है.....

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

जो प्रथम बार यहाँ पर आये हैं उनका स्वागत करता हूं क्योंकि जो भी समाज की जितनी भी नई दिशायें होती है, जो भी नई परिस्थितियाँ होती हैं, वह नौजवानों के.....

(माइक खराब होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य का माइक ले लें.....

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मान्यवर, हम बोल लेंगे नौजवानों की बात है। आप चिन्ता न करें। वह नौजवानों के ही हृदय से अंकुरित होती है और नई आवश्यकताओ, नई परिस्थितियां, नई राजनीतिक परिस्थितियों की भूमिका बनती है और वही इतिहास के परिवर्तन का आधार बनता है। इस तथ्य को अगर किसी ने अपनी अपनी दृष्टि से समझा और आंका तो मुझे कुछ भी हिचक नहीं है यह कहने में कि उसको श्री संजय गाँधी ने ही आँका। वही नौजवान था जिसने इस देश की राजनीति में नौजवानों को आहूत किया और उन्हें एक स्थान दिया। उन्होंने कई एक कार्यक्रम दिये थे। उनके कार्यक्रमों को साकार करने का संकल्प हम लोगों का है। लेकिन हम जानते है कि केवल प्रतिमा, केवल मूर्तियाँ, किसी का स्मारक नहीं बन सकती। इन्सान का स्मारक इन्सान ही हो सकता है। संजय गाँधी और सजीवता प्रयार्यवाची है। इसलिए उनकी स्मृति में कुछ बनाना है तो नौजवानों को बनाना है और नौजवानों के लिए भी जो कार्यक्रम होंगे उनके लिए यह सरकार दृढ़ संकल्प है।

इन शब्दों के साथ मान्यवर मैं अब पुनः विशेष कर जो हमारे माननीय सदस्य उधर बैठे है उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। आप की आलोचना कभी मेरे लिए कटु नहीं होगी। मैं उसे प्रजातांत्रिक, राजनीतिक अपना सबल आधार मानूंगा। जो हमारे इधर के माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये वह कठिन समय में हमारे लिये प्रोत्साहन के प्रतीक तथा दिशायें रहेंगे। एक ही अनुरोध है कि इस विराट सदन के हम लोग सदस्य हैं। जहाँ हम अपनी राजनीतिक विभिन्नताओं के कारण काट छांट तथा मारकाट करेंगे वहाँ इस विधान सभा से भी बड़ी एक सभा है भारत माँ, इस देश की। उस सभा में जब जाते हैं तो सब मुखौटों को उतार कर एक बालक की तरह जाना पड़ता है। उसमें न कोई मुख्य मंत्री है, न मंत्री है, न विरोधी पक्ष है और न शासक पक्ष है। उसमें हम सब जाकर, सब मुखौटों को उतार कर जो इस प्रदेश की उन्नति है उसका ही ध्यान रख कर, उसकी उन्नति के लिये हम सब मिल कर कार्य करें जिससे आने वाली पीढ़ियों को स्मरण रह सके कि एक शासक दल था और एक विरोधी दल था और दोनों ने मिल कर इस प्रदेश को अग्रसर किया। इन शब्दों के साथ माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं और विश्वास करता हूं उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए कि जो प्रस्ताव आया है वह सर्व-सम्मति से पास किया जायगा।

श्री मुख्तार अनीस—

माननीय मुख्य मंत्री ने प्रदेश के कई भागों के विकास के बारे में कहा और विकास योजनाओं की चर्चा की तो क्या उन योजनाओं में उत्तर प्रदेश के मध्य उत्तर प्रदेश के विकास के लिये भी कोई योजनायें बना रखी हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मध्य के बिना किनारे पहुंच ही नहीं सकते।

(श्री राजेन्द्र सिंह का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री मित्र सेन--

मैं भी एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें। मैंने नेता विरोधी दल को बुला लिया है।

श्री मित्रसेन--

आप तो अध्यक्ष महोदय जबरदस्ती करते हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें और अपने शब्द वापस लें। मैं कभी जबरदस्ती नहीं करता। मैं तो आप से प्रार्थना करता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा में इस सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने भाग लिया और अपने बहुमूल्य सुझाव दिये। मैं उनका अनुग्रहीत हूं, उन सभी का उन सुझावों के लिये। अभी नेता सदन ने बड़ी कलात्मक और काव्यशैली में अपना भाषण दिया (व्यवधान) हर चीज हर एक को नहीं आती है। मुझे दुख है कि जो प्रश्न माननीय सदस्यों ने उठाये थे उनका कोई भी उत्तर माननीय नेता सदन ने नहीं दिया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया शान्त रहें।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं नेता सदन से निवेदन करूंगा कि जिस शान्ति से हमने उनकी बात सुनी शायद वह अपने दल के लोगों को शान्त रखेंगे ताकि वे भी शान्ति से मेरी बात को सुन सकें। सत्ता के लोगों ने एक ही बात कही कि इस बार उन मतदाताओं को वोट देने का मौका मिला जिनको कभी नहीं मिलता था।

श्रीमन्, सन् 77 से पहले के चुनाव आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं। जो भी चुनाव हुआ वह सत्तारूढ़ दल के समय में हुआ। लेकिन उस समय भी सन् 74 और सन् 69 के उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनावों में लोक दल एक बहुत बड़ी तादाद में चुनकर आया था। श्रीमन्, पिछले लोक सभा चुनाव में भी जहां तक लोक दल का प्रभाव रहा वहां पर इस बार खुलकर बूथ कैपचरिंग का प्रयास किया गया। नेता सदन ने इसका न तो प्रतिरोध किया और न प्रतिवाद ही किया। अभी-अभी दो-तीन दिन पहले ही आप की नेता देश की प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने इस तथ्य को माना है कि चुनावों में असामाजिक तत्वों का हाथ रहा है। श्रीमन्, मेरा वही चार्ज था। मैं पुनः कहता हूं कि मैंने अपने भाषण में कई लोगों का नाम लिया था। मेरठ के भारी डकैतों का मैंने नाम लिया था, कुछ कांग्रेस (आई) के वर्कर्स का नाम लिया था, चम्बल घाटी के डकैतों के बारे में कहा था। लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्यों ने या नेता सदन ने उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। श्रीमन्, मैं पुनः कहता हूं कि मैंने कई स्थानान्तरण के बारे में भी मामले आपको बताये थे लेकिन उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई। उसमें मैं एक कड़ी और जोड़ देना चाहता हूं। चुनाव के दौरान बनारस के डी0 एम0 जिन्होंने 3 करोड़ रुपये की कोयले की चोरी का भंडाफोड़ किया था उसका स्थानान्तरण मेरठ कर दिया गया। उसमें एक बड़े राजनीतिक नेता और इस सरकार के माननीय सदस्य को और उनके स्वार्थों को चोट पहुंचती थी। एक

बात और कही गई माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में। अभिभाषण के पेज 2 पर अपने अभिभाषण में उन्होंने कहा है कि निर्बल वर्ग के व्यक्तियों, विशेषकर हरिजनों, महिलाओं एवं अल्प-संख्यकों के प्रति अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

मान्यवर, आज तीन दिन से आप देख रहे हैं कि यहां पर महिलाओं पर और हरिजनों पर क्या-क्या अत्याचार किये गये हैं, उसके बारे में चर्चा होती ह। यह बात सारा सदन जानता है कि कल ही उन्नाव की एक महिला के साथ पुलिस ने कुकर्म किया। मैंने अखबार स्वयं पढ़ा था। कल ही वह महिला यहां पर आकर पंचायती राज मंत्री को मिली। लेकिन अभी तक माननीय नेता सदन ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की, यह सदन को अवगत नहीं कराया। यह बताता है कि कितना आपका हरिजन और महिलाओं के साथ प्रेम है। कफल्टा काण्ड की बात यहां पर की गई। बाहर इस सम्बन्ध में 20–25 आदमी अनशन पर बैठे हैं उनके सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की जानकारी सदन को अभी तक नहीं दी गई। इसी तरह से अनेकों घटनायें हैं उन्नाव में हुई, लखीमपुर, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, बदायूं, बुलन्दशहर, देवरिया, बाराबंकी और कफल्टा में हुई। ये घटनायें बताती हैं कि आपका कितना प्यार और प्रेम हरिजनों और महिलाओं के साथ है।

श्रीमन्, अब मैं "अपहरण" शब्द पर आता हूं। अपहरण के सम्बन्ध में भी यहां पर बात उठायी गई। राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया है कि अपहरण की घटनाओं को रोकने के लिये सरकार कठोर कार्यवाही करेगी। श्रीमन्, मैं बड़ी इज्जत के साथ कहना चाहता हूं कि अपहरणकर्त्ता तो सदस्य बन गये। वह सरकार जिसमें ऐसे लोगों का प्रभाव हो श्रीमन्, किस तरह से इन घटनाओं को रोक पायेंगे मेरी समझ से दूर है।

एक सदस्य––

लोक दल का भी बता दीजिये।

श्री राजेन्द्र सिंह––

नेता सदन को बताना था। यह महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण कोरा मिथ्या है। श्रीमन, एक बात कही गई कि अन्त्योदय की योजना को चालू रखा जायेगा, अच्छी बात है लेकिन इसका श्रेय जनता पार्टी और लोक दल को है। आप अपने 30 वर्ष के शासन काल में इस तरफ ध्यान नहीं दिये।

इसी तरह से फूड फार वर्क जिसको लोकदल और जनता पार्टी की सरकार ने ही चलाया था आप के शासन में इस ओर ध्यान नहीं गया।

मान्यवर, अभिभाषण के पृष्ठ 5 पैरा 13 की ओर ध्यान दिलाता हूं। इसमें महामहिम राज्यपाल की कोई चूक नहीं है और न ही नेता सदन की चूक है श्रीमन् अधिकारियों ने गलत तथ्य कहे हैं। जिस विश्व बैंक की योजना का जिक्र हमारे नेता सदन ने बढ़ा चढ़ा कर किया है यह योजना भी जनता सरकार और लोक दल की स्वीकृति से हो हुई थी यह आपकी स्वीकृति की हुई योजना नहीं है। यह नलकूपों की योजना उसी समय पूरी हो चुकी थी और विश्व बैंक से एग्रीमेंट हो चुका था, सिंचाई सचिव और एडीशनल चीफ इंजीनियर अमेरिका, वाशिंगटन जा चुके थे और स्टाफ भी एप्वाइंट हो चुका था। मैं नहीं समझता हूं कि इसके लिए श्रेय नेता सदन और सरकार किस तरह से लेने की कोशिश कर रहे हैं।

पैरा 13 में अनावृष्टि के बारे में कहा गया। लोक दल की सरकार ने बुन्देलखंड के लिए पेय जल के लिए और कृषि के लिए दो सौ नलकूप एक ट्रा कोटे से दिये थे। अभी तक भी नहीं बताया कि वह जो कहते चले जा रहे हैं वह दो सौ नलकूप कौन हैं? इस सरकार ने ऐसी कोई चीज नहीं दी है।

[श्री राजेन्द्र सिंह]

इसके साथ ही मैं पुनः कहता हूं कि किस तरह से सत्ता पक्ष के लोग यहां आये हैं। श्रीमन्, प्रतापगढ़ में लोक दल का प्रत्याशी 216 वोटों से आगे था, मतगणना कम्प्लीट हो चुकी थी लेकिन वहां के जिलाधिकारी ने कांग्रेस आई के प्रत्यासी को 10 वोटों से जीता हुआ करार दिया। लोक दल के प्रत्याशी की पुनः मतगणना की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। गाजियाबाद में गढ़मुक्तेश्वर में कांग्रेस आई के प्रत्याशी मैदान छोड़ कर चले गये थे और अपनी हार स्वीकार कर ली थी लेकिन जिलाधिकारी ने रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में घोषित कर दिया जब कि लोक दल के प्रत्याशी को जीतना चाहिये था। इसी तरह हरदोई में जो प्रोफा मा चुनाव आयोग ने दिया है उसके विपरीत काम किया गया। वहां के प्रत्याशी ने बार-बार यह कहा कि अमुक व्यक्ति को रिटर्निंग आफिसर न बनाया जाय, यहां से आदेश भी गये लेकिन डी0 एम0 ने उसे ही रिटर्निंग आफिसर रखा।

इसी तरह फिर आता हूं आप उससे फिर चौकेंगे, बागपत की बात आती है लेकिन चौंकने की कोई बात नहीं है। छपरौली और मेरठ में कप्तान राजेश कांग्रेस के इंचार्ज थे। हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री भजन लाल भी वहां डेरा डाले रहे। श्रीमन्, उन्होंने ही वहां पर सब कुछ——बूथ-कैपचरिंग, इंटीमिडेशन, दंगे और 6 हजार लोगों को धारा 107 व 117 में अरेस्ट कराने के नियम विरुद्ध काम कराये। यह सब इन्हीं का काम था, उन्होंने और उनके लोगों ने सरकारी मशीनरी ने मिल कर वहां पर आतंक मचा रखा था। श्रीमन्, 30 तारीख को, जब चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी थी, राजेश पायलट ने हेलीकाप्टर से, हवाई जहाज से उस क्षेत्र में टनों साहित्य डाला कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने के लिए। श्रीमन्, मैं इसी कड़ी में यह भी कहना चाहता हूं कलप्रिट को बचाने के लिए, नेता सदन और उस पक्ष में बैठे हुए सदस्य तुले हुए हैं, अमादा है कि कलप्रिट को कोई सजा न मिले। मैं एक अखबार 'सण्डे स्टैन्डर्ड' दिनांक 1 जून का, सदन के समक्ष पेश कर रहा हूं, जिसमें एस0 ओ0, बागपत श्री गौड़ वोटर्स पर राईफल ताने हुए हैं। यह उसमें फोटो छपा हुआ है.....

श्री महेश चन्द——

यह एस0 ओ0 उस वक्त बन्दूक न तानते तो कांग्रेस (आई) के कैन्डीडेट को लोग जान से मार देते। हमारा कत्ल करने का वहां पर इंतजाम था।

एक सदस्य——

तो आप दरोगा के बल पर जीतकर आए हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह——

इन्होंने मेरी बात को, चार्ज को ऐडमिट किया इसकी मुझे खुशी है। उन्होंने माना कि गौड़ ने मतदाताओं पर राईफल तानी थी और यह बात माननीय सदस्य स्वीकार कर सकते हैं कि इससे बड़ा कोई चार्ज नहीं हो सकता है। एक बात और कह दूं, मैं जानता हूं कि आज बागपत पर एक चर्चा है, किन्तु चूंकि यह यहां के ला एन्ड आर्डर से सम्बन्धित है, इसलिए कहना जरूरी हो रहा है। श्रीमन्, कल मैं बागपत गया था, मुझे वहां जाने का मौका मिला, तो वहां मैंने पूरे मौके को देखा। मुझे कार देखने का भी मौका मिला। मैं सांकल कोठी भी गया था, माया त्यागी के भाई वहां रहते हैं..... (व्यवधान) बागपत का नाम सुनते ही आप चिन्तित हो जाते हैं, लेकिन मेरी भी मजबूरी है.....(व्यवधान) श्रीमन्, आप मुझे कहने का अवसर दिलाएं। एक कमल सिंह यहां थे, उन्होंने मुझे बताया.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष——

यह तो आप उक्त चर्चा में कह सकते हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

इसको मुझे कहने की मजबूरी हो रही है—मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। वहां कल सुबह 9 बजे खेकड़ा क्षेत्र के विधायक व श्री चन्द्रेश, संसद सदस्य व्यक्तियों के साथ वहां पहुंचे, श्री राजेश पायलट वहां पहुंचे.....(व्यवधान) (व्यवधान चलता रहा) यह कमल सिंह मे मिले और उसे 20 हजार रुपये का प्रलोभन दिया और कहा कि उसे 20 हजार रुपय प्रधान मंत्री फण्ड से दिला देंगे। तुम किसी तरह डी0पी0 गौड़ और नरेन्द्र सिंह को बचा दो.....(व्यवधान) मैं इस माननीय सदन के सामने कहना चाहता हूं उन्होंने उनसे कहा तुम इस केस को वापस ले लो, उसे बचा लो। मैं यह पढ़ना चाहता हूं.....

एक सदस्य—

यह सब लिखाया गया है, सदन को गुमराह कर रहे हैं.....

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ बोलते रहे)

श्री राजेन्द्र सिंह—

वह फौज में हैं, सर्विस करते हैं.....

एक सदस्य—

यह झूठ है, सब लिखाया गया है।

श्री राजेन्द्र सिंह—

हो सकता है यही हो.....

(शोर—व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कृपया शान्ति से सुने।

श्री तेज बहादुर गंगवार—

श्री न् अगर विरोधी दल वाले हम रा साथ दें और हमारी पार्टी के लोगों की मदद कर तो मैं गारन्टी के साथ कह सकता हूं कि न तो कोई बलात्कार की घटना होगी न कोई डकैती या चोरी होगी और न ही कोई कत्ल होगा.....

(व्यवधान—हंसी)

श्री प्रियदर्शी जैतली—

मैं माननीय नेता विरोधी दल से कहूंगा.....

(शोर—व्यवधान)

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय नेता विरोधी दल न जो पत्र पढ़ने की बात कही, नियमतः यह सदन में पढ़ कर नहीं सुनाया जा सकता। यह पत्र तभी पढ़कर सुनाया जा सकता है जब पहले उसकी प्रति माननीय अध्यक्ष महोदय को भेज दी जाय, तभी वह पढ़ सकते हैं, वैसे नहीं.....

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय अध्यक्ष के पास उसकी प्रति है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल, आप क्या कोई पत्र पढ़ना चाहते हैं?

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, यह एक ही बात को बार-बार कह रहे हैं.....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह—

मैं मांग करता हूं कि खाली हाई कोर्ट के सीनियर जज द्वारा सारी अनियमितताओं की जांच कराने का आश्वासन माननीय नेता सदन दे दें तो उससे ही पता चल जायेगा कि कहां क्या क्या हुआ है, क्या क्या अनियमिततायें चुनाव में हुई हैं, कहां नहीं हुई हैं। श्रीमन्, यह बात कही गयी। अभी हमारे माननीय नेता सदन ने हमारे पौने तीन साल के शासन के बारे में कुछ कहा कि कार्य कुछ नहीं हुआ था। वह तो सरकार ही नहीं थी। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, संक्षेप में कहूंगा। जनता पार्टी और लोकदल के शासन काल में क्या हुआ था, जो आप न कर पाये हैं और न आपके उत्तराधिकारी 30 साल में कर पाये हैं। जो-जो वह न कर पाये हैं और न आप कर सकेंगे, उसे जनता पार्टी और लोकदल की सरकार ने किया है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ भी नहीं है। कोरा है। श्रीमन्, मैं फिर कहता हूं कि आप किसानों के हमदर्द अपने को कहते हैं, आपने किसानों के लिए फर्टिलाइजर का दाम 56 रुपये किया, यूरिया का कट्टा 50 किलो होता है और उसकी कीमत सिर्फ 30 रुपया बढ़ाया है। मैंने जब पढ़ा कि शायद यह विरोधी पक्ष के क्षेत्रों में ही बढ़ाया गया है। लेकिन मान्यवर, जब देखा तो यह मालूम हुआ कि यह सभी स्थान पर है। जनता पार्टी की सरकार में हमने फासफेट और पोटास की खाद में 20 प्रतिशत का इजाफा किया। आज तक कांग्रेस सरकार कभी भी न कर पाई है और न कर सकेगी। खाद की कीमत भारत सरकार ने बढ़ाया नहीं है। लेकिन यह कहीं नियम नहीं है एग्रो का माल जिसकी कीमत पिछले रेट पर जमाकर चुके थे, उसको ये बढ़ी कीमत पर बेच रहे हैं। श्रीमन् इससे बड़ा अन्याय और किसान विरोधी कार्य और क्या हो सकता है? किसानों और मजदूरों का वोट आप नहीं, पाये आपको ब्युरोक्रैसी और पुलिस ने वोट दिलाया।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

अध्यक्ष महोदय, बिलकुल झूठ है, बिलकुल झूठ है। सही बोलो, सही बोलो।

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, अगर इस सरकार को जरा सा भी किसानों पर क्षोभ था, तो बड़े किसानों पर उसे छोड़ देते। यह सरकार कर सकती थी, सक्षम थी। इसमें भारत सरकार से पूछने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यह जानबूझ कर बनियां बने। मेरा यह चार्ज है। यह कभी किसान के हमदर्द नहीं। यह किसान विरोधी सरकार है। श्रीमन् और किया था जनता पार्टी की सरकार ने, मूंग की जायद फसल श्रीमन् अपने कभी नहीं किया था, हमने जायद फसल का अभियान चलाया अपने जमाने में, जो बहुत कामयाब हुआ। उद्यान के मामले में मैं कहता हूं श्रीमन्, नेता सदन बहुत सक्षम हैं, ध्यान रखेंगे। माननीय कृषि मंत्री जी ध्यान रखेंगे। मैसूर और करनाटक प्रदेश दिल्ली को सप्लाई करता है वेजीटेबिल। दक्षिण भारत से दिल्ली को वेजीटेबिल आता है।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

अध्यक्ष जी, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, अगर इजाजत दें, तो पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष—

वह बैठ जायं, तो इजाजत हो जाय। वह बैठ नहीं रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, कानपुर में इसी तरह की योजना को भी जल्द ही खत्म कर देंगे

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

सोने के बारे में क्या हुआ ?

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

मान्यवर, नेता विरोधी दल का भाषण साफ सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री राजेन्द्र सिंह---

बुन्देलखण्ड में श्रीमन्, एक केन नदी है, उस केन नदी का पूरा पानी यूटीलाईज नहीं हो रहा था। श्रीमन्, हमारे समय में इस योजना को पूरा किया गया ताकि बुन्देलखंड के किसान उसका इस्तेमाल कर सकें। श्रीमन्, मुझे ताज्जुब होता है कि गोवर्धन ड्रेन बनाई गयी यहां की इस प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा, लेकिन कोई सफलता इन्हें प्राप्त नहीं हुई केन्द्रीय सरकार की वजह से। इस तरह से श्रीमन्, केन्द्र के हाथों इस प्रदेश पर जघन्य अपराध किया गया है। श्रीमन्, इस गोवर्धन ड्रेन पर विचार हमारे समय में हुआ। गोवर्धन ड्रेन को इन्होंने नाला करार देकर उस पर कुछ नहीं किया। हमने कहा कि यह नाला नहीं है एक नहर है, श्रीमन् हमारे प्रदेश में ही नहीं इसका पानी हरियाना आदि जगह भी बहता है। मैं नहीं समझा कि इन कांग्रेसी सरकार द्वारा इस प्रदेश को सदैव केन्द्र के हाथों गुलाम क्यों बनाया। केन्द्र ने अगर कहा कि उठ जाओ तो उठ गये, केन्द्र ने कहा कि बैठ ज ओ तो बैठ गये। माननीय नेता सदन यहां बैठे हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से नारायण दत्त तिवारी जी नई दिल्ली तिवारी बन गये थे उसी प्रकार से आप भी 30 दिन में 18 दिन दिल्ली रहते हैं तो कहीं आप भी नई दिल्ली न बन जायं। श्रीमन्, हुलवाना ड्रेन की रिमांडलिंग और ताजी वाला ब्रिज जो जमुना नदी पर बना हुआ था श्रीमन्.. ....

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

मान्यवर, नेता विरोधी दल की कोई बात साफ नहीं सुनाई दे रही है, इनसे कहिये कि जरा साफ-साफ बोले।

श्री राजेन्द्र सिंह-

श्रीमन्, ताजी वाला ब्रिज जब बना था उस समय यह कांग्रेसी सरकार थी। कहने को तो यह इस प्रदेश के बड़े हमदर्द और हिमायती बनते हैं लेकिन किसी भी योजना में बगैर सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हुक्म के कुछ नहीं करते। (व्यवधान) श्रीमन्, हथिनी कुण्ड बैराज वीयर का हाल भी सुनें।

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

आप साफ बोलें ताकि हम लोग सुन सकें।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मान्यवर, नेता विरोधी दल की बात साफ नहीं सुनाई दे रही है।

श्री अध्यक्ष---

आप शांत रहें, जैसा बोल रहे हैं, सुनें।

श्री राजेन्द्र सिंह---

श्रीमन्, यह केवल गरीब और असहाय लोगों की पत्नी पर अपनी जीपें और कारें चला सकते हैं और देश व प्रदेश की प्रगति के लिए नहरों और ड्रेन्स व पुलों आदि के जो काम अधूरे पड़े हैं उनको पूरा नहीं कर सकते। यह चीजें इनके लिए महत्व की नहीं हैं श्रीमन्, यह चीज हमारे लिए बहुत अहमियत रखती हैं। इसी तरह से नलकूपों की बात है यह आप के लिये छोटी चीज हो सकती है लेकिन मेरे लिये यह बहुत बड़ी चीज है। मान्यवर, मैं दो-एक चीज और कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

30 मिनट हो चुके हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह---

कीमतों के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जनता पार्टी के राज्य में कीमतें बढ़ी थीं। श्रीमन्, अगर हम सीधे नहीं तो नौकर से राशन खरिदवाते हैं। मान्यवर, वर्तमान बजट में कहा गया कि रोजमर्रा की चीजों के दाम घटेंगे, बढ़ेंगे नहीं। मैं कह सकता हूं जनता की आवश्यक वस्तुओं के दाम 5-6 महीने में 25 प्रतिशत बढ़े हैं। रफ कपड़े की कीमत 30-33 प्रतिशत बढ़ी हैं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

माननीय नेता विरोधी दल अनुभव से बोलें।

श्री राजेन्द्र सिंह---

कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल सभी चीजों के दाम बढ़े हैं। इसमें मिसाल क्या दूं तथ्य सामने मौजूद हैं। मान्यवर, वर्तमान सरकार के शासन काल में कीमतें बढ़ी हैं। आपात काल के अन्दर कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, कमिटेड जूडीशियरी, कमिटेड इक्जीक्यूटिव थी। मान्यवर, इमरजेन्सी तो नहीं लगी लेकिन यह बात साफ है इस कांग्रेस ने ब्यूरोक्रसी को प्रशासन को अपने लिये कमिटेड करा लिया है। जिससे प्रजातंत्र के लिये बहुत बड़ा खतरा का चिन्ह हो गया है। मैं चाहूंगा माननीय नेता सदन इस तरफ ध्यान दें। जिसके कथनी और करनी में अन्तर होता है उसको जनता अधिक दिनों तक टिकने नहीं देती। मैं पुनः माननीय नेता सदन से निवेदन करूंगा कि बड़े लच्छेदार भाषण में आपने कहा कि मैं चाहूंगा कि आप अपने बातों को करने की कोशिश करेंगे। एक चीज कहूंगा मान्यवर, गन्ना, आलू के क्षेत्र में 30 साल के कांग्रेसी शासन न कभी प्रयास नहीं किया कि इस प्रदेश के अन्दर इस तरह की प्लानिंग की जाय कि कितने एरिया में चीजे बोई जायं। आप लिमिटेड तो नहीं कर सकते। लकिन किसी तरह का गाइड नहीं किया गया।

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

आप अपने कार्यकाल को याद करें जब आप कृषि मंत्री थे।

श्री राजेन्द्र सिंह---

मान्यवर, अन्त में मैं कहता हूं कि जो संशोधन का प्रस्ताव मैंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर रखा है माननीय सदस्य अपने दिल पर हाथ रख मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

***श्री संजय सिंह---**

अभी तीन चार दिन से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हुई। परन्तु दुखद यह रहा कि हमारे नेता विरोधी दल उस भाषण से एकदम बरे रहे हैं। सिर्फ बागपत उनके दिमाग में छाया रहा। मेरी समझ में यही आता है पिछले चुनाव में जिस प्रकार लोक दल, जनता शासन, मेरठ डिवीजनों में तमाम अत्याचार करता रहा। हरिजन और पिछड़ लोगों ने खुले तौर पर कहा है कि अब की बहुत दिन बाद जन्म मे पहली बार, हमने वोट दिया, वहां पर फिर वही अत्याचार करके अपने टेरर से प्रभावित करना चाहते हैं। इसीलिए इस तरह की घटनाएं यहां गुजर रही हैं। सुन्दर डाकू जब मारा गया था तो आप स्वयं जानते हैं, चौधरी साहब ने कहा था कि वह तो बहुत भला व्यक्ति था। उन्हीं के शिष्य डाकुओं को डाकू नहीं मानतें। यह जो घटनाएं घट रही हैं और उन घटनाओं के बाद लोक दल के लोग जो कर रहे हैं वह सत्याग्रह नहीं है। वह एक संकुचित भावना से अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं। वे दुराग्रही हैं। उसी का नंगा नाच आपके बीच में हो रहा है। इसी सिलसिले में मुझे कहना है। जनता शासन जब 1977 में आया उस समय चन्द लोगों ने मिल कर महात्मा गांधी की समाधि पर शपथ खायी और इस देश को समाजवाद के रास्ते पर ले जाने की कसम खायी। आपने यह भी देखा है कि उसमें वे लोग भी थे जिन्होंने महात्मा गांधी की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हत्या की थी। तो आप स्वयं सोच सकते हैं जिस रास्ते पर चलने का संकल्प करे; जो उसका तत्व है उसी का हनन करे, वह किस प्रकार जनप्रिय हो सकता है ? ज्यादातर भाई मैं देख रहा हूं यहां श्रोता हैं लेकिन कुछ सरौतें भी हैं जो बीच में कतर रहे हैं। अभी तक तो इन दिनों में काफी हल्ला किया, लेकिन जो राज्यपाल का अभिभाषण है उसके अन्त समय में जिसको कभी मना नहीं कर सकते, भले हल्ला मचा सकते हैं। आपने देखा है कि स्वर्गीय जयप्रकाश, जोकि बहुत महापुरुष थे, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, लोकनायक थे, आप सब लोग लाख, सवा लाख, डेढ़ लाख जनता के प्रतिनिधि हैं, सारे विधायक हैं, उन्होंने देखा है कि जनता पार्टी के लोग अपने नेता की इज्जत नहीं कर सकते। जब कभी कोई झगड़ा होता था, कभी चन्द्रशेखर जी चले आ रहे हैं, कभी अटल बिहारी बाजपेई चले आ रहे हैं लेकिन जब सारी पार्टियां अलग हैं। जयप्रकाश जी के अन्त समय में, केवल चन्द्रशेखर जी जब बीमारी की सूचना मिली तो पहुंचे। कांग्रेस का इतिहास आपके सामने है। श्रीमती गांधी के खिलाफ आप सारे लोगों ने मिलकर केवल एक सूत्री कार्यक्रम चलाया। तीन वर्षों में कि उनको किस तरह से समाप्त कर दिया जाय। उसे भी पूरा नहीं कर सके। जो अपने नेता की इज्जत नहीं करते, जो आपने किया है यह आपके सामन स्पष्ट है। अगर आपने तीन साल में ऐसा न किया होता तो जहां हम बैठे हैं वहां आप बठे होते और जहां आप बैठे हैं वहां हम बैठे होते। एक महानुभाव ने कहा है कि 32 साल में हमने क्या किया। अगर न किया होता तो 32 साल साल नहीं तीन साल होते। जैसे, जिस प्रकार बैठे है, चन्द लोग हैं जो चौधरी साहब को नहीं पसन्द करते। ये जितने लोग हैं जो राजनारायण को पसन्द नहीं करते लेकिन मजबूरी है। इकट्ठा दल तो बनाना ही है। बागपत काण्ड जो है वह यही ज़ाहिर करता है कि यह आप लोगों की सफलतायें या विफलतायें रही है जो कुछ नहीं कर सके। उसको आप ढाल बनाना चाहते हैं लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों की जो भ्रान्ति फैलाना चाहते हैं हाउस में, दिगभ्रमित करना चाहते हैं, कभी नहीं हो सकेगा। मैं तो समझता था कि यहां प्रजातंत्र की भूमिका बड़ी प्रबल होगी लेकिन जो देखने को मिला, बहुत दुख हुआ।

बड़े अच्छे सुझाव दिये गये, स्वागत के योग्य है, मैं शासन से निवेदन करूंगा कि शासन उस पर अवश्य ध्यान दे लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शासन को चलाने के लिए, आगे ले जाने के लिए शासन पक्ष की जितनी भूमिका की आवश्यकता है उतनी ही आपकी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हर तरह से अनुशासन से ऐसे सुझाव दें जो उचित हों। जो क्रियाकलाप आपके हैं। वह उचित हों।

गरीबी दूर करने के लिए महामहिम राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया है उसमें हर मुद्दे पर प्रकाश डाला गया है। अभी चौधरी चरण सिंह जी ने, बागपत में बहुत सारी जो योजनायें चल रही हैं, मैं नहीं कहता कि किस नेता ने कितनी कार्यवाही की, बलात्कार का जो काण्ड हुआ, अच्छा नहीं हुआ। अभी नेता सदन ने कानून व्यवस्था के बारे में कहा विद्युत विभाग में, गृह विभाग में क्या था ? इण्डस्ट्रीज में क्या था, ये सारी बातें स्पष्ट हैं, उनको दोहराने से कोई फायदा नहीं है। यही सोचना होगा कि किस तरह से हम सारे लोग प्रदेश को चलान में कितना योगदान देते हैं।

वितरण व्यवस्था के बारे में आप सारे लोग जो कहते हैं, मिट्टी का तेल नहीं था, डीजल नहीं था, कपड़ा नहीं था, तो आपको याद होगा कि जब प्रधान मंत्री चरण सिंह थ, 15 अगस्त को लाल किले पर भाषण दिया था, मैं उन्हीं को जिम्मदार ठहराता हूं। उन्होंने कहा था कि इजरायल बहुत अच्छा दश है, अरब देशों की बुराई की थी। उसी का नतीजा यह हुआ कि अरब देशों ने तेल देना बन्द कर दिया था। उस समय वह कोई ऐसी बात नहीं कह सके जिससे एक जुट होकर, एकता के साथ, मजबूती के साथ देश को आग ले जा सकते। मैं चाहूंगा कि आप सारे लोग पुराने हैं, जिनके कुछ संस्कार भी हैं, मैं उसके

[श्री संजय सिंह]

खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन मैं, अर्जक संघ के जन्मदाता बैठे हैं श्री राम स्वरूप वर्मा जी, संजय गांधी के निधन पर इतना शोक क्यों हुआ, इससे तकलीफ हुई। जिस दिन हाउस शुरू हुआ उसी दिन मा0 संजय गांधी के लिए सभी सदस्यों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। यह एक साथ सदन के सारे लोग मान रहे हैं और आपने उसी बात पर तकलीफ जाहिर की, शिकायत किया, आज आते आते सारी बात भूल गये। मुझे दुख होता है, शायद आपने दिल्ली नहीं देखा जिस दिन उनकी अन्त्येष्टि हुई थी, पचासों लाख लोग वहां खड़े थे। अखबार नहीं पढ़ा, सुना भी नहीं रेडियो पर, तकलीफ जाहिर कर दी। इससे स्पष्ट होता है कि यह सारे लोग करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। आप क्या आपके आंका भी किसी की भावनाओं को नहीं रोक सकते? आपने देखा होगा कि रेल की छतों पर लोग बैठे थे, इसको आप क्या करेंगे। माननीय सदस्य चाहे विरोधी दल के हों, चाहे सत्ता पक्ष हों, मैं चाहता हूं कि एक दूसरे को सहयोग दें, हमारे सुझाव हों उनको समझें, हमारे प्लान को समझें, हाउस को किसी तरह से गुमराह न होने दें। भाई मोहन सिंह जी बहुत सौम्य प्रकृति के हैं, बहुत ही शान्त स्वभाव के हैं, इन्होंने कहा इसलिए लगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं खटकता। मोहन सिंह जी ने कहा कि मैंने स्टेटमेंट दिया है कि मेरी नीतियों पर जब तक श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी चलेंगे मैं उनकी मदद करूंगा। मैं नहीं समझता ऐसी बात कैसे अखबार में छपी है?

श्री मोहन सिंह—

अखबार में छपी है, स्टेटमेंट है।

(शोर)

श्री संजय सिंह—

हो सकता है। आप लोग सारे अखबार छपवाते रहते हैं। मैं अखबारों को चैलेन्ज नहीं करता। यह कुछ और नहीं कर रहे हैं तो भ्रान्ति ही फैला रहे हैं। इसके लिए मैं आप पर उत्तरदायित्व नहीं डालता। जो माननीय सदस्य विरोध में हैं उनसे मैं बार बार कहना चाहूंगा कि हर तरह से अगर प्रदेश के आवाम ने कोई निर्णय स्वीकार किया है इस विधान सभा में उसको सहयोग दें। इन्दिरा गांधी की जो नीतियां हैं उनको सहयोग द। कोई ऐसी बात न हो जिससे यह सदन गलत रास्ते पर चले। कमाल यूसुफ साहब ने कहा था हरिजनों के बारे में। मैं इस संबंध में कहना चाहूंगा कि जो हरिजन हैं, उनको जो कोटा मिला है, उसमें उनका हक उनको मिलना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं तीन वर्षों को कि किस तरह से हरिजनों क साथ व्यवहार हुआ। बेल्छी कांड कहां हुआ? हरिजनों की जमीन छीन ली गयीं। मैं चाहता हूं शासन से कि इस प्रकार की कार्यवाही हो कि प्रदेश के हरिजनों को उनकी जमीन पर हक मिले। उनको स्वतंत्रता मिले, हर तरह से काम करने की स्वतंत्रता हो। श्री राम आसरे वर्मा जी ने उर्दू के बारे में कहा। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में उर्दू को उचित स्थान मिल सके। मुख्तार अनीस साहब ने अन्त्योदय के बारे में कहा। अन्त्योदय में इतना घपला हुआ कि सारे के सारे लोगों ने अपने चरवाहों के नाम पर भैंसें खरीद लीं और आज भी दूध दुह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच हो और दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाये। मान्यवर, प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चला। प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर आर0 एस0 एस0 ने कई लोगों को.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मा0 सदस्य उन लोगों को.....

(शोर)

श्री संजय सिंह—

मेरा प्रस्ताव है कि यह एक अच्छा कार्यक्रम है यह सरकार इस कार्यक्रम को चलाये। चीनी के दामों के बारे में जो हमारे माननीय सदस्यों ने कहा उस सम्बन्ध में नेता सदन

अपना वक्तव्य दे चुके हैं कि किसान नेताओं के साथ क्या हुआ। चीनी का उत्पादनकिस हद तक गिरा और जो किसान के पुत्र, माननीय चौधरी चरण सिंह जी है, उन्होंने क्याकिया, यह भी आपके सामने है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप सहयोग करें जिससे यह सरकार जिस प्रकार से महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सुझाव दिए हैं, उसके अनुसार कार्यवाही कर सके और अपनी तमाम योजनाओं को अच्छी तरह से चला सके।

भाई रियासत साहब ने भी महंगाई आदि के बारे में काफी बातें कहीं लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि यह सब उनकी ही देन है लेकिन अब यह सरकार अच्छी तरह से कार्यवाही करेगी जिससे प्रदेश में गरीबी और मंहगाई दूर हो सके। इसलिए यह सरकार अब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में दिए गये सुझावों के अनुसार कार्यवाही करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है।

अन्त में मैंअपनेसभी भाइयों चाहे वे सत्ता पक्ष में बैठे हों या विरोधपक्ष में, सब के प्रति आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूंकि यह सरकार इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले दल की नीतियों को दश से लेकर प्रदेश तक ले जायेगी। मैं नेता सदन जिन्होंने अभी बहुत ही सराहनीय भाषण दिया है, को भी धन्यवाद देता हूं। मैं यह भी चाहूंगा कि यह सदन चाहे हमारे विरोध पक्ष के माननीय सदस्य हों या हमारी पार्टी के हों, सभी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में प्रतिपादित सुझावों के अनुसार कार्य करने के लिए उनके अभिभाषण को अपना समर्थन देगे। अन्त में मैं पुनः सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, अभी कुछ देर पहले माननीय सदस्य ने अपने भाषण में कहा कि आर0 एस0 एस0 वाले प्रौढ़ शिक्षा में रुपया खा गये। सरकार के पास पत्रावलियां मौजूद हैं। आप उन्हे दिखवा ले अगर एक पैसे की भी बात निकले तो या तो सदन की सदस्यता से माननीय संजय सिंह जी त्याग पत्र दे दें या मैं दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

अब मैंनेता विरोधी दल से जानना चाहता हूं शायद वे अपना संशोधन का प्रस्ताव वापस ले लें ?

श्री राजेन्द्र सिंह––

ऐसा हो ही नहीं सकता।

श्री मोहन सिंह––

अध्यक्ष महोदय, क्या आप अपनी पार्टी की ओर से पूछ रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष––

मुझे आप से ऐसी आशा नहीं थी। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए।

श्री मोहन सिंह––

मैं वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय––

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अभिभाषण में निम्नलिखित तथ्यों का जिक्र नहीं किया है––

"सामान्य निर्वाचन के कुछ दिन पूर्व दल विशेष को निर्वाचन में लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये। फलत जनतन्त्र की सामान्य परम्पराओं को ठुकराते हुए नौकरशाही के साथ सांठ-गांठ करके हिंसा एवं भ्रष्ट तरीकों से, करोड़ों रुपयों के माध्यम से वर्तमान सरकार को पदारूढ़ कर दिया गया। इससे जनता के मन में संसदीय प्रणाली व निष्पक्ष चुनाओं के प्रति आस्था डगमगा गई है। और यह सरकार वास्तविक बहुमत की सरकार नहीं कही जा सकती।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

इसी के साथ शेष संशोधन भी अस्वीकृत हुये।

प्रश्न यह है कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों को दिनांक 3 जुलाई, 1980 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता ह।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

समय 5.10 बजे अपराह्न सं]

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत 7 सूचनाएं प्राप्त हुयी थीं जिनमें से एक सूचना श्री रियासत हुसैन की स्वीकृत हुयी है जिसका विषय था—प्रदेश में नागालैण्ड के हथियारों और कारतूसों की प्राप्ति के संबंध में, इस पर वक्तव्य की तारीख बाद में निश्चित की जायगी।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, 16 तारीख को यह सदन बैठेगा। उसी दिन वक्तव्य दिलवा दें। यह लखनऊ से ही और गृह विभाग से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष—

मुख्य मंत्री जी चाहें बताना तो बता दें।

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार....

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, 16 तारीख के स्टेटमेंट का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 में आज जो सूचना स्वीकृत हुयी है, इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी वक्तव्य कब देना चाहेंगे ? कोई तारीख निश्चित करना चाहें, तो बता दें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, आपको सूचित कर दूंगा।

अध्यक्ष—

तो इस वक्त नहीं हो सकता।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, सदन 16 को बैठेगा। उसके बाद बहुत दिनों के लिये उठ जायेगा। फिर इस मामले की इम्पार्टेन्स ही जाती रहेगी। तो 16 तारीख को स्टेटमेंट आ जाय।

श्री अध्यक्ष—

16 को चाहें तो मुख्य मंत्री जी दे दें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मान्यवर, 16 तारीख को बजट पेश होता है। वैसे आप की आज्ञा के अनुसार माननीय सदस्य चाहते हैं तो रख सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—

तो 16 को चाहें तो तारीख निश्चित कर दें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

ठीक है, 16 तारीख को रख दें।

श्री अध्यक्ष—

अब अगले आइटम पर माननीय मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य होगा।

अल्मोड़ा जिले के कफल्टा गांव में हरिजनों की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

मान्यवर, प्राप्त सूचना क अनुसार दिनांक 9–5–80 को ग्राम विरल गाँव से ग्राम पिपना को एक हरिजनों की बारात रवाना हुई। सायंकाल करीब 5 बजे जब यह बारात ग्राम कफल्टा पहुंची तो ग्रामवासियों न कहा कि दुल्हा को डोली से उतार कर ल जायें। हरिजन बारातियों ने कहा कि वे दूल्हा को केवल मन्दिर, जो लगभग 300 गज की दूरी पर था, के समक्ष उतारेंगे। इस पर दोनों दलों में मारपीट होने लगी और एक खीमानन्द नाम का व्यक्ति जो फौज में है और छुट्टी पर घर आया हुआ था, को छुरा मार दिया गया जिससे बाद में उसकी मृत्यु हो गयी। इस पर ग्रामवासियों ने बारातियों पर हमला बोल दिया और बाराती बचाव के लिए इधर-उधर भागे और कुछ लोगों ने स्थानीय हरिजन श्री नर राम के मकान में शरण ली परन्तु ग्राम वालों ने उस मकान में आग लगा दी और बाकी लोगों का पीछा किया और लाठी व पत्थरों से उन्हें मार गिराया। उक्त घटना में एक ब्राह्मण श्री खीमानन्द तथा 14 हरिजनों की हत्या हुई है।

उक्त घटना के सम्बन्ध में हरिजनों की ओर से 33 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध तथा एक सवर्ण की हत्या के सम्बन्ध में अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किये गये। अपराधों की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा एक विशिष्ट दल भेज कर प्राथमिकता के आधार पर की गयी। हरिजनों द्वारा नामजद 33 अभियुक्तों में से एक की मृत्यु घटना में पहले ही हो चुकी थी। शेष 32 में 28 पुरुष और चार महिलाएं हैं। यह सभी सवर्ण हैं। सभी पुरुषों के विरुद्ध धारा 147/148/149/436/323/325/302 भा0 द0 वि0 तथा 4 (4)/4 (10)/7 के अन्तर्गत नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार कर आरोप-पत्र न्यायालय को 26–5–80 को भेजा जा चुका है। 4 महिला अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 4 (4)/4 (10)-7 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार कर आरोप-पत्र न्यायालय को 26–5–80 को भेज दिया गया। श्री खीमानन्द की हत्या के सम्बन्ध में तीन हरिजन व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्य उपलब्ध हुए जिसमें दो की मृत्यु उक्त घटना में पहले ही हो चुकी है और एक के विरुद्ध 26–5–80 का आरोप-पत्र न्यायालय भेज दिया गया।

शासन के अनुरोध पर उच्च न्यायालय ने इस मामले की जघन्यता को देखते हुए जिला जज को यह निर्देश दिये हैं कि इस अपराध की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर करें। प्रत्येक मृतक के परिवार को रु0 12 हजार की दर से वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। इस के अतिरिक्त एक हरिजन जिसका मकान घटना में जला दिया गया, को दो हजार रु0 तथा 6 घायलों को रु0 500 प्रति की दर से सहायता दी गयी है। उसके अतिरिक्त विकास खण्ड सल्ट के मुख्यालय पर पौलीखाल में एक रिपोर्टिंग एवं इन्वेस्टीगेटिंग चौकी स्थापित कर दी गयी है। ग्राम कफल्टा व आस पास के क्षेत्र में अब स्थिति सामान्य है और किसी प्रकार कोई आतंक व्याप्त नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर,.....

एक सदस्य—

मैं उस क्षेत्र का विधायक हूं, मुझे बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, कफल्टा की घटना बड़ी दर्दनाक है और साथ ही साथ शर्मनाक भी। मान्यवर, 9 मई को कफल्टा में हरिजनों को मकान के अन्दर बन्द करके आग लगा दी गयी और 14 हरिजन मर गये और एक सवर्ण मर गया। सवर्ण मर

[श्री राम आसरे वर्मा]

गया उसके लिये हरिजनों को अभियुक्त बनाकर जेल भेजा जा रहा है। मान्यवर, खीमानन्द का जिक्र वक्तव्य में किया गया है जिसके लिये बताया गया है कि छूरा मार दिया गया था।

श्री अध्यक्ष—

आप सवाल पूछ और विवेचना में न जायं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं तीन बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं। मान्यवर, जो मारा गया है वह हरिजनों द्वारा नहीं बल्कि जिनके साथ मौके पर छूरा लेकर गया था उन्हीं के द्वारा मारा गया था किन्तु उसके लिये हरिजनों को मुल्जिम बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों, इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं।

दूसरा सवाल 33 सवर्णों को हरिजनों की हत्या का अभियुक्त बनाया गया है, तो उसमें क्या वहां के भूतपूर्व ब्लाक प्रमुख, मोहन सिंह व लक्ष्मण सिंह हैं? यदि हां, तो क्या उनको गिरफ्तार किया गया कि नहीं?

तीसरा सवाल बारात निकल रही थी क्या, और यदि बारात नहीं निकल रही थी तो क्या शासन उस बारात को निकलवानें की व्यवस्था करेगी?

श्री अध्यक्ष—

मुख्य मंत्री जी इसका जवाब दें कि क्या खीमानन्द की मृत्यु हरिजनों द्वारा हुई है या जिनके साथ गया था उनके द्वारा और दूसरी बात जो बारात के बारें में कहा है उसका जबाव दें दें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही दर्दनाक, दुखद घटना हुई, उसमें यह दुभाग्यपूर्ण होगा कि हम उसमें वर्गीकरण के आधार पर उसका विश्लेषण करें। कानूनकी दृष्टि में एक अपराधी और दूसरे अपराधी में विभेद नहीं किया जा सकता है। इस दृष्टि से जो भी अपराधी होगा शासन उसको दंडित करने में कोई भी कमजोरी नहीं रखेगा और इसी उद्देश्य से इस समय यह मामला न्यायालय में प्राथमिकता के आधार पर हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट के आदेश हैं कि जब तक इसका फैसला न हो जाय, जब तक कार्यवाही चलती रहे तब तक दूसरी चीज न ली जाय। तो इस आधार पर यह कहना कि किसने किसको मारा और न्यायालय जो कहे उसको हम कह दें, तो यह उचित नहीं होगा।

मान्यवर, दूसरा प्रश्न बारात निकलेगी कि नहीं, इसमें किसी भी बारात को निकलने में जो भी शासन के नियम और दायित्व हैं उसको शासन निभायगा।

श्री जसवन्त सिंह किन्हर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र सें 14 किलोमीटर दूर लगभग यह स्थान है जहां यह बात हुई है। इस संबंध में मैं सदन के सामने पूरा प्रकाश डालना चाहता था लेकिन समय नहीं मिला; इसलिए मान्यवर, यदि आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा प्रकाश डाल देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य नियमों से हम आप दोनों बंधे हैं। आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, स्पष्टीकरण चाहते हों, उन्हें पूछ लें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

विशेष परिस्थितियों में नियमों को शिथिल किया जा सकता है। माननीय सदस्य को मौका दिया जा सकता है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मैंने प्रश्न उठाया था पहलें मुझको सुनना पड़ेगा....

श्री अध्यक्ष—

जसवन्त सिंह जी को पूछ लेने दे।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में क्या यह पहली बार पालकी से उतारने की बात आई या पहले से भी पालकी से सवर्णों और हरिजनों....

एक सदस्य—

मान्यवर, जो सूचना है उसके बारे में, मैं बतालाऊंगा....

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री उत्तर दे रहे हैं।

विश्वनाथ प्रताप सिंह—

प्राप्त सूचना इस प्रकार है कि वहाँ मंदिर के पहले ही कफल्टा ग्राम पड़ता है। हरिजन भाईयों की ओर से यह सूचना आई कि जो हरिजन घोड़े पर जाते हैं उन्हें मंदिर के सामने उतरने की प्रथा चली आई है। हरिजनों को गांव से पहले ही उतार लिया जाता है यह जो हरिजन भाइयों की सूचना है उसकी हमने जांच की है वह सही थी।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मान्यवर, यह एकतरफा बात हुई है। असल में ऐसा है कि उस क्षेत्र में एक सीमा गांव की है जहां पर सवर्ण और हरिजन सभी पालकी से अथवा घोड़े से उतर जाते हैं। एसी प्रथा अंग्रजों के जमाने में भी थी। जब अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर उधर घोड़े से जाते थे तो जो सीमा बना रखी है वहां से घोड़े से उतर कर पैदल जाते थें.....

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैने कहा मंदिर के नजदीक सभी उतरते हैं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य—

(व्यवधान)

इसके बारे म एप्रिहेन्शन पहले से था उस बारे में प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की.....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं मैंने गुप्ता जी को बुला लिया है....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि यह परम्परा पड़ी हुई थी कि लोग वहां पर उतरते थे। बहुत ही परम्परायें हमारे समाज के लोगों की समानता के भाव को प्रकट करने के खिलाफ हैं। समाज अथवा सरकार ऐसे किसी परम्परा को प्रश्रय नहीं दे सकती जो समानता के भाव को ध्वस्त करती हो.....(व्यवधान) यह जो घटना घटित हुई 9 मई को इससे 7 दिन पहले इसी तरह की एक घटना घटी जब हरी राम की बारात को रोक दिया गया। मेरे पास सूचना है जिसके आधार पर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इसके पहले 6 मई 1979 को, 17 मई, 1978 को, 11 मई, 1977 को ये घटनायें घटित हुई, समानता के व्यवहार को ध्वस्त किया जाता रहा। इसकी सूचना क्या सरकार के पास थी ? अगर थी, तो सरकार ने संविधान विरोधी इस कर्त्तव्य को रोकने के लिए क्या प्रयास किया ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मान्यवर, जहां तक समानता की भावना के आधार पर किसी प्रथा का मूल्यांकन की बात है मैंने जब यह प्रथा बताई है तो केवल प्रथा की सूचना दी है उसका समर्थन नहीं किया और जहां तक इन सूचनाओं की बात है जो पिछले वाक्यातों की सूचना

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]
माननीय सदस्य बताते हैं कि सरकार को सूचना है कि नहीं, मैं तत्काल नहीं कह सकता कि पहले यह सूचना सरकार में आई थी या नहीं आई थी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या शासन को इस बात की जानकारी थी कि इस तरह की प्रथा वहां है ?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने उत्तर दिया कि इसकी सूचना उनको नहीं है। जानकारी प्राप्त करके बतला देंगे।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट---

मोहन सिंह तथा लक्ष्मण सिंह जो अभियुक्त थे उनको अभी तक गिरफ्तार किया गया या नहीं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

विशिष्ट व्यक्तियों का नाम लिया गया उनकी गिरफ्तारी हुई या नहीं यह मैं नहीं बतला सकता लेकिन 32 अभियुक्तों पर चार्ज शीट लगा कर मुकदमा कायम कर दिया गया है और पूरी कार्यवाही उनके विरुद्ध हो रही है। (व्यवधान) मैं सूचना रखना नहीं चाहता। मैं उनको सूचना दे दूंगा।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट---

इस तरह की घटना पुनः न हो और हरिजनों का उत्पीड़न जो इस तरह से किया जाता है तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि हरिजनों की बारातें इज्जत के साथ निकल सकें ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

ऐसी घटना पुनः न हो इसके लिये वहां पी० ए० सी० तैनात है। वहां झीमर में वायरलेस स्टेशन भी कायम किया गया है। कानून और व्यवस्था का प्रबन्ध रानीखेत के चार्ज में कर दिया गया है और मौलीखाल में इंवेस्टिगेशन चौकी कायम कर दी गयी है।

(व्यवधान)

श्री भीखालाल---

कफल्टा काँड से बहुत आतंक वहां छाया हुआ है और तरह-तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि हरिजनों का कत्ल और किया जायगा। दूसरे हरिजनों को सवर्णों की दूकानों से सामान नहीं मिल सकेगा ? तो क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि ये अफवाहें न फैल और हरिजनों को सवर्णों की दूकान से सामान मिल सके ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

सरकार को कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है जैसा माननीय सदस्य ने कहा। अफवाहों का जहां तक सम्बन्ध है केवल शासन ही उनको नहीं रोक सकता, सामूहिक रूप से हम सब मिल कर अफवाहों पर काबू पा सकते हैं और ऐसी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

श्री हर गोविन्द वर्मा---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस तरह के मन्दिर या पवित्र स्थान कोई और उत्तर प्रदेश में हैं जिनके सामने लोग इस तरह से नहीं निकल सकते और हरिजन नहीं जा सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

इससे यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रियासत हुसैन---

क्या यह सही है कि बावजूद इसके कि मंत्रि-परिषद् का कोई सदस्य वहां मौके पर भी गया था, अभी तक वह शादी नहीं हो सकी है ? क्या शासन इस बात का इन्तजाम करेगा कि वह अपनी निगरानी में हरिजन भाइयों की शादी करा सके ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मान्यवर, केवल यही शादी नहीं, कोई भी शादी के लिये शासन अपनी पूरी जिम्मेदारी निभायेगा।

बागपत जिला मेरठ में तीन व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

[समय 5·31 अपराह्न]

श्री अध्यक्ष—

अब नियम 52 के अन्तर्गत जो चर्चा आज स्वीकार की गई है, उसको लेते हैं। इसकी सूचना माननीय सदन को पहले दी जा चुकी है।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

मान्यवर, मैं दो मर्यादाओं को ध्यान में रख कर अपनी बात रखूंगा। एक तो यह कि इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश हो चुक हैं और दूसरे मैं समय का ध्यान रखूंगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कम से कम समय में आप बोलें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि मैं बहुत कम समय लूंगा। श्रीमन्, बागपत की घटना इतनी शर्मनाक, लज्जाजनक और निन्दनीय है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मैं समझता हूं कि देश के सभी नेताओं ने इस घटना की जितनी भूरि-भूरि निन्दा हो सकती थी, की है लेकिन इस सरकार ने अभी तक इसकी निन्दा नहीं की है, यह सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। जो वक्तव्य आज सुबह यहां प्रसारित हुआ था और जिसके फलस्वरूप हम इस समय इसको ले रहे हैं नियम 52 के अन्तगत, वह वक्तव्य ज्यष्ठ पुलिस अधीक्षक के बयान के आधार पर यहां पढ़कर सुनाया गया था। यह बड़े अफसोस की बात है कि जिस पुलिस के खिलाफ आरोप हैं उसके द्वारा दिया गया ब्योरा ही यहां पर दिया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि शासन को इसकी गम्भीरता का अहसास नहीं हुआ है।

मान्यवर, मैं घटना के विस्तार में नहीं जाऊंगा। नेता विरोधी दल विस्तार से कहेंगे। मैं सिर्फ दो-तीन भिन्न-भिन्न मुद्दों पर कहूंगा। सरकार न कहा कि हमने न्यायिक जांच बिठा दी है। मैं दुहराना चाहता हूं कि न्यायिक जांच के आदेश इतन हास्यास्पद हैं जिसके द्वारा यह साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा तथ्यों को छिपाने की है। इससे पुलिस को बचान की साफ-साफ साजिश दिखाई देती है। मेरे पास वह राजाज्ञा तो नहीं है जिसके द्वारा वह आदेश जारी हुये लेकिन समाचार पत्र की कटिंग है जिसमें उसके टर्म्स आफ रिफेरेंस दिया गया है कि श्रीमती माया त्यागी के साथ किय गये बलात्कार का दायित्व किसके ऊपर है। मान्यवर, घटना इस बात से शुरू होती है कि 3 आदमियों को सरे आम बाजार में गोली से भून दिया गया। क्या समाज इस बात को मान्यता देगा कि किसी बदमाश को बिना कारण बताये उसको गोली मार दी जाय। 3 आदमी मार दिये गये और पुलिस भागती हुई चली गई। इस बात को कौन स्वीकार करेगा कि तीन लाशें पड़ी हुई हैं और पुलिस के लोग सबक सब भाग कर चले गये। क्या इसको स्वीकार करने वाला कोई नहीं है? मैं साफ तौर से मांग करना चाहता हूं। कि आप न्यायिक जाँच को विदड्रा कर लीजिये दूसरे आदेश प्रसारित कीजिय और सर्वांगीण जांच कराईय कि कैसे यह झगड़ा हुआ और क्यों हुआ। एक महिला गाड़ी में बैठी थी और आदमी झगड़ा कर रह थे, यह कहा जाता है कि दरोगा वहां से थाने में जाता है और कुछ लोगों को लाकर गोली मार देता है। यह सच भी हो कि यह बदमाश थे तो उनको क्या मार देना था उनको गिरफ्तार करना चाहिये था। कहते हैं कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

वहां पर भीड़ भी थी लेकिन फिर भी पकड़ने का प्रयास नहीं किया गया और सरेआम गोली मार दी गई । इसलिये दोषियों को तत्काल वहां से हटाया जाय और जांच की जाय। क्या मतलब रह गया है न्यायिक जांच का ।

एक बात जो समाचार पत्रों में उगाजर हो चुकी है, मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने भी इसमे रुचि ली है और वहां से रिपोर्ट मंगा ली है । मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को उसकी जानकारी न हो । केन्द्रीय सरकार की जांच रिपोर्ट अखबारों में साया हो चुकी है उसने बागपत में पुलिस अत्याचार की पुष्टि की है । माननीय मुख्य मंत्री को भी यह कटिंग उनके सूचना विभाग ने प्रस्तुत की होगी । इसमें कहा गया है यह 4 जुलाई के 'स्वतंत्र भारत' में छपा है--केन्द्रीय गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारियों ने बागपत कांड की अधिकांश घटनाओं की पुष्टि करते हुए कहा है कि श्रीमती माया त्यागी को नगर के बाजार में दो हजार लोगों के सामने न केवल नग्न घुमाया गया बल्कि थाने में भी उनके साथ ज्यादती की गयी। गृह मंत्रालय के अधिकारियों की दो टीमों ने बागपत का भ्रमण करने के बाद केन्द्रीय गृह मंत्री श्री जे ल सिंह को अपनी रिपोर्ट दे दी है । इसे प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को भी भेंजा है । इसमे उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों एवं स्थानीय पुलिस पर घटना के बारे में गंभीर आरोप लगाये गये हैं। रिपोर्ट म कहा गया है कि कुछ स्थानीय नता भी पुलिस को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि वह नेता कौन थे लेकिन यह साफ है कि नेता सत्ता पक्ष के होंगे, यह कितना गंभीर आरोप है इसकी प्रति-पक्ष में बैठने वाला हर आदमी निन्दा करता है और पुलिस वालों को दंडित करने की मांग करता है । इसमें आगे है कि पुलिस मुठभेड़ में मरने वाले तीनों व्यक्ति पुराने बदमाश थे मगर इस घटना वाले दिन ईश्वर त्यागी अपनी पत्नी माया त्यागी के साथ अपनी साली के विवाह में भाग लेने के लिए ससुराल जा रहे थे। यह केन्द्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है तो यह आवश्यक था कि इसकी आज यहां पर चर्चा होती और यहां पर उसे प्रस्तुत किया जाता तो आनन्द आता।

तीन तारीख को मान्यवर, न्यायिक जांच के आदेश प्रसारित कर दिये। लेकिन क्या हो रहा है, एक ओर सरकार न्यायिक जांच के आदेश दे रही है और दूसरी ओर कोई छोटे मोटे दरोगा नहीं बल्कि आई० जी० और डी० एम० घोषणा कर रहे हैं कि बागपत में मारे गये व्यक्ति दुर्नाम डाकू थे। क्या कारण है कि हम पर तो प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है, व्यक्ति स्वातंत्र का हक होते हुए हम नियमों से बंधे हैं, हम संविधान की मर्यादा की रक्षा करते हैं न्यायिक जांच के आदेश होने के बाद नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं ? लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आई० जी० के द्वारा इस प्रकार की बात की जाय। क्या यह सच नहीं है कि वहां के डी० एम० और आई० जी० ने जांच आयोग को प्रभावित करने का दुष्कर्म नहीं किया है ? सरकार के पास यह कटिंग पहुंच गयी होगी तो क्या इसके बाद आई० जी० से जवाबतलबी की गई ? तो इससे साबित होता है कि इस घटना को जानबूझ कर दबाने की कोशिश की जा रही है।

यह अच्छी बात है माननीय मुख्य मुत्री जी ने अपील की है, मैंने यह बात राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के समय भी कही थी, इसका राजनीतिक लाभ न उठाया जाय, मैं उनसे सहमत हूं। लेकिन क्या वह यह महसूस करते हैं कि क्या यह आज ही हो रहा है क्या उस समय यह अहसास नहीं हुआ था जिस समय नारायणपुर कांड का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की गई और उसी के आधार पर यहां की सरकार को भंग कर दिया गया। मैं एक और घटना की ओर मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस समय सिनेमा में एक रील दिखाई जा रही है, जिसमें नारायणपुर काण्ड के दृश्य मार्मिक ढंग से दिखाए जा रहे हैं, प्रदर्शित किय जा रहे हैं। समाज के कमजोर वर्ग पर अत्याचार हों, यह राजनैतिक प्रश्न नहीं, राष्ट्रीय प्रश्न है। सम्पूर्ण समाज

का प्रश्न है, जिस पर हम सभी को गम्भीरता से सोचना चाहिए। यह बात ठीक है कि पुरानी परम्परा के साथ कोई नमन कर सकता है, लेकिन कोई कार्य किसी धम की मान्यताओं के विपरीत हो, तो उसे हम सब मिलकर अवश्य ध्वस्त कर देना चाहिए। महिलाओं पर अत्याचार से अधिक शर्म की कोई बात नहीं है। इससे राष्ट्र का मस्तिष्क नीचा हो जाता है। यदि उक्त दृश्य दिखाया जाना समाज को जागरूक करने के लिए आवश्यक है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन उसके साथ उतना ही यह भी जरूरी है कि बागपत व पिपरा काण्ड आदि, जितनी पुरानी घटनाएं हैं, जो पुराने कांग्रेसी काल में या इमरजेंसी के समय में हुई हैं, यह सब भी आवश्यक रूप से दिखाई जानी चाहिए। तो इनको प्रदर्शित करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अन्त में मैं कहना चाहता हूं. .

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

श्रीमन्, अन्तिम बात बहुत आवश्यक है, इसके बिना तो मेरे भाषण का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। बहस होगी, तथ्य निकलेंगे, सरकार उन्हें बचाना चाहेगी, लेकिन हम चाहे जो करें यहां पर बैठकर, इसका सब परिणाम जनता में दिखाई देता है। हमने गल्तियां कीं, उसका नतीजा सामने है, आप करेंगे तो उसका भी आपको नतीजा मिलेगा। लेकिन मैं कुछ दो-तीन रचनात्मक सुझाव इस संबंध में देना चाहता हूं। पूरा राष्ट्र चिन्तित है तो होना यह चाहिए कि पुलिसमें दोषियों को जल्द दण्ड मिल जाए, वहां एक्जेम्पलरी पनिशमेंट होना चाहिए। जो शासन पक्ष में हैं, उसका सामान्य जनता से अधिक और गम्भीर दण्ड मिलना चाहिए। क्योंकि नागरिकों की जान माल और इज्जत की रक्षक पुलिस है और वही यदि ऐसा करे तो उसे अवश्य दण्ड मिलना चाहिए। हम शासक को सेवक का रूप नहीं दे पाए, इसका हमें दुख: है, लेकिन आपको तो इसके लिए अवश्य प्रयास करना चाहिए। एक ओर मेरा सुझाव यह है कि यहां मिलेट्री की तरह पुलिस मे भी कोर्ट-मार्शल होना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ समरी ट्रायल होना चाहिये। और महिलाओं के साथ बलात्कार की सजा तो मौत ही होनी चाहिए। श्रीमन्, आपको इसका प्राविजन करना चाहिए। हमारी फौजदारी दन्ड प्रक्रिया बनी हुई है, उसकी धारा 107 मेंयह प्राविधान है कि पूछताछ के लिए किसी महिला को कभी थाने में नहीं बुलाया जाएगा। यह भी व्यवस्था है कि यदि थाने में किसी को चोट लग जाए, तो उसके लिए दोषी व्यक्ति को एक साल की सजा मिलेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी पुलिस वाले को कभी इसके लिए सजा दी गई, जबकि यह घटनाएं अब रोजमर्रा की हर थाने में हो गई है। इन बातों में इधर या उधर का कोई प्रश्न नहीं है। कोई समिति बन जाए, पैनल बन जाए, जो ऐसे मामलों पर स्थायी रूप से विचार किया करें कि महिलाओं की इज्जत की रक्षा हम कैसे कारगार तरीके से करें। इन बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

मुख्य मंत्री जी को कई बार पुकारने पर)

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

मैं समझ रहा था कि सब लोग बोल लें तब मैं अपनी बात कहूं, ऐसा मुझे करना है। सभी बोल लें, तब मैं जवाब दूंगा, नहीं तो बार बार वही बातें उठाई जाएगी।

श्री अध्यक्ष—

इसके संबंध में देखिए नियम 54 में ऐसा है—सदन के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा। जिस सदस्य ने सूचना दी हो व संक्षिप्त वक्तव्य

[श्री अध्यक्ष]
दे सकेंगे और मंत्री संक्षेप में उत्तर देंगे। किसी अन्य सदस्य को भी चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी। विषय पुरःस्थापित करने वाले सदस्य को उत्तर देने के लिए दूसरी बार बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और सम्बद्ध मंत्री के अन्तिम कथन होने पर चर्चा समाप्त हो जायगी।"
तो अब माननीय मुख्य मंत्री अपना संक्षिप्त उत्तर दें।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी नें जो यह प्रश्न उठाया है कि शासन ने ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक की ही बात मान ली और वही बात को सदन में रखा गया, इस पर हमारे कुछ उधर के साथियों में रोष भी था, मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमने उसी रिपोर्ट को सही मान लिया होता तो अपराध अनुसंधान विभाग को यह मामला हमने क्यों सौंपा होता और क्यों उसके लिय न्यायिक जाँच के आदेश दिये होते ? यह दोनों चीजें सबूत है कि सरकार ने ज्यष्ठ पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट को सहीं नहीं माना है। इस बयान के दूसरे पैराग्राफ को ही अगर आप दखें तो पता चलेगा कि वह पुलिस अधीक्षक का बयान नहीं है। इसमें यह कहा गया है कि इस घटना कें संबंध मे शासन को कुछ शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं।

(व्यवधान)

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के प्रति मेरा बड़ा आदर है, वे बहुत ही सुलझे हुय व्यक्ति है और उनका योगदान भी सदन में बहुत गम्भीरपूर्ण रहता है, लेकिन मुझे एक बात सें दुख जरूर हुआ कि उन्होने कहा कि न्यायिक जाँच हास्यास्पद है। हमारी पूरी राजनैतिक प्रणाली और प्रजातांत्रिक प्रणाली इसकी एक आस्था बिन्दु है, न्यायालय पर ही हमारी पूरी आस्था है, उसी पर हम सारा राजनैतिक ढांचा खड़ा किये हुए हैं। जिस दिन उस न्यायालय को हम हास्यास्पद कहने लगेंगे.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैंने आदेश कें लिय हास्यास्पद कहा है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

बहरहाल, आपने इसे संशोधित कर दिया मुझे खुशी है।

दूसरी बात यह कही गयी कि न्यायिक जाँच सीमित है और जिनकी हत्यायें हुई है उनकी जाँच को इसमें शामिल नहीं किया गया है। मैं सदन के फ्लोर पर यह घोषित कर देना चाहता हूं कि यह न्यायिक जाँच पूरी सम्पूर्ण घटना के ऊपर होगी। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने भी कहा है--

"The enquiry should not cover only the alleged misbehaviour with the women, but also the murder of the three persons,"

तो आपकी भावनाओं का आदर करते हुये ही यह किया है। तीसरी बात जो कही गयी कि वहाँ से अधिकारियों को हटाया जाय। मान्यवर, कि न्यायिक जाँच निष्पक्ष हो। जो भी थाने से संबंधित थे, उस घटना से, उस दिन वहाँ मौजूद थे, वह हटा दिये जा चुके हैं। मान्यवर, कुछ और मैं कहना चाहता हूं। यह आरोप लगाया गया कि सरकार कुछ संरक्षण देना चाहती है, जो लोग किसी तरह की गलती किये हुए हैं ? यह मंशा कभी नहीं रही। न्यायिक जाँच का इसीलिए आदेश हुआ।

श्री अध्यक्ष--

मुख्य मंत्री जी, अभी इस स्तर पर आपको संक्षेप में इसका उत्तर देना है क्योंकि अंतिम उत्तर आपका बाद में होगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

एक चीज और कही गयी और जिससे हम भी सहमत हैं कि अगर कोई कानून का संरक्षक है, जिम्मेदार है और वह कानून का उल्लंघन करता है, तो उसे अधिक दण्ड दिया जाना चाहिए, मूलतः सिद्धान्ततः मैं सहमत हूं।

*श्री मुख्तार अनीस---

मान्यवर, अभी मुख्य मंत्री जी ने अपनी थोड़ी सफाई दिया है। मुख्य मंत्री जी ने जो इस सदन के सामने वक्तव्य दिया है, इसमें कई बातें भ्रामक हैं और कई बातें ऐसी हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं। इसमें कहा गया है कि पुलिस और इन व्यक्तियों के बीच हाथापाई हुई, जिसमें पुलिस ने इन व्यक्तियों पर फायर किया। मान्यवर, जब इन लोगों ने पुलिस पर फायर किया तो क्या किसी को चोट आई? फिर इसी के अन्दर कहा गया है इसी में मुख्य मंत्री जी न जो वक्तव्य दिया है। उसमें कहा गया है कि गुप्तांग से खून बह रहा था और इस बात की सम्भावना से इनकार नहीं किया गया है कि इस महिला के साथ बलात्कार नहीं किया गया है। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई एफ0 आई0 आर0 लिखाने गया, जो उसमें अपराधी हैं, उसके खिलाफ कार्यवाही की गयी?

*श्री पंचानन--

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मत्री जी को इसबात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने घटना की न्यायिक जाँच के आदेश दिये हैं। जो बातें कही गयी हैं अगर वास्तव में वह घटती हैं, तो उसमें हम सबको दुःखी होना चाहिए और इसीलिए हमारी सरकार ने तथ्य का पता लगाने के लिए न्यायिक जाँच के आदेश दिये हैं। इसके लिए माननीय मुख्य मत्री जी बधाई के पात्र हैं। लेकिन कुछ तथ्य आपके माध्यम से इस सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। जो नागरत की शान्ति स्थापना समिति ने प्रकाशित किये हैं; 5 सदस्यों के उसमें हस्ताक्षर हैं। यह बात कही गयी है कि जो लोग मारे गये हैं, उस घटना में, उसमें तीनों ऐसे थे जिनके ऊपर कई डकैती और कत्ल के गम्भीर आरोप थे। उसमें एक ऐसा भी व्यक्ति मारा गया है, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा दिया था और वह जेल से फरार हो गया था। मान्यवर, जिस महिला की चर्चा की गयी है, उस महिला ने अपना नाम दो बार बदला है। उस बात को इसमें कहा गया है और वक्तव्य से साफ है। जो ड्राइवर पकड़ा गया है, वह राजस्थान का रहने वाला था। उसने भी अपना पता गलत बताया है। तो इस पूरी घटना पर जब सरसरी तौर पर विचार किया जायगा, तो इस नतीजे पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि ये लोग असामाजिक तत्व थे और यह रिकार्ड से भी प्रमाणित है। समाज में अराजकता बढ़ी हुई है। हर शरीफ आदमी का जीवन असुरक्षित हो गया है। उसका एकमात्र कारण यह रहा है कि पिछले 3 सालों के अन्दर पुलिस बिलकुल निरंकुश हो गयी थी, जिस पर कोई अंकुश नहीं रह गया था; एक जाति विशेष के लोगों का पुलिस में भरती किया गया है इनके राज्य में, जिसका काम केवल अराजकता फैलाना है और जब हमने इस अराजकता को रोकने का प्रयास किया इन अराजकतत्वों पर कड़ाई करनी शुरू की। तब से इन लोगों ने इन अराजकतत्वों की वकालत शुरू कर दी। मान्यवर, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं जिसमें डाकू और अराजक तत्व मारे जाने लगे, तब ये उन्हें संरक्षण देने लगे। यहाँ जो भी लोग मारे गये हैं वे सब डाकू और अराजक तत्व थे। यह लोग लड़ाई और मारपीट के बल पर हरिजनों, कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यकों से जबरदस्ती मतदान कराते थे। जब हमारी सरकार ने स्वच्छ मतदान का अवसर प्रदान किया, इनकी एक नहीं चलने पाई तब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पंचानन]

वे चिल्लाने लगे और ऐसे अराजक तत्वों को पीछे से सहारा संरक्षण देने लगे।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

माननीय, इनका समय अब समाप्त हो गया है।

श्री पंचानन—

माननीय, मुझे दो मिनट दिये गये थे, उसमें अभी एक मिनट बाकी है। तो माननीय, मैं कह रहा था कि जब यह हार गये तो फ्रस्टेशन के शिकार हो गये और फ्रस्ट्रेशन की वजह से ही अराजकतत्वों के साथ मिलकर प्रदेश में आतंक फैलाने में उतर आये हैं। माननीय, बागपत में जो कुछ हुआ है, उसकी जाँच हो रही है, दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी। अत्याचारियों के खिलाफ और घटना से संबंधित लोगों के प्रति न्याय होगा। लेकिन यह गलत बातों का सहारा लेकर प्रदेश में आतंक फलाते रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री पंचानन—

माननीय, मैं अपनी बात को संक्षेप में ही कह रहा हूं। माननीय, मैं कह रहा था कि जब निष्पक्ष चुनाव हुए, इनके जुल्म और अत्याचार नहीं चल सके। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता ने इनके आतंक के खिलाफ वोट किया, जिससे यह हताश हो गये। तो माननीय, मैं यही कह रहा था कि यह लोग सुनियोजित ढंग से बागपत काण्ड का सहारा लेकर देश और प्रदेश में आतंक फैलाना चाहते हैं इसलिए माननीय, मैं आपके माध्यम से मा० मुख्य मंत्री जी का इस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस घटना की जाँच के उपरान्त दोषी लोगों और ऐसे असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रदेश और देश में शांति और व्यवस्था भंग न होने पाये।

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी—

माननीय, पहले हमको मौका दें, दें, हमारा नाम है उसमें।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

माननीय, हमको भी मौका दें, दें।]

श्री मोहन सिंह—

जिनका नाम है, माननीय, पहले मौका उनको दें, दें।

(व्यवधान)

(श्री काशीनाथ मिश्र के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

श्री काशीनाथ जी आप तो बहुत पुराने सदस्य हैं। आपको नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी भी अधिक है। हमको भी प्रक्रियाएं सीखने दें।

श्री मोती लाल देहलवी—

माननीय, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो वक्तव्य बागपत के संबंध में आया है। उसको देखते हुये माननीय, यह बहुत स्पष्ट है, साफ है कि यह सरकार बागपत काण्ड पर पर्दा डालना चाहती है और अभियुक्तों को जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको बचाना चाहती है। माननीय, यह बड़े सहज बुद्धि की बात है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं; कल का। कल माननीय, वह हरिजन लड़की नाबालिक उन्नाव की . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपको जो कहना है कहिए ।

श्री मोती लाल देहलवी--

कोई लिहाज नहीं है, कोई सभ्यता नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप भाषण करें आपस में बात न कर ।

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, जिस हरिजन लड़की के साथ दो थानेदारों ने बलात्कार किया था वह दोनों थानेदार एस0डी0एम0, हसनगंज के साथ उसके मकान पर पहुंचे, उसके मकान पर गये और एस0डी0एम0 ने दोनों थानेदारों के सामने कहा कि यह बलात्कार की घटना गलत है ।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

बागपत काण्ड में उन्नाव कहां से आगया ?

श्री मोतीलाल देहलवी--

म उदाहरण देकर स्पष्ट करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

जिस पर चर्चा है उस पर बोलें ।

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी--

मैं उदाहरण दे रहा हूं कि जिस काम को यह सरकार छिपाना चाहती है पुलिस वालों को बचाना चाहती है

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

कृपया शान्त रहें । कृपया बैठ जायं । यह चर्चा डेढ़ घंटे के लिये निर्धारित है और जितना भी समय इसमें आप ऐसे बरबाद करेंगे तो जिस महत्व के लिये चर्चा प्राप्त किया है वह पूरा न हो सकेगा । म कहूंगा माननीय मोती लाल देहलवी अपना भाषण जारी रखें और कृपया समय का ध्यान रखें, विषय का ध्यान रखें ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मैं स्पष्ट करना चाहता हूं । प्रमाण के लिये मैं कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रमाण की जरूरत नहीं है, विषय पर कहिए ।

श्री मोती लाल देहलवी--

उस लड़की को छेड़ा गया.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि विषय के विपरीत न जायं । चर्चा बागपत कांड पर करें ।

श्री मोती लाल देहलवी--

यह उदाहरण द रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

उदाहरण की आवश्यकता नहीं है । मैं उदाहरण की इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप बागपत कांड पर बोलें ।

एक सदस्य—

क्या माननीय वक्ता जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि क्या 11 वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार किया जाना सम्भव है ?

श्री अध्यक्ष—

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर) कृपया आप बैठें।

एक सदस्य—

यह बागपत पर बोल रहे हैं या उन्नाव पर ?

श्री मोती लाल देहलवी—

हम आपके मुख्य मंत्री को एक सेकेंड बोलने नहीं देंगे। अगर हमको न बोलने दिया गया . .

(घोर व्यवधान)

एक सदस्य—

धमकी न द। आप भी बोलने नहीं पायेंगे।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, आप नियंत्रण करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मोती लाल जी बैठ जायं। माननीय मोती लाल जी, आप इस सदन की परम्पराओं से इतना अवगत हैं, कम से कम आप से निवेदन करूंगा कि जिस तरह से आपने कहा आपको तो कम से कम नहीं कहना चाहिए। आपने कहा बोलने नहीं दूंगा। मुख्य मंत्री को आपने कहा कि आप बोलने नहीं देंगे ?

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठें कृपया।

एक सदस्य—

क्षमा मंगवाइए इन से।

श्री अशोक कुमार बाजपेयी—

इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, आप यह दख रहे हैं। मैं लांछन की वजह से नहीं कह रहा हूं। जब मैंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू किया था तो टोका-टोकी हुई। आपने देखा कि जब नेता सदन ने भाषण दिया तो एक दो-बार जरूर हुआ लेकिन बहुत शान्त रह। माननीय मोती लाल पर उसका रिएक्शन था कि आप नहीं बोलने देते तो हम भी नहीं कर सकते। उनका कोई ऐसा आशय नहीं था नेता सदन को बोलने नहीं देंगे। मैं भी रोक रहा हूं। मैं चाहूंगा कि नेता सदन अपने लोगों को रोकें। महत्वपूर्ण विषय पर बात हो रही है। समय बड़ा कम है। इस समय को बरबाद न करें।

श्री अशोक कुमार बाजपेयी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने कहा कि तुम्हारे मुख्य मंत्री को नहीं बोलने दिया जायगा। इस कथन को कार्यवाही सें निकाला जाय। आप इस पर व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

उस सम्बन्ध में मैंने माननीय मोती लाल जी से निवेदन कर दिया। अब कृपया माननीय मोती लाल जी बोलेंगे।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

यह खेद प्रकाश करें।

श्री अशोक कुमार बाजपेयी—

इनके कथन को कार्यवाही से निकाला जाय। इस पर व्यवस्था आवश्यक है।

एक सदस्य---

मान्यवर, इनके कथन को कार्यवाही से निकाला जाये ।

(शोर)

श्री काशीनाथ मिश्र---

मान्यवर, इन्होंने कहा है कि मुख्य मंत्री को नहीं बोलने दूंगा । यह संसदीय है या असंसदीय ?

(शोर)

एक सदस्य---

सत्ता के लोग हमारी बात को दबाना चाहते है और इसलिए यह शोरगुल मचाते रहते हैं ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष---

इसमें कोई किसी व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता । जो प्रश्न था उसके संबंध में स्पष्ट निर्णय दे दिया.....

(सदन की बिजली चली गयी)

(लगातार शोर होता रहा)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट---

मान्यवर, चर्चा को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष---

कुछ समय तक के लिए बिजली आने की प्रतीक्षा कर लें ।

एक सदस्य---

एक व्यवस्था दीजिए । हम लोग चलें या बैठें ।

एक अन्य सदस्य---

16 तारीख के लिए इसको स्थगित कर दें ।

(बिजली न आने पर)

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्यगण, ऐसी परिस्थितियों मे जब इस सदन की कार्यवाही चलना संभव नहीं है तो उक्त कारणों से अब यह चर्चा समाप्त होती है और अब हम उठते हैं और 16 तारीख को 11 बजे पूर्वाह्न फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 15 मिनट पर बुधवार, 16 जुलाई, 1980 के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ:
11 जुलाई, 1980

सत्य प्रिय सिंह.
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

पी० एस० यू० पी०---एल०138 एल० ए० (256)---1981---8131